

किसी सभ्यता की परख इस बात से की जाती है
कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ कैसा
बर्ताव किया जाता है।

—महात्मा गाँधी

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त

52वाँ प्रतिवेदन

(जुलाई 2014 से जून 2015)



**भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार**

52वाँ प्रतिवेदन

(जुलाई 2014 से जून 2015)



**भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों
के
आयुक्त
का
52^{वाँ} प्रतिवेदन**

(जुलाई 2014 से जून 2015)

www.nclm.nic.in



संख्या/No.CLM REPORT/52/2016
आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities
Ministry of Minority Affairs
Government of India

14/11, जाम नगर हाउस,
शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110011
टेलीफोन: 011- 23072651-52

14/11, Jam Nagar House,
Shahjahan Road,
New Delhi-110011
Telephone: 011-23072651-52
दिनांक/Dated: 29.03.2016

सेवा में,

भारत के माननीय राष्ट्रपति

द्वारा : माननीया मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

महामहिम,

मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ख(2) के अनुपालन में, जुलाई 2014 से जून 2015 की अवधि का 52वाँ प्रतिवेदन, प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रतिवेदन भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षाओं की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में मेरी विस्तृत प्रश्नावली के उत्तर में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों द्वारा प्रदत्त उत्तर से एकत्रित एवं आमेलित सूचनाओं के विश्लेषण तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ मेरी हुई चर्चाओं पर आधारित है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों और सिफारिशों को अभिलेखबद्ध किया गया है जिन पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, यथा प्रयोज्य यथोचित कार्रवाई करनी है।

निवेदन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350ख (2) के अनुपालन में इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाए।

अथाह आदर के साथ,

भवदीय,

(प्रो० अख्तरूल वासे)
भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1-7
उत्तरी अंचल		
2.	चण्डीगढ़	8-12
3.	दिल्ली	13-23
4.	हरियाणा	24-27
5.	हिमाचल प्रदेश	28-29
6.	जम्मू और कश्मीर	30-31
7.	पंजाब	32-33
8.	राजस्थान	34-35
मध्य अंचल		
9.	बिहार	36-37
10.	छत्तीसगढ़	38-42
11.	झारखण्ड	43-44
12.	मध्य प्रदेश	45-46
13.	उत्तराखण्ड	47-48
14.	उत्तर प्रदेश	49-53
पूर्वी अंचल		
15.	अरुणाचल प्रदेश	54-57
16.	असम	58-59
17.	मणिपुर	60-65
18.	मेघालय	66-67
19.	मिजोरम	68-72
20.	नागालैण्ड	73-74
21.	उड़ीसा	75-76
22.	सिक्किम	77-78
23.	त्रिपुरा	79-84
24.	पश्चिम बंगाल	85-86
पश्चिमी अंचल		
25.	दादरा और नगर हवेली	87-88
26.	दमन और दीव	89-90
27.	गोवा	91-93
28.	गुजरात	94-98
29.	कर्नाटक	99-107
30.	महाराष्ट्र	108-109
दक्षिणी अंचल		
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	110-114
32.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	115-116
33.	केरल	117-123
34.	लक्षद्वीप	124-129
35.	पुदुच्चेरी	130-131
36.	तमिलनाडु	132-143
37.	सिफारिशें	144-154
38.	परिशिष्ट	155-195

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट	शीर्षक	पृष्ठ
I	भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त	155—156
II	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षण	157—158
III	प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प (अगस्त 1949, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)	159
IV	भारत सरकार का 1956 का ज्ञापन	160—163
V	भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के लिए 1959 में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की मंत्री-स्तरीय समिति	164—173
VI	अगस्त, 1961 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक	174—178
VII	क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की पहली बैठक (नवंबर 1961)	179—182
VIII	आयुक्त के 52वें प्रतिवेदन की प्रश्नावली	183—195

- 1.1 राज्य पुनर्गठन आयोग (एस आर सी) 1956, ने भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने की संस्तुति की। हालांकि, भाषाई अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि, लोगों के वैसे समूह जो भारत में अथवा इसके किसी भू-भाग में निवास करते हैं और जिनकी अपनी पृथक भाषा अथवा लिपि है, भाषाई अल्पसंख्यक कहलाते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का होना आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, राज्य स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक का अभिप्राय लोगों के ऐसे किसी समूह अथवा समुदाय से है जिनकी मातृभाषा राज्य की प्रमुख भाषा से भिन्न है और इसी प्रकार जिला एवं तालुका/तहसील स्तर पर वहां प्रचलित मुख्य भाषा से अलग है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर, सातवां संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1957 बनाया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 350 क एवं ख को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया जिन्हें भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के रूप में जाना जाता है तथा जिन्हें संविधान में भारत के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करना होता है तथा



सी एल एम प्रो. अश्वरूत वासे भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के साथ शिष्टाचार भेंट करते हुए

- राष्ट्रपति को ऐसे अंतरालों पर इन मामलों से संबंधित रिपोर्ट देनी होती है जो राष्ट्रपति निर्देशित करें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासन को प्रेषित करवाते हैं। इस प्रकार, भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त (सी एल एम) का संगठन नई दिल्ली में जुलाई, 1957 में अस्तित्व में आया। कुछ समय बाद इसे इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया और अब इसे 1 जून, 2015 से नई दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया है।
- 1.2 संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत रक्षोपायों के अलावा, विभिन्न मंचों जैसे कि शिक्षा मंत्रियों के सम्मलेन, 1949; भारत सरकार का ज्ञापन, 1956; दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के निर्णय, 1959; मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन 1961 तथा क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की समिति की बैठक, 1961 में समय-समय पर अखिल भारतीय स्तर पर रक्षोपायों की योजना तैयार की गई। सी एल एम भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की संवैधानिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर सहमतिजन्य योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के संबंध में सभी मामलों पर भाषाई अल्पसंख्यक समूहों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पारस्परिक बातचीत करते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त की 51वीं रिपोर्ट जिसमें जुलाई 2013 से जून,

2014 की अवधि को कवर किया गया था, राज्य सभा तथा लोक सभा के पटल पर क्रमशः 8 तथा 9 दिसम्बर, 2015 को रखी गई। 52वीं रिपोर्ट में जुलाई 2014 से जून 2015 तक की अवधि समाहित है। वर्तमान में भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के नाते मुझे इस 52वीं रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का सौभाग्य एवं गौरव प्राप्त हुआ है।



डा. नजमा हेपतुल्ला, माननीया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार को 51वीं रिपोर्ट पेश करते हुए सी एल एम प्रो. अख्तरुल वासे, साथ में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्कालीन सचिव डा. अरविंद मायाराम

- 1.3 उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए सी एल एम संगठन की विद्यमानता तथा उनके प्रयासों के बावजूद, देश में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक कमी आई है। अनुच्छेद 350 क में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्य तथा राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा हेतु पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए; तथा राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वे ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझते हों। इस दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम एच आर डी),



मध्य प्रदेश सरकार के माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री श्री उमा शंकर गुप्ता के साथ भोपाल में सी एल एम

भारत सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) से संबद्ध सभी स्कूलों को सी बी एस ई के पत्र सं. सी बी एस ई/जे एस (ए एंड एल)/2014 दिनांक 29.09.2014 के तहत छात्रों के दाखिला प्रपत्र में निम्नलिखित दर्ज करने का अनुदेश देते हुए एक प्रगामी कदम उठाया है:

- (i) बच्चे की मातृभाषा;
- (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा;
- (iii) माता/पिता द्वारा तरजीह की गई वैकल्पिक/तीसरी भाषा।



मध्य प्रदेश सरकार के माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री श्री पारस चन्द जैन
के साथ भोपाल में सी एल एम

इस संबंध में 51वीं रिपोर्ट में की गई अपनी सिफारिशों को दोहराता हूँ तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में दाखिले के आवेदन-प्रपत्र में ऐसे ही स्तंभ शामिल करने के लिए समुचित रूप से सलाह दें ताकि देश के भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा उनकी मातृभाषाओं को भी जीवंत रखने के लिए भाषाओं तथा शिक्षा के माध्यम के संबंध में बच्चे की मातृभाषा तथा तरजीह के बारे में सूचना प्राप्त हो सके।



राजस्थान सरकार के माननीय राज्यमंत्री, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक),
भाषा, श्री वसुदेव देवनानी के साथ जयपुर में सी एल एम

- 1.4 मैं केन्द्र सरकार तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी में भाषा के विषयों को पढ़ाने हेतु शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अंगीकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके 1961 में तैयार

त्रिभाषा सूत्र की महत्ता तथा प्रासंगिकता को भी लाना चाहता हूँ। यह सहमति बनी थी कि यह सूत्र निम्नवत होना चाहिए:

- क. क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा, जब मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो;
- ख. हिंदी अथवा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कोई अन्य भारतीय भाषा तथा
- ग. अंग्रेजी अथवा कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।



अपने बेंगलुरु दौरे के क्रम में सी एल एम कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया, माननीय अवसंरचना विकास, हज और सूचना मंत्री, श्री आर. रोशन बेग, माननीय वक्फ एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, श्री कामरुल इस्लाम तथा राज्य अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षा श्रीमती बालखीस बानू के साथ।

तथापि, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन, 196 में की गई इस व्यवस्था की समीक्षा करने तथा प्राथमिक/माध्यमिक दोनों शिक्षा स्तरों पर, अल्पसंख्यक भाषाएं तथा क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ने की पर्याप्त सुविधा देने के लिए एक सार्वभौमिक शैक्षणिक व्यवस्था अपनाने का समय आ गया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मेरे अध्ययन दौरों तथा भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के साथ पारस्परिक बातचीत के क्रम में मुझे सूचना मिली कि अनेक राज्यों ने प्राथमिक स्तर पर ही पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में "तमिलनाडु शिक्षा अधिनियम 2006" में तमिल को शिक्षा के प्राथमिक स्तर से एक विषय के रूप में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक लोगों में असंतोष व्याप्त है। मेरा



सी एल एम केरल के महामहिम राज्यपाल, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री पी. सतशिवम के साथ बैठक करते हुए

मानना है कि इससे प्रवासी माता-पिता के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अन्य दक्षिणी क्षेत्रीय राज्यों में ऐसा ही रुझान विकसित हो रहा है। अतः मेरा केन्द्र सरकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह है कि वे इस मुद्दे को तत्काल हल करें और हमारी बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक समाज जो हमारी ताकत है, की मूलभूत संरचना में फेरबदल किए बगैर मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ने के लिए एक साझा मंच तथा समान सुविधा उपलब्ध कराएं।



भुवनेश्वर में संस्कृत-उर्दू विरासत कारवां के अवसर पर सी एल एम ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवनीत पटनायक, माननीय संसद सदस्यों (लोक सभा) श्री तारिक अनवर, डा. (प्रो.) प्रसन्न कुमार पटसानी, तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ

- 1.5 केन्द्र सरकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह भी आग्रह किया जाता है कि वे उन भाषाओं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, के मुद्दे पर अत्यावश्यक रूप से ध्यान दें क्योंकि भाषा केवल शब्दों अथवा ध्वनियों का संग्रह नहीं है, वरन् यह समाज की संस्कृति एवं सभ्यता को प्रतिबिंबित करती है। विलुप्तप्राय भाषा से किसी समाज की कला, साहित्य, संस्कृति तथा सभ्यता का विनाश हो जाएगा। उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप में बोली जाने वाली भाषा 'महल', पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाने वाली अनेक जनजातीय भाषाओं पर उन्हें विलुप्त होने से संरक्षित करने हेतु तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अतः नागरिकों की विशिष्ट भाषाओं, लिपियों अथवा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनुच्छेद 29 के अधीन उनके संवैधानिक अधिकारों को अक्षरशः कार्यान्वित किया जाना चाहिए।



सी एल एम कावार्ती, लक्षद्वीप में 'महल' भाषा भाषियों के साथ

- 1.6 अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित एवं प्रशासित करने के अधिकार का प्रावधान है। संविधान में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच फर्क नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के दृष्टिगत लाभकारी स्थिति में रखा गया है। अल्पसंख्यकों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र, 1992 में भी सभी जातीय, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को समकक्ष रखा गया है। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा भी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन की व्यापक

मांग की जाती रही है। सूचित किया गया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति तथा मान्यता देने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं एवं मापदंड लागू कर रहे हैं। उसे ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित एवं प्रशासित करने की मांगों को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार को विधान बनाना चाहिए/मौजूदा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए।



सी एल एम चेन्नई में भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा आयोजित एक समारोह में एन सी एम ई आई के सदस्य, श्री जफर आगा के साथ

- 1.7 अनुच्छेद 347 में किसी राज्य अथवा उसके किसी भाग की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को ऐसे प्रयोजन के लिए जो राष्ट्रपति विनिर्दिष्ट करें, शासकीय मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 में केन्द्र या किसी राज्य के किसी प्राधिकारी को केन्द्र/राज्यों में प्रयुक्त भाषाओं में किसी में शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदन देने का अधिकार प्रदान किया गया है।



चेन्नई, तमिलनाडु में भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षा फोरम द्वारा आयोजित एक बैठक में सी एल एम विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के साथ

- 1.8 देश की उभरती हुई भाषाई रूपरेखा के दृष्टिगत, मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वे मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक आयोजित करें जैसा कि 11 एवं 12 अगस्त, 1961 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में चर्चा के लिए मुख्य विषय विभिन्न भाषाई पहलुओं तथा इसके सवाल से संबंधित था। बैठक इस बात के साथ समाप्त हुई कि राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने की अत्यधिक महत्ता के दृष्टिगत मुख्यमंत्रियों एवं केन्द्रीय मंत्रियों की और अधिक बैठकें आयोजित होनी चाहिए ताकि कृत कार्यवाई की समीक्षा की जा सके और जहां कहीं आवश्यक हो, आगे के उपायों का सुझाव दिया जा सके। तथापि, पांच दशक से

भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी ऐसी कोई बैठक नहीं की गई है। मैं वर्षों पहले तैयार की गई भाषा नीति तथा रक्षोपायों की समीक्षा तथा अभिपुष्टि करने के लिए मुख्यमंत्रियों और शिक्षाविदों की बैठक आयोजित करने के अपने विचार को दोहराता हूँ।

- 1.9 सी एल एम संगठन भाषाई अल्पसंख्यक समूहों/संघों/संगठनों द्वारा जानकारी में लाए गए वैसे सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जो भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों से संबंधित होते हैं। सी एल एम रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का मौके पर ही जायजा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से भाषाई अल्पसंख्यक क्षेत्रों तथा शैक्षणिक संस्थाओं का दौरा करते हैं। इस संबंध में, आयुक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों तथा प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं।



सी एल एम पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के सचिव, श्री बी. आर. बाबू तथा पुदुच्चेरी के भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए

- 1.10 मुझे अपने अध्ययन दौरों के क्रम में भोपाल, जयपुर, अजमेर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, कावारत्ती, चेन्नई, पुदुच्चेरी तथा कराईकल और कई अन्य क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला। मैंने भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन से संबद्ध संस्थाओं में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति की मुझे जानकारी मिल सके। मैंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, प्रभारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, मुख्य सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की। मैंने उनके साथ भाषाई अल्पसंख्यकों के समक्ष आने वाली वास्तविक एवं कथित कठिनाईयों तथा रक्षोपायों के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के उपायों को साझा किया।
- 1.11 मैं माननीया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा मंत्रालय द्वारा मुझे अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने में प्रदत्त हार्दिक सहयोग का भी उल्लेख करना चाहूँगा। मैं वर्तमान चुनौतियों तथा आवश्यकता को पूरा करने के लिए सी एल एम संगठन का पुनर्गठन करने के उनके प्रयास के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए मूल्यवान् कार्य की भी सराहना करता हूँ।
- 1.12 अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि "भाषा का कोई धर्म नहीं होता, किन्तु प्रत्येक धर्म को भाषा की जरूरत होती है।" अतः मेरा मानना है कि भाषा संप्रेषण का एक शक्तिशाली साधन है और इसका इस्तेमाल 'संवाद' के लिए किया जाना चाहिए न कि 'विवाद' के लिए।

प्रो. अख्तरुल वासे
भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त

भाषाई रूपरेखा

- 2.1 जनगणना-2001 के अनुसार चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 9,00,635 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिंदी	6,08,218	67.53
पंजाबी	2,51,224	27.89
उर्दू	7,254	0.81
तमिल	5,716	0.63

- 2.2 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचना दी है कि चंडीगढ़ की 27.89 प्रतिशत जनसंख्या पंजाबी भाषा बोलती है।
- 2.3 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा :** संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा अंग्रेजी है तथा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोई राजभाषा अधिनियम नहीं बनाया गया है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है:

2.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

- क. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं इत्यादि के अनुवाद एवं प्रचार-प्रसार की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, प्रशासन ने अनुदेश जारी किए हैं कि पत्राचार का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं सहित उसी भाषा में दिया जाए जिसमें वे प्राप्त हों।
- ख. यह भी सूचना दी गई है कि शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने तथा उन्हीं भाषाओं में उत्तर देने के संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। तथापि, बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर राजभाषा में प्राप्त अभ्यावेदन के समान ही विचार किया जाता है। अल्पसंख्यक भाषा में प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में प्रशासन के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

- क. सूचना दी गई है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बनाई गई भर्ती नियमावली में संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय/राजभाषा में प्रवीणता प्राप्त करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।
- ख. सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ग. बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

2.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता

बताया गया है कि प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए पंजाब शिक्षा संहिता के तहत यथा उपबंधित "मान्यता प्रदान करने के नियम" इस संघ राज्य क्षेत्र में लागू हैं। बताया गया है कि कोई अलग नियम नहीं बनाए गए हैं क्योंकि विभाग को किसी भाषाई अल्पसंख्यक संस्था से कभी भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। मान्यता प्रदान करने के लिए, डीपीआई (एस) मिडिल स्कूलों तक मान्यता देने हेतु सक्षम है।

2.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान संस्वीकृत करने से संबंधित नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

2.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	99	192	152

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	108	98,234	169

2.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	47	125	152

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा की शिक्षा की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	100	64,534	169

2.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	39	87	143

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा की शिक्षा की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	87	38,546	164

2.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	28	937	77

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	39	37,752	87

2.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नलिखित हैं:

प्रथम भाषा : हिंदी/पंजाबी
द्वितीय भाषा : पंजाबी/हिंदी
तृतीय भाषा : अंग्रेजी

ख. कक्षा 8 में पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ रहे विद्यार्थियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

भाषा	विद्यालय
पंजाबी	14,085
हिंदी	14,085
अंग्रेजी	14,085

2.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. शिक्षा के एक विषय तथा एक माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षण के लिए शिक्षकों के स्वीकृत/भरे हुए पदों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
पंजाबी	सूचना नहीं दी गई है		169	152

ख. राज्य शिक्षा संस्थान (स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एड्युकेशन) को अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में बताया गया है:

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	पढ़ाई के माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
राज्य शिक्षा संस्थान, सेक्टर 32, चण्डीगढ़	हां	हां

2.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

बताया गया है कि राज्य शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का अनुवाद हिंदी से पंजाबी में किया जाता है। ये पाठ्य-पुस्तकें पंजाब विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रतियोगी/इमदादी दरों पर, उपलब्ध कराई जाती हैं।

2.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

सूचना दी गई है कि भाषाई वरीयता पंजियों का रख-रखाव संघ राज्य क्षेत्र के स्कूलों में नहीं किया जाता है।

2.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए अकादमियों के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई है।

2.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है कि समाज कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (गृह) डी०पी०आई०(सी), डी०पी०आई०(एस) और डी०एस०डब्ल्यू०, चंडीगढ़ प्रशासन इस समिति के सदस्य हैं। फिर भी, संदर्भाधीन अवधि के दौरान आयोजित बैठकों के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। यह भी सूचना दी गई है कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र एक ही जिला नगरीय संघ राज्य क्षेत्र है और इसीलिए भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देखभाल राज्य स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा की जाती है।

2.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

क. सूचना दी गई है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने भारत के संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए यथा निर्धारित रक्षोपायों के संबंध में निदेशक, जन संपर्क, चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से तीन समाचार पत्रों, अंग्रेजी, हिन्दी और पंजाबी के एक-एक समाचार पत्र में जनसूचना जारी की है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए निदेशक, समाज कल्याण को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा इस अवधि के दौरान कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

निष्कर्ष / संस्तुतियां

- क. संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या के 60 प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी भाषी हैं। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को हिंदी को संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की अतिरिक्त राजभाषा घोषित करने पर विचार करना चाहिए।
- ख. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, अधिसूचनाओं तथा शासनादेशों इत्यादि का अंग्रेजी के अलावा हिंदी और पंजाबी भाषाओं में अनुवाद और प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- ग. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में, जहां कहीं अपेक्षित हों, अभ्यावेदन की प्राप्ति और उनके उत्तर संबंधित भाषा में देना भी सुनिश्चित करना चाहिए।
- घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिविल सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विस्तृत जानकारी प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।
- ड. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भाषाई प्राथमिकता पंजियों का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर-विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।
- च. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- छ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह किया जाता है कि वे उन स्कूलों में छात्र-शिक्षक के संबंध में प्रदत्त सूचना को स्पष्ट करें जहां पंजाबी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है तथा यह भी आग्रह है कि पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था करें।
- ज. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में तमिल तथा उर्दू पढ़ने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- झ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों/सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी जाती है।
- ञ. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने की सलाह दी जाती है।
- ट. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 2.19 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़, से अनुरोध है कि आवश्यक उपचारी कदम उठाएं, जिससे कि, संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 3.1 जनगणना-2001 के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 13,850,507 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिंदी	1,12,10,843	80.94
पंजाबी	9,88,980	7.14
उर्दू	8,74,333	6.31
बंगाली	2,08,414	1.50

- 3.2 निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं जनपद/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है:

भाषा	तहसील/तालुका/नगरपालिका	भाषा	प्रतिशतता
उत्तर	सदर बाजार	उर्दू	36.60
उत्तर	कोतवाली	उर्दू	23.82
उत्तर-पूर्व	सीलमपुर	उर्दू	17.51
उत्तर-पूर्व	शाहदरा	उर्दू	23.75
मध्य	दरियागंज	उर्दू	52.65
पश्चिम	पटेल नगर	पंजाबी	20.18
पश्चिम	राजौरी गार्डन	पंजाबी	26.30
दक्षिण	डिफेंस कालोनी	उर्दू	17.25

- 3.3 क. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राजभाषा** : दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राजभाषाएं हिन्दी और अंग्रेजी हैं।
- ख. **अतिरिक्त राजभाषा (राजभाषाएं)** : सूचित किया गया है कि पंजाबी तथा उर्दू दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अतिरिक्त राजभाषाएं घोषित की गई हैं।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

- 3.4 **राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग**

- क. यह सूचित किया गया है कि सरकारी नियमों, आदेशों इत्यादि के अनुवाद एवं प्रचार-प्रसार की पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है।
- ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषा में अभ्यावेदन स्वीकार करने एवं संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर प्रदान करने के संबंध में आदेश मौजूद हैं, तथापि, इस संबंध में आकड़े नहीं दिए गए हैं।

3.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

- क. प्राथमिक शिक्षकों, टीजीटी, पीजीटी के भाषा विशिष्ट अर्थात् पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, उर्दू के पदों के मामले में तथा उन पदों पर भर्ती के लिए भी, जहां भर्ती नियमावली के अनुसार अल्पसंख्यक भाषाओं का अध्ययन एक अनिवार्य अर्हता है, क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित बताया गया है।
- ख. प्राथमिक शिक्षकों, टीजीटी, पीजीटी के भाषा विशिष्ट अर्थात् पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, उर्दू के पदों के मामले में तथा उन पदों पर भर्ती के लिए भी, जहां भर्ती नियमावली के अनुसार अल्पसंख्यक भाषा में शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य है, उन भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति होने की सूचना दी गई है।
- ग. सूचना दी गई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

3.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता

- क. बताया गया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियमावली 1973, शिक्षा का अधिकार नियम 2004, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाती है। यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देने के संबंध में प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा जारी किया जाता है।
- ख. तथापि, 30 जून, 2015 तक मान्यताप्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में कोई आकड़े नहीं दिए गए हैं।

3.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

- क. बताया गया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियमावली 1973 के अनुसार शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार भाषायी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
- ख. वर्ष 2014-2015 के दौरान सहायता-अनुदान प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	प्राथमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
बंगाली	2	3	3	2
गुजराती	0	1	1	1
कन्नड़	1	1	0	1
मलयालम	1	1	0	3
मराठी	1	1	0	1
पंजाबी	2	11	10	3
सिंधी	1	1	1	1
तमिल	1	1	0	5
तेलुगु	4	5	3	2
उर्दू	1	19	14	19

भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

3.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	11	2,259	69	47.23
मलयालम	02	1,119	11	101.72
तमिल	03	808	15	53.86
तेलुगु	01	200	07	28.57
पंजाबी	01	345	10	34.5

दक्षिण दिल्ली नगर निगम

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	13	3,439	87	40.1

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	37	4,277	109	200 से नीचे (1.35)
			स्कूलों के लिए विषय एवं माध्यम के रूप में	200 से नीचे (1.40)

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	23	1,415	38	

एन०डी०एम०सी० शिक्षा विभाग

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	13	662	43	15.3

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
गुजराती	02	432	03

बंगाली	03	1,081	08
कन्नड़	01	415	08
मराठी	01	508	06
मलयालम	04	1,671	16
पंजाबी	19	6,421	75
सिंधी	01	460	01
तमिल	06	1,485	23
तेलुगु	04	1,451	15
उर्दू	12	1,352	72

दक्षिण दिल्ली नगर निगम

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	12	2,208	15	40.1

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	09	539	21	200 से नीचे (01.35)
			स्कूलों के लिए विषय एवं माध्यम के रूप में	200 से नीचे (01.40)

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	07	1,870	40	

एन०डी०एम०सी० शिक्षा विभाग

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	01	157	01	157.1

3.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	38	8,058	138	58.39
पंजाबी	1	40	0	0
बंगाली	1	309	10	30.9

एन०डी०एम०सी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	03	78	08	10.1

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
अरबी	1	132	0	0
बंगाली	3	659	3	219:66
कन्नड़	1	25	1	25
मराठी	1	20	1	20
फारसी	1	102	0	0
पंजाबी	214	20,471	240	85:29
सिंधी	1	303	1	303
तमिल	6	1,424	5	284:8
तेलुगु	5	2,331	12	194:25
उर्दू	217	49,828	282	176:69
मलयालम	4	1,240	8	155
गुजराती	1	173	1	173

एन०डी०एम०सी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	02	116	02	28:1
पंजाबी	02	114	01 (पंजाबी अकादमी जी एन सी टी डी से)	114:1

3.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	31	4,178	76	54:97
पंजाबी	01	16	01	16
बंगाली	01	260	10	26

एन०डी०एम०सी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	01	27	04	07:1

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
अरबी	0	0	0	0
बंगाली	3	244	3	81.33
कन्नड़	1	12	1	12
मराठी	1	20	1	20
फारसी	0	0	0	0
पंजाबी	204	11,770	163	72.2
सिंधी	1	224	1	224
तमिल	7	650	6	108.33
तेलुगु	4	1,916	10	191.6
उर्दू	155	20,558	155	132.63
गुजराती	1	102	1	102
मलयालम	2	339	4	84.75

एन०डी०एम०सी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	03	42	03	14.1
पंजाबी	02	22	01	22.1

3.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	20	3,623	64	56.6

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
अरबी	0	0	0	0
बंगाली	2	40	2	20
कन्नड़	0	0	0	0
मराठी	0	0	0	0
फारसी	0	0	0	0

पंजाबी	89	1928	37	52.1
सिंधी	1	10	1	10
तमिल	7	331	6	55.16
तेलुगु	1	28	1	28
उर्दू	77	5228	72	72.61
मलयालम	0	0	0	0

3.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत् हैं:

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

प्रथम भाषा : हिंदी / उर्दू / अंग्रेजी
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : उर्दू / पंजाबी / बंगाली / सिंधी / तमिल / तेलुगु / मलयालम /
कन्नड़ / गुजराती / मराठी / अरबी / फारसी

एन०डी०एम०सी०

प्रथम भाषा : हिन्दी
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : उर्दू, पंजाबी, संस्कृत

ख. त्रिभाषा सूत्र के तहत शामिल छात्रों का ब्यौरा निम्नवत है:

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
अरबी	62	46	18
बंगाली	214	103	17
कन्नड़	4	3	0
मराठी	108	0	0
फारसी	42	24	2
पंजाबी	8,548	5,131	137
सिंधी	153	115	0
तमिल	557	199	89
तेलुगु	397	280	121
उर्दू	18,274	8,785	1,948
मलयालम	390	162	0
गुजराती	53	29	0

एन०डी०एम०सी०

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
उर्दू	23	11	—
पंजाबी	42	07	—

3.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में तथा माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों का विवरण निम्नवत है :

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
अरबी	3	2	6	5
बंगाली	18	9	2	1
गुजराती	1	1	1	1
कन्नड़	0	0	1	1
मलयालम	28	21	22	14
मराठी	0	0	1	1
फारसी	1	1	1	1
पंजाबी	0	0	257	233
सिंधी	0	0	0	0
तमिल	21	16	19	19
तेलुगु	9	8	13	14
उर्दू	148	114	303	261

एन०डी०एम०सी०

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	46	43	18	14
पंजाबी	00	01	—	—

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	87	87	—	—

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	109	99	—	—

ख. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विवरण निम्नवत है :

शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
एस०सी०ई०आर०टी०	—	—

एन०डी०एम०सी०

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
एन०डी०एम०सी०, विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विद्यालय	उर्दू	उर्दू

3.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

- क. अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरंभ में ही भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध हो जाने की सूचना दी गई है।
- ख. अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री तैयार करने और प्रकाशन का कार्यभार संभालने वाले अभिकरण दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो हैं। यह भी सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों का प्रापण अन्य राज्यों से नहीं किया जाता है।
- ग. बताया गया है कि छात्रों को पुस्तकों की आपूर्ति शिक्षा विभाग, जी०एन०सी०टी०डी० द्वारा निःशुल्क की जाती है।

3.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उनकी भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एन०डी०एम०सी० तथा सभी तीनों एम०सी०डी० के अधीन विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

3.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

- क. बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अल्पसंख्यक भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं मौजूद हैं। यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को "दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000" में निहित उपबंधों के अनुसार बढ़ावा दिया जाता है। चार अल्पसंख्यक भाषाई अकादमियां अर्थात् उर्दू, पंजाबी, सिंधी तथा मैथिली-भोजपुरी स्थापित की गई हैं।
- ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए स्थापित भाषायी अकादमियों का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित किया गया	वर्ष 2014-15 का बजट (लाख में)
उर्दू	उर्दू अकादमी	मई, 1981	प्लान 420 नान-प्लान 340 शिक्षण 300
मैथिली एवं भोजपुरी	मैथिली एवं भोजपुरी अकादमी	29.1.2008	प्लान 100
पंजाबी	पंजाबी अकादमी	17 सितम्बर 1981	प्लान 862.50
सिंधी	सिंधी अकादमी	4 जुलाई 1994	प्लान 208.23 नान-प्लान 163

3.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

- क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्तर पर कोई तंत्र/समिति स्थापित नहीं है।

तथापि, यह बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण व उसकी समीक्षा का कार्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कला-संस्कृति और भाषा विभाग समय-समय पर विभिन्न साधनों अर्थात् विज्ञापन, पत्र/परिपत्र, पैम्फलेट के वितरण के जरिए करता है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग मौजूद है किन्तु यह भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले नहीं देखता है।

3.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का कला, संस्कृति और भाषा विभाग, भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु रक्षोपायों के प्रचार-प्रसार का कार्य विज्ञापनों, पत्रों/परिपत्रों और पैम्फलेटों के वितरण आदि के माध्यम से समय-समय पर करता है।

निष्कर्ष/संस्तुति

- क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देने का समुचित प्रबंध करना चाहिए।
- ख. भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा व्यक्तियों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए अभ्यावेदनों तथा प्रश्नों की भरमार हो गई है। यह भी सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं संवर्धन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों तथा निकायों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय स्तर पर कोई पदनामित प्राधिकारी नहीं है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से आग्रह है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों तथा संगठनों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक नियम/दिशा-निर्देश बनाएं तथा जिला स्तरों पर प्राधिकारियों को पदनामित करें।
- ग. अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि छात्र शिक्षक का अनुपात चिंताजनक है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सुविधा के संबंध में सरकार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है।
- घ. आयुक्त की जानकारी में लाया गया है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डी एस एस एस बी) द्वारा टी जी टी उर्दू की नियुक्ति के संबंध में परीक्षा वर्ष 2014 में आयोजित की गई थी जिसमें अभ्यर्थियों के लिए सी टी ई टी में अर्हता रखना अनिवार्य था। यह भी सूचित किया गया है कि उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था जिन्होंने वर्ष 2012 में सी टी ई टी की अर्हता प्राप्त की थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा उनके पत्र सं. डी ई - 3(54)/ई- 111/डी आर/विविध/2014/87 दिनांक 11.01.2016 के तहत सूचना दी गई है कि टी जी टी उर्दू के लिए कुल संस्वीकृत पद 263 थे, हालांकि 90 पद ही नियमित शिक्षकों द्वारा भरे गए हैं। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों ने बाद में अर्थात् 2013/2014/2015 में सी टी ई टी में अर्हता प्राप्त की है उन्होंने आयुक्त से इस मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ उठाने की पेशकश की है ताकि टी जी टी उर्दू के रिक्त पदों के लिए उन पर विचार किया जाए। यह बात तारिफे-काबिल होगी यदि वर्ष 2012 की अर्हता से संबंधित कोई प्रतिबंध उन अभ्यर्थियों के संबंध में न लगाया जाए जब उनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में होनी है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से आग्रह है कि वे टी जी टी उर्दू के लिए उन अभ्यर्थियों पर विचार करें जिन्होंने वर्ष 2013/2014/2015 में सी टी ई टी

- उत्तीर्ण किया हो ताकि सी टी ई टी अर्हताप्राप्त सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जा सके और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टी जी टी उर्दू के कोई पद खाली न रहें।
- ड. उर्दू भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों से यह भी पता चला है कि कई स्कूलों में उर्दू पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त, सूचना मिली है कि कई स्कूलों में पर्याप्त संख्या में छात्रों के होने तथा उर्दू पढ़ने की इच्छा रखने के बावजूद 10वीं कक्षा तक उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था है किन्तु कक्षा 11 एवं 12 तक नहीं है। उर्दू भाषाई अल्पसंख्यकों की ओर से उर्दू अकादमी के उन शिक्षकों को नियमित करने की भी मांग की जाती रही है जो मानदंड पूरा करते हैं और दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्यापन कर रहे हैं। साथ ही, कश्मीरी प्रवासियों के समकक्ष उनके वेतन एवं सुविधाओं में भी उन्नयन करने की मांग की जाती है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त मुद्दों की जांच करें तथा उनका हल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का अक्षरशः अनुपालन हो सके।
- च. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अपने पत्र सं. डी ई. 23(32)/एस सी एच. बी आर/2015/1596 दिनांक 07.10.2015 के तहत दाखिले प्रपत्र में आवश्यक स्तंभ शामिल करने का आश्वासन दिया है ताकि अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2016-2017 से दाखिले प्रपत्र में तीसरी भाषा के लिए माता-पिता की भाषाई तरजीह का पता लगाया जा सके। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से आग्रह है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्कूलों में दाखिले के आवेदन प्रपत्र में आवश्यक स्तंभ शामिल करें ताकि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधाएं सुनिश्चित हो सके।
- छ. भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में यह बात भी आई है कि उर्दू पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति समय पर नहीं की गई है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से आग्रह है कि शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व पाठ्यक्रम तथा उर्दू पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति के लिए एन०सी०ई०आर०टी० के साथ मिलकर आवश्यक व्यवस्था करे।
- ज. प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उपयुक्त प्राधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की जानी चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- झ. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावली का विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के माननीय राष्ट्रपति को, प्रस्तुत कर सकें।
- 3.19 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे उपचारी उपायों के लिए उपर्युक्त निष्कर्षों का संज्ञान लें ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो।

भाषाई रूपरेखा

- 4.1 जनगणना-2001 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2,11,44,564 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिंदी	1,84,60,843	87.31
पंजाबी	22,34,626	10.57
उर्दू	2,60,687	1.23
बंगाली	39,199	0.19
नेपाली	20,362	0.10

- 4.2 क. राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

ख. अतिरिक्त राजभाषा : अंग्रेजी राज्य की अतिरिक्त राजभाषा घोषित की गई है।

- 4.3 हरियाणा राज्य सरकार ने सूचना दी है कि राज्य में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ कोई अल्पसंख्यक भाषा वहाँ की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हो। तथापि, कुछ जिलों में वहाँ की स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का विवरण निम्नवत् है:

जिला	भाषा	प्रतिशतता
कुरुक्षेत्र	पंजाबी	18.63
सिरसा	पंजाबी	34.54
मेवात	उर्दू	16.52

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है:

- 4.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों और सूचनाओं आदि का प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में नहीं होता है।

ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को स्वीकर करने और उनके उसी भाषा में उत्तर देने के संबंध में कोई आदेश विद्यमान नहीं है।

- 4.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राजभाषा अर्थात् हिंदी का ज्ञान पूर्वपेक्षित है।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखने की अनुमति नहीं है।

- ग. सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लागू नहीं होता है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि आरक्षण के लाभ के लिए अभ्यर्थी को हरियाणा राज्य का अधिवासी होना चाहिए।

4.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

- क. बताया गया है कि वर्ष 2008 के बाद किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता नहीं दी गई है और न ही मान्यता के संबंध में कोई नियम/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आगे यह भी बताया गया है कि हरियाणा सरकार का प्रशासनिक प्रभाग भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम है।
- ख. सूचित किया गया है कि 30 जून 2015 तक 22 स्कूलों/संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

4.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

सूचित किया गया है कि वर्ष 2008 से पूर्व राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा सहायता-अनुदान दिए जाते थे किन्तु 2008 में सहायता-अनुदान का मामला भाषा विभाग में अंतरित हो जाने के बाद से कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

4.8 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अल्पसंख्यक भाषाओं के छात्रों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

4.9 त्रिभाषा सूत्र

- क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत राज्य में पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैं:

प्रथम भाषा : हिन्दी
द्वितीय भाषा : पंजाबी
तृतीय भाषा : अंग्रेजी

- ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल छात्रों के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

4.10 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

- क. अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण के लिए शिक्षकों के पदों के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई है:

भाषा	माध्यम	
	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	48	9
पंजाबी	1,182	849

- ख. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के

आदान-प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्था/केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

4.11 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

- क. ऐसा बताया गया है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, छात्रों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध बताई जाती हैं।
- ख. सूचित किया गया है कि कक्षा 6 से 8 तक अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तथा कक्षा 9 और कक्षा 10 की पंजाबी भाषा की पाठ्य-पुस्तकें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, द्वारा तैयार एवं प्रकाशित कराई जाती हैं। बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री प्रतियोगी/इमदादी दरों पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

4.12 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

बताया गया है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा के दिनांक 18.05.1997 के पत्र के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षा के सभी अधिकारियों को वैसे छात्रों को पंजीकृत करवाने का निर्देश दिया गया है जो अतिरिक्त भाषा के रूप में उर्दू या पंजाबी भाषा का विकल्प चुनते हैं।

4.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

- क. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य में कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
- ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित भाषाई अकादमियों का विवरण निम्न है:

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित की गई	वर्ष 2014-15 का बजट (करोड़ में)
उर्दू	हरियाणा उर्दू अकादमी	23.10.1986	1.50
पंजाबी	हरियाणा पंजाबी अकादमी	23.10.1997	1.50

4.14 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण और समीक्षा करने के लिए राज्य/जनपद स्तर पर कोई समिति गठित नहीं की गई है।

4.15 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों और सुविधाओं के बारे में जानकारी देने हेतु राज्य में कोई तंत्र नहीं है। भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं को प्रदर्शन बोर्ड, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित करने के संबंध में जिलों तथा तहसील कार्यालयों को जारी आदेशों के संबंध में बताया गया है कि 2008 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

निष्कर्ष/संस्तुतियां

- क. जिस जिले/तहसील/तालुका/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का

- संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देने का प्रबंध किया जाना चाहिए।
 - ग. राज्य सरकार को भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्वज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए, न तो सरकार को राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लगाना चाहिए।
 - घ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता तथा सहायता-अनुदान प्रदान करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपाय शुरू करने चाहिए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यरत व्यक्तियों एवं निकायों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय स्तर पर पदनामित प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाए।
 - ड. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
 - च. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम०एच०आर०डी०), भारत सरकार ने भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 50वीं रिपोर्ट संबंधी कृत अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (ए०टी०आर) में सूचना दी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस० ई०) से संबद्ध सभी स्कूलों को सी बी एस ई के पत्र संख्या सी बी एस ई/जे एस (ए० एवं एल०)/2014 दिनांक 29.09.2014 के तहत अनुदेश दिया गया है कि वे छात्रों के दाखिले के फार्म में (i) बच्चे की मातृभाषा (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा (iii) माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई वैकल्पिक/तीसरी भाषा दर्ज करें। अतः हरियाणा सरकार से आग्रह है कि राज्य के स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्र में ऐसी ही स्तंभ शामिल करें ताकि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को अपनी मातृभाषा पढ़ने की सुविधा सुनिश्चित हो सके।
 - छ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
 - ज. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अकादमियों के लिए बजटीय आवंटन के संबंध में भी सूचना प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
 - झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों में जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।
 - ञ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
 - ट. हरियाणा सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावली के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सके।
- 4.16 हरियाणा राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

भाषाई विवरण

- 5.1 जनगणना-2001 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 60,77,900 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशत
हिंदी	54,09,758	89.01
पंजाबी	3,64,175	5.99
नेपाली	70,272	1.16
किन्नौरी	64,293	1.06

- 5.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा हिंदी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 5.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए उपयुक्त नीति बनाने की आवश्यकता है।
- ख. जिस जिले/तहसील/तालुका/नगर पालिका में भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 15 प्रतिशत अथवा अधिक हो, वहां भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, राज्य सरकार को, सरकारी नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का अनुवाद एवं प्रकाशन प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में सुनिश्चित करना चाहिए।
- ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और उनके उत्तर देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- घ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरों की शिक्षा संबंधी सुविधाओं के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- ङ. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के पदों तथा अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम तथा विषय के रूप में इस्तेमाल करने/पढ़ाने हेतु उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।
- च. राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास हेतु उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

- छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करना चाहिए ताकि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर-विद्यालय समायोजन को सुसाध्य बनाया जा सके।
- ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, तरजीह दी गई प्रथम भाषा तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।
- ञ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- ट. हिमाचल प्रदेश के नोडल अधिकारी को, आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत व समेकित उत्तर का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय के भीतर माननीय राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर सकें।
- 5.4 हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपचारी उपाय करें, जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों की योजना का राज्य में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भाषाई रूपरेखा

- 6.1 जनगणना-2001 के अनुसार जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या 1,01,43,700 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशत
कश्मीरी	54,25,733	53.49
डोगरी	22,05,560	21.74
हिन्दी	18,70,264	18.44
पंजाबी	1,90,675	1.88
लद्दाखी	1,01,466	1.00

- 6.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा उर्दू है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 6.3 यह चिंता का विषय है कि भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए प्रेषित प्रश्नावली का राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

संस्तुतियां

- क. जम्मू और कश्मीर सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।
- ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।
- ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ङ. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

- छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।
- ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर-विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।
- झ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ञ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।
- ट. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- ठ. जम्मू और कश्मीर सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 6.4 जम्मू और कश्मीर सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 7.1 जनगणना-2001 के अनुसार पंजाब की जनसंख्या 2,43,58,999 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
पंजाबी	2,23,34,369	91.69
हिंदी	18,51,128	7.60
उर्दू	27,660	0.11
बंगाली	206,55	0.08
नेपाली	19,778	0.08

- 7.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा गुरुमुखी लिपि में पंजाबी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 7.3 यह धिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए उपयुक्त नीति बनाने की आवश्यकता है।
- ख. जिस जिले/तहसील/तालुका/नगर पालिका में भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 15 प्रतिशत अथवा अधिक हो, वहां भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, राज्य सरकार को, सरकारी नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का अनुवाद एवं प्रकाशन प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में सुनिश्चित करना चाहिए।
- ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और उनके उत्तर देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- घ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरों की शिक्षा संबंधी सुविधाओं के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- ड. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के पदों तथा अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम तथा विषय के रूप में इस्तेमाल करने/पढ़ाने हेतु उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।
- च. राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास हेतु उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

- छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करना चाहिए ताकि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर-विद्यालय समायोजन को सुसाध्य बनाया जा सके।
- ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, तरजीह दी गई प्रथम भाषा तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।
- ञ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- ट. पंजाब सरकार के नोडल अधिकारी को, आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत व समेकित उत्तर का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय के भीतर माननीय राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर सकें।
- 7.4 पंजाब राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 8.1 जनगणना-2001 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 5,65,07,188 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है :

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	5,14,07,216	90.97
भीली	26,00,933	4.60
पंजाबी	11,41,200	2.01
उर्दू	6,62,983	1.17

- 8.2 क. राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।
 ख. अतिरिक्त राजभाषा : हिंदी के साथ अंग्रेजी को अतिरिक्त राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 8.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

निष्कर्ष/संस्तुतियां

- 8.4 आयुक्त महोदय ने सहायक आयुक्त के साथ 11 से 14 अक्टूबर, 2015 तक जयपुर और अजमेर का दौरा किया तथा माननीय राज्य मंत्री, स्कूली शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) एवं भाषा, सचिवों, स्कूली शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा तथा राजस्थान सरकार के अन्य अधिकारियों और भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। सी एल एम ने राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना करते हुए, राज्य में भीली/भिलोडी जैसी जनजातीय भाषाएं पढ़ने की सुविधाएं प्रदान करने का राज्य से अनुरोध किया। सी एल एम ने स्कूलों के दाखिले प्रपत्र में तीन स्तंभ शामिल करने का भी आग्रह किया ताकि (i) बच्चे की मातृभाषा; (ii) माता/पिता द्वारा तरजीह दिए गए शिक्षण का माध्यम; (iii) माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तीसरी भाषा की जानकारी मिल सके और भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए मातृभाषा पढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
- 8.5 अजमेर में सी एल एम ने गुजराती, सिंधी तथा उर्दू भाषाभाषियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में चर्चा की। गुजराती भाषाभाषियों ने अपने प्राथमिक स्कूल में गुजराती भाषा के लिए शिक्षक की तैनाती करने की मांग की। सूचित किया गया कि क्षेत्रीय कॉलेज में, गुजराती भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था है किन्तु पद रिक्त है। अतः सी एल एम ने संबंधित प्राधिकारियों से आग्रह किया कि वे प्राथमिक स्कूल तथा क्षेत्रीय कॉलेज में गुजराती शिक्षकों की तैनाती करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। सिंधी भाषाभाषियों ने सूचित किया कि पाठ्य-पुस्तकें समय पर नहीं उपलब्ध होती हैं और उन लोगों ने सिंधी अकादमी द्वारा सिंधी में पाठ्य-क्रम संचालित करने की मांग की। यह भी जानकारी दी गई कि आरक्षण प्रणाली की वजह

से सिंधी शिक्षक का एक पद रिक्त है और इसे आरक्षण रहित करके भरे जाने की मांग की गई। उर्दू भाषाभाषियों ने सूचना दी कि शिक्षकों के अनेक पद समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने राज्य भर के अनेक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की। सी एल एम ने संबंधित प्राधिकारियों से इन मुद्दों की जांच करने तथा शिकायतों का निवारण करने का आग्रह किया।

- क. राज्य सरकार को उन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की सलाह दी जाती है जहाँ भाषाई अल्पसंख्यक स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक हैं।
- ख. राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषाओं के इस्तेमाल के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ उन जिला/तहसील/तालुक/नगर-पालिका, जहाँ भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 15 प्रतिशत या उससे अधिक है, में नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं, आदि का प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
- ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देना सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- घ. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के सृजित/स्वीकृत पदों और उनके प्रशिक्षण सुविधाओं का पूर्ण ब्यौरा दिए जाने की आवश्यकता है। प्रदत्त सूचना में पाया गया है कि उर्दू के संबंध में छात्र शिक्षक का अनुपात अत्यंत चिंताजनक है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे रिक्त पदों को भरें।
- ड. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- च. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति उनमें जागरूकता के प्रसार हेतु उनके लिए रक्षोपायों का ब्यौरा देने वाले पैम्फलेट के प्रकाशन सहित व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू करना चाहिए ताकि राज्य में उनमें जागरूकता फैल सके।
- छ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- ज. राजस्थान सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

8.6 राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बिंदुओं पर ध्यान दें और आवश्यक उपचारी उपाय करें, जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का राज्य में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भाषाई रूपरेखा

- 9.1 जनगणना-2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8,29,98,509 दर्ज की गई तथा इसकी भाषाई रूपरेखा निम्नवत है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	6,06,35,284	73.06
मैथिली	11,8,30,868	14.25
उर्दू	94,57,548	11.39
बंगाली	4,43,426	0.53

- 9.2 क. राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

ख. अतिरिक्त राजभाषा: उर्दू को राज्य की अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 9.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार से आग्रह किया जाता है कि वे उन जिलों तथा नगरपालिका क्षेत्रों को अधिसूचित करे जहां 15 प्रतिशत से अधिक स्थानीय जनसंख्या द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं।
- ख. उर्दू भाषियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान सूचित किया गया कि उर्दू अनुवादक के अनेक पद दूसरे पदों में रूपांतरित कर दिए गए तथा वे पद समाप्त कर दिए गए हैं। अतः सरकार से आग्रह है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों सूचना इत्यादि का प्रकाशन एवं अनुवाद सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में अनुवादकों को तैनात करें।
- ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर-विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।
- ङ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

- च. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- छ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने वाले प्राधिकारी के संबंध में भी सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।
- ज. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।
- झ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास के लिए अल्पसंख्यक भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।
- ञ. यह सराहनीय है कि राज्य सरकार ने "भाषा संगम" के प्रकाशन के जरिए अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन के लिए प्लैटफॉर्म प्रदान किया है। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों द्वारा सूचना दी गई कि लेखकों को पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। अतः सरकार से आग्रह है कि वे लेखकों के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करें।
- ट. उर्दू अकादमी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा भी यह सूचित किया गया कि अकादमी के लिए 1 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। तथापि यह राशि उर्दू के संवर्धन के लिए कार्यकलापों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि वे उर्दू अकादमी के लिए पर्याप्त निधि का आबंटन करें जैसा कि बैठक के दौरान आश्वासन दिया गया था।
- ठ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- ड. बिहार सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 9.4 बिहार सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 10.1 जनगणना-2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,08,33,803 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	1,72,10,481	82.61
गोंडी	8,94,806	4.29
उड़िया	8,19,098	3.93
हलाबी	5,44,874	2.62
कुरुख	4,44,008	2.13
बंगाली	2,08,669	1.00

- 10.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।
- 10.3 उन जिलों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है जहां अल्पसंख्यक भाषाएं 60 प्रतिशत या अधिक स्थानीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं। साथ ही, उन जिलों/तहसीलों/तालुकाओं/नगरपालिकाओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है जहां अल्पसंख्यक भाषाएं 15 प्रतिशत अथवा अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में, भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है :

10.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

- क. महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं इत्यादि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन की व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उत्तर देने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

10.5 राज्य सेवाओं में भर्ती

- क. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा की जानकारी की पूर्वापेक्षा के संबंध में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।
- ख. राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में दिए जाने की अनुमति के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।
- ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

10.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

- क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने का प्राधिकार आयुक्त/निदेशक, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर के पास

है। यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता तथा भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा प्रासंगिक क्रियाविधि का प्रावधान-2007 छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए विहित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज को संलग्न किया जाना अपेक्षित है:

- i. फर्म तथा संस्था का पंजीकरण।
- ii. नियमावली
- iii. आवेदन से पूर्व तीन वर्षों के परीक्षित लेखे तथा वार्षिक रिपोर्ट।
- iv. भर्ती नियम-शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक भर्ती नियम, जो भी लागू हो।
- v. संस्था की चल, अचल संपत्ति की सूची तथा उनका सत्यापित मूल्यांकन पत्र, पाठ्यक्रम की सूची, शिक्षण/गैर-शिक्षण संकाय की शैक्षणिक अर्हताओं, उनके पद, वेतन एवं अन्य विवरण, मान्यता प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात् अखिल भारतीय शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) का प्रमाण पत्र एवं संबंधन विश्वविद्यालय/बोर्ड का प्रमाण पत्र।
- vi. राज्य सरकार द्वारा विहित शुल्क।
- vii. हलफनामा (विहित फार्मेट में संलग्न किया जाना है)

ख. 30 जून, 2015 तक भाषावार मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की संख्या के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में भाषाई अल्पसंख्यकों से कोई अभ्यावेदन/शिकायत/याचिका के प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

10.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता-अनुदान

क. सहायता-अनुदान संस्वीकृत करने के नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित प्राधिकारी के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। बताया गया है कि सहायता-अनुदान राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार संस्वीकृत किए जाते हैं।

ख. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2014-15 में सहायता-अनुदान दिए जाने का विवरण निम्नवत् है :

अल्पसंख्यक भाषा	विद्यालयों की संख्या			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
उर्दू	05	1	—	03
पंजाबी	02	—	—	01

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

10.8 प्राथमिक स्तर (1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	03	180	16	11:1

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	02	185	10	18:1
तेलुगु	02	188	11	17:1

10.9 उच्च प्राथमिक स्तर (6 से 8)

- क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	01	140	04	30:1

10.10 माध्यमिक स्तर (9 से 10)

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

10.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (11 से 12)

- क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	02	180	06	30:1
तेलुगु	01	188	03	30:1

10.12 त्रिभाषा सूत्र

- क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैं:
- प्रथम भाषा : विशेष हिंदी/सामान्य अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू
द्वितीय भाषा : विशेष अंग्रेजी/सामान्य हिंदी/संस्कृत/उर्दू
तृतीय भाषा : विशेष उर्दू/सामान्य हिन्दी/संस्कृत/अंग्रेजी
- ख. कक्षा 8, 10 एवं 12 में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल छात्रों के ब्योरे के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

10.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

- क. उर्दू को एक विषय और शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत/सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	340	340	—	—

- ख. अल्पसंख्यक भाषा को एक माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का ब्यौरा निम्नवत् है:

प्रशिक्षण संस्थान	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
एस०सी०ई०आर०टी०	हिंदी	उर्दू

- ग. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान-प्रदान के लिए तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग/व्यवस्था के संबंध में बताया गया है कि शिक्षकों को उर्दू भाषा का प्रशिक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा यू०पी०एस०सी०ई०आर०टी० से प्रदान किया जाता है।

10.14 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें

- क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री, मुफ्त में और समय से उपलब्ध कराई जाती है।
- ख. अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य-पुस्तकों को तैयार एवं प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण छत्तीसगढ़ स्टेट टेक्स्ट बुक कारपोरेशन है जो सभी विषयों और विविधीकृत विषयों की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करता है।

10.15 स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

स्कूलों में भाषाई वरीयता के रखरखाव के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग आंकड़े तैयार करता है।

10.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन तथा विकास

- क. ऐसा सूचित किया गया है कि उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अकादमी गठित की गई है।
- ख. अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन और विकास हेतु स्थापित अकादमियों का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	संस्था का नाम	कब स्थापित हुआ	वर्ष 2014-15 हेतु बजट
उर्दू	छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी	01 अक्टूबर 2003	करीब 45.00 लाख रु./-

10.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

- क. बताया गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति गठित की गई है। इसके अलावा, सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति विद्यमान है।
- ख. बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अल्पसंख्यक आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों को भी देखता है।
- ग. सूचना दी गई है कि राज्य के सभी जिलों के जिलाधीशों को राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी कार्य सौंपे गए हैं।

10.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

- क. संवैधानिक अधिकारों तथा रक्षोपायों के प्रचार-प्रसार के संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर सूचना उपलब्ध करते हैं।

- ख. सूचना दी गई है कि रक्षोपायों की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पोस्टर प्रकाशित किए जाते हैं। यह भी बताया गया है कि प्रदर्शन बोर्ड, बैनर इत्यादि के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं को प्रदर्शित करने हेतु जिला तथा तहसील कार्यालयों को आदेश जारी किए गए हैं।

निष्कर्ष / संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार से उन जिलों, तहसीलों तथा नगरपालिका क्षेत्रों को अधिसूचित करने का आग्रह है जहां की 15 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या अल्पसंख्यक भाषाओं के बोलने वाले हैं।
- ख. राज्य सरकार को उन जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका के भाषाई अल्पसंख्यकों जहां उनकी जनसंख्या 15 प्रतिशत या अधिक है, के हितार्थ नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं इत्यादि का प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- ग. राज्य सरकार को शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति, और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- घ. राज्य सरकार द्वारा राज्य में उड़िया तथा बंगाली सहित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- ङ. राज्य सरकार द्वारा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण के लिए शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि उर्दू के लिए किया जाता है।
- च. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।
- छ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ज. राज्य सरकार को राज्य स्तरीय समिति में अधिमानतः भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के स्थानीय सांसद को शामिल करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति में भी अधिमानतः भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के स्थानीय विधायक को शामिल किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- झ. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर समय पर, प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 10.19 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

11.1 जनगणना-2001 के अनुसार झारखण्ड की जनसंख्या 2,69,45,829 है तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नलिखित है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	1,55,10,587	57.56
संथाली	28,79,576	10.69
बंगाली	26,07,601	9.68
उर्दू	23,24,411	8.63
कुरुख/ओरांव	8,61,843	3.20
मुंदारी	8,60,275	3.19
हो	7,82,078	2.90
उड़िया	4,67,874	1.74

11.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

11.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार द्वारा उन क्षेत्रों/जिलों/तहसीलों/नगर पालिका में 15 प्रतिशत या उससे अधिक बोलने वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों, सूचनाओं आदि का अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
- ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने, और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देने का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्व ज्ञान को पूर्वापेक्षित नहीं बनाया जाना चाहिए।
- घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भाषाई वरीयता पंजियों का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा सुगम हो सके।
- ड. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता

द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

- च. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।
 - छ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।
 - ज. राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। भाषाई अकादमियों को स्थापित किया जाना चाहिए तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास के लिए इन्हें समुचित रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।
 - झ. रक्षोपायों एवं उपलब्ध सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू करने की आवश्यकता है।
 - ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है।, उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जाए जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
 - ट. झारखण्ड राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावलियों का विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 11.4 झारखण्ड राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से, लागू किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 12.1 जनगणना-2001 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 6,03,48,023 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	5,26,58,687	87.26
भीली / भिलोड़ी	29,73,201	4.93
मराठी	12,66,038	2.10
उर्दू	11,86,364	1.97
गोण्डी	9,25,417	1.53

- 12.4 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 12.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- 12.4 आयुक्त ने सहायक आयुक्त के साथ 8 से 10 अक्टूबर, 2015 तक भोपाल का दौरा किया और माननीय उच्चतर शिक्षा, स्कूल शिक्षा मंत्रियों, मुख्य सचिव तथा मध्य प्रदेश सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में चर्चा की। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि राज्य में सभी भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषाएं पढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा मंत्री ने राज्य में उर्दू अकादमी की आवश्यकताओं की जांच करने तथा उर्दू भाषा के संवर्धन पर सहमति दी। भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने स्कूलों के दाखिले-प्रपत्र में तीन स्तंभ शामिल करने का आग्रह किया ताकि (i) बच्चे की मातृभाषा; (ii) माता/पिता द्वारा तरजीह दिए गए शिक्षण का माध्यम; (iii) माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तीसरी भाषा की जानकारी मिल सके और भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए मातृभाषा पढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
- 12.5 सचिव, जनजातीय मामले ने राज्य में भीली/भिलोड़ी जनजातीय भाषाओं को संरक्षित करने तथा इनमें शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। सूचना दी गई कि इन भाषाओं में प्राथमिक पाठ्य-पुस्तकें तथा वर्क-बुक तैयार की गई। सी एल एम ने जनजातीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए जनजातीय संस्थान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए) द्वारा संचालित जनजातीय भाषाओं पर एक कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया। सिंधी भाषा-भाषियों के प्रतिनिधियों ने स्कूल स्तर पर सिंधी पढ़ने की व्यवस्था की मांग की। सी एल एम ने संस्कृत बोर्ड और भोज विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत में पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की।

- क. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
- ख. राज्य सरकार को शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- ग. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।
- घ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ङ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।
- च. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, "एक जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- छ. मध्य प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 12.6 मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 13.1 जनगणना-2001 के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या 84,89,349 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	74,66,413	87.95
उर्दू	4,97,081	5.86
पंजाबी	2,47,084	2.91
बंगाली	1,23,190	1.45
नेपाली	91,047	1.07

- 13.2 राज्य की राजभाषा: राज्य की राजभाषा हिंदी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 13.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा उत्तराखण्ड राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से संबंधित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।
- ख. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- घ. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- ङ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।
- च. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

- छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर-विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।
- ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।
- ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- ट. उत्तराखण्ड सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 13.4 उत्तराखण्ड सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 14.1 जनगणना 2001 के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16,61,97,921 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है :

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	15,17,70,131	91.32
उर्दू	1,32,72,080	7.99
पंजाबी	5,23,094	0.31
नेपाली	2,63,982	0.16
बंगाली	1,81,634	0.11

- 14.2 जिले की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या अधिक द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा, जिले/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या इससे अधिक द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

- 14.3 क. राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

ख. राज्य की अतिरिक्त राजभाषा : उर्दू को राज्य की अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है:

- 14.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचित किया गया है कि उर्दू भाषा में अर्जियों/आवेदनों की प्राप्ति के निर्देश राज्य सरकार के भाषा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि उर्दू भाषा में प्राप्त अभ्यावेदनों का उसी भाषा में उत्तर दिये जाने के आदेश भाषा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

- 14.5 राज्य सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि दिनांक 18.08.1994 की अधिसूचना के साथ प्रख्यापित उत्तर प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा (लिखित परीक्षा का माध्यम) नियम, 1994 के नियम 5 के अनुसार सामान्य हिंदी का अनिवार्य पत्र रखने का प्रावधान है।

ख. सूचना दी गई है कि उपर्युक्त उल्लिखित नियमों के नियम-4 में प्रावधान किया गया है कि कोई अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में रोमन लिपि में या हिंदी में देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू में फारसी लिपि में दे सकता है, परन्तु भाषा विषय के पत्रों का उत्तर उसी भाषा में अवश्य ही दिया जाना चाहिए।

ग. सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए कोई अधिवासीय प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।

14.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है।

14.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

14.8 प्राथमिक स्तर (1 से 5)/उच्चतर स्तर (6 से 8)

राज्य में शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को दी जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

14.9 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित भाषाएं पढ़ाई जाती हैं:

प्रथम भाषा	—	हिन्दी
द्वितीय भाषा	—	अंग्रेजी
तृतीय भाषा	—	उर्दू/संस्कृत

ख. तथापि त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अल्पसंख्यक भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

14.10 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के संस्वीकृत/भरे हुए पदों के बारे में कोई जानकारी नहीं प्रदान की है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

14.11 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें

क. अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. पाठ्य-पुस्तकों को तैयार एवं प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी एंजेसी तथा पाठ्य-पुस्तकों के प्रापण के लिए अंतर-राज्य व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

- ग. भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री प्रतियोगी/रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में राज्य सरकार से कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है।

14.12 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु भाषाई वरीयता पंजियों के रख-रखाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

14.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक भाषा के रूप में कोई भी भाषा घोषित नहीं है, तथापि, अल्पसंख्यक भाषाओं तथा उनके साहित्य के संवर्धन, प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए उ०प्र० सिन्धी अकादमी, उ०प्र० पंजाबी अकादमी, उ०प्र० उर्दू अकादमी गठित है। भाषाई अकादमियों का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित किया गया	वर्ष 2014-15 हेतु बजट
सिन्धी	उ०प्र० सिन्धी अकादमी	7.2.1996	33.20 लाख
पंजाबी	उ०प्र० पंजाबी अकादमी	17.3.1998	24.94 लाख
उर्दू	उ०प्र० उर्दू अकादमी लखनऊ	1972	6,20,16000 /—
उर्दू	फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ	1976	51,98,000 /—

14.14 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के अनुवीक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य या जिला स्तर पर गठित समिति अथवा तंत्र के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

14.15 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

- क. सूचित किया गया है कि सूचना विभाग विगत 67 वर्षों से "नया दौर" नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता आ रहा है जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास एवं रक्षोपायों से संबंधित लेख अक्सर ही प्रकाशित किए जाते हैं।
- ख. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यकों के विकास तथा उन्हें प्रदत्त रक्षोपायों के संबंध में उनको सूचित करने के लिए जुलाई 2013 से जून, 2014 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रचार-प्रसार संबंधी पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं तथा सभी जिलों में वितरित की गईं:-

1. उत्तर प्रदेश सरकार की अहम हसूलयाबयां
2. पूरे होते वादे
3. उत्तर प्रदेश अकलियती विरादरी को तहफफुज के साथ तरक्की के मवाके
4. तेज रफ्तार तरक्की में नौजवानों की हिस्सेदारी
5. रियासत के बाशिंदों के बेहतर सेहत के लिए बेहतरीन इलाज की सहूलियत
6. देही तरक्कियात और किसानों के मुफाद में हुकुमत की जानिब से उठाए गए कदम

7. ख्वातीन को मिल रहे हैं मवाके
8. तरक्कियात का एजेंडा-2014
9. अकलियती वहबूद

यह भी बताया गया है कि “कामयाबी के कदम” तामीर और तरक्की का एक साल, तथा एजेन्डा ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट नामक प्रचार-प्रसार संबंधी पुस्तिकाएं उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई हैं तथा राज्य के सभी जिलों में वितरित की गई हैं।

- ग. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास तथा उनके रक्षोपायों के लिए राज्य/जिलों के दैनिक समाचार-पत्र, साप्ताहिक एवं मासिक समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में समय-समय पर विज्ञप्ति तथा विज्ञापन उर्दू भाषा में प्रकाशित किए गए हैं।
- घ. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों से संबंधित सूचना-पट्ट भी समय-समय पर लगाए जाते हैं तथा उर्दू समाचार पत्रों, एजेन्सियों, न्यूज चैनलों इत्यादि पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है।

निष्कर्ष/संस्तुतियां

- क. जिन जिला/तहसील/तालुक/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि उर्दू के मामले में किया जाता है। इस संबंध में, सरकार का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 347, 350 तथा उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1989 की ओर दिलाया जाता है। इसके अलावा, इस बात को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की इस विषय-वस्तु पर किए गए लंबे विचार-विमर्शों के बाद दोहराया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन से गंगा-जमुना संस्कृति तथा राज्य में उर्दू के विकास की संभावना भी सुदृढ़ होगी। अतः इस अधिनियम को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने का आग्रह किया जाता है।
- ख. शिकायतों के निवारण हेतु उर्दू के अलावा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ग. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता तथा ऐसे संस्थानों के सहायता-अनुदान से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए किसी प्राधिकारी को पदनामित करने का भी आग्रह किया जाता है।
- घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में ‘भाषाई वरीयता पंजियों’ का रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर-विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।
- ङ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

- च. भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में आया है कि माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट शिक्षा में उर्दू को एक विषय के रूप में लिया जा सकता है। तथापि, हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड ने इस तरह के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा नियम बनाए हैं कि उर्दू भाषा-पत्र को महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि विज्ञान, गणित, वाणिज्य, संस्कृत इत्यादि के साथ नहीं लिया जा सकता है। अतः राज्य को इस संबंध में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि उर्दू भाषाभाषी अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए आधुनिक विज्ञान, गणित तथा वाणिज्य पढ़ने के अपने मौलिक अधिकारों से वंचित न हो जाएं।
- छ. भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में यह भी आया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिसूचना 1952 (अब यह इंटरमीडिएट बोर्ड के रूप में ज्ञात है) में घोषणा की गई थी कि "संस्थाओं को हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए ही मान्यता दी जाएगी"। इससे गैर-हिंदी माध्यम स्कूल मान्यता के अधिकार से पूर्णतः वंचित हो गए हैं तथा यह संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में प्रदत्त रक्षोपयों के प्रतिकूल है। अतः राज्य से इस खंड की पुनर्जांच तथा इसमें उपयुक्त रूप से संशोधन करने का आग्रह किया जाता है ताकि राज्य में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
- ज. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रक्षोपाय कार्यान्वयन समिति का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- झ. उत्तर प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 14.16 उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 15.1 जनगणना 2001 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 10,97,968 है तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नलिखित है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
निस्सी/डाफला	2,08,337	18.97
आदि	1,93,379	17.61
बंगाली	97,149	8.85
नेपाली	94,919	8.64
हिन्दी	81,186	7.39

- 15.2 राज्य सरकार ने उन जिले/तहसील/तालुका/नगरपालिका आदि के बारे में कोई सूचना नहीं दी है जहाँ भाषाई अल्पसंख्यक उस क्षेत्र की जनसंख्या के 15 प्रतिशत अथवा इससे अधिक संख्या में हैं।
- 15.3 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

15.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

- क. बताया गया है कि सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं का अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद/प्रकाशन की व्यवस्था नहीं है।
- ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने एवं उनके उत्तर संबंधित भाषा में देने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

15.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

- क. सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राजभाषा का ज्ञान पूर्वपेक्षित नहीं है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने अब तक किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में चिन्हित/अधिसूचित नहीं किया है।
- ख. यह भी बताया गया है कि राज्य सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति नहीं है।
- ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध के लागू होने के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

15.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

- क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने संबंधी नियम, विनियम एवं दिशा निर्देश को राज्य सरकार द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
- ख. बताया गया है कि राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें/याचिका नहीं प्राप्त हुई है।

15.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

- क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता-अनुदान की स्वीकृति के लिए नियम, विनियम, दिशा निर्देश एवं सक्षम प्राधिकारी के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार ने अब तक किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा चिन्हित या अधिसूचित नहीं किया है।
- ख. वर्ष 2014-2015 के दौरान सहायता-अनुदान प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की संख्या के संबंध में सूचित किया गया है कि अब तक किसी भी व्यक्ति/संस्था/गैर-सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

15.8 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर

राज्य में शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

15.9 त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत हैं :

प्रथम भाषा	:	अंग्रेजी
द्वितीय भाषा	:	हिन्दी
तृतीय भाषा	:	संस्कृत/स्थानीय बोलियाँ (जनजातीय)

हालांकि, राज्य सरकार द्वारा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कक्षा 8, 10 और 12 के अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

15.10 अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षक

अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

15.11 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री की आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

15.12 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रखरखाव के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

15.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचित किया गया है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास की कोई योजना नहीं है।

15.14 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए राज्य/जिला स्तर पर कोई समिति नहीं स्थापित की गई है।

ख. सूचना दी गई है कि राज्य में कोई राज्य अल्पसंख्यक आयोग नहीं है।

15.15 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

क. भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्यों में उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में सूचित करने के लिए किसी तंत्र के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ख. यह भी बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनजातीय लोगों का अधिवास है, जो विभिन्न बोलियाँ बोलते हैं। भोटी और पाली को छोड़कर इन बोलियों की कोई लिपि नहीं है।

निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा व्यापक उत्तर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाभाषियों की पहचान करने की भी आवश्यकता है तथा प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषा के इस्तेमाल को सुसाध्य बनाना चाहिए।

ख. राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तथापि इस संबंध में अधिसूचना जारी होना अभी शेष है।

ग. राज्य की मुख्य राजभाषा से इतर किसी अन्य भारतीय भाषा के बोलने वाले उक्त राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भले ही इन भाषाओं की कोई लिपि न हो। राज्य सरकार को विभिन्न अल्पसंख्यक/जनजातीय भाषाओं को संसाधन समझना चाहिए और, इसलिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर संरक्षण तथा संवर्धन करना चाहिए ताकि ये भाषाएं लुप्त न हो जाएं। संरक्षण हेतु राज्य सरकार को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान सी०आई०आइ०एल० मैसूर से मिलकर समुचित लिपि विकसित करने/अपनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इन भाषाओं को संरक्षित किया जा सके।

घ. उन क्षेत्रों में, जहाँ अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वाले उस क्षेत्र विशेष की आबादी के 15 प्रतिशत या इससे अधिक हैं, महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि को भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

- ड. शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने, और उनके उत्तर संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में दिए जाने के लिए उपयुक्त आदेश जारी किए जाने चाहिए।
- च. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने तथा सहायता-अनुदान संस्वीकृत करने के लिए प्रासंगिक नियमों व विनियम/दिशानिर्देश की समीक्षा करनी चाहिए तथा इस प्रयोजनार्थ सक्षम अधिकारी को नामित करना चाहिए।
- छ. राज्य सरकार के विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर-विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।
- ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- झ. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में, विस्तृत सूचना प्रेषित की जानी चाहिए।
- ञ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- ट. रक्षोपायों एवं उपलब्ध सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा इनका व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू करने की आवश्यकता है।
- ठ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रक्षोपाय समिति का गठन करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जाना चाहिए जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- ड. राज्य में जनजातीय भाषाओं के विकास हेतु राज्य सरकार को सी०आई०आई०एल०, मैसूर की समुचित सहायता विशेषता से लाभ उठाना चाहिए।
- ढ. अरुणाचल प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण किया जाना जाए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 15.16 अरुणाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 16.1 जनगणना 2001 के अनुसार असम की जनसंख्या 2,66,55,528 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
असमिया	1,30,10,478	48.81
बंगाली	73,43,338	27.55
हिन्दी	15,69,662	5.89
बोडो	12,96,162	4.86

- 16.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा असमिया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 16.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।
- ख. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- घ. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- ङ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।
- च. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

- छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर-विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।
- ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।
- ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- ट. असम सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।
- 16.4 असम सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 17.1 जनगणना 2001 के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या 21,66,788 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है (इसमें सेनापति जिले के पाओमाता, माओ-मरम् और पुरुल अनुमण्डलों के आंकड़े शामिल नहीं हैं) :

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
मणिपुरी	12,66,098	58.43
थाडो	1,78,696	8.25
तांगखुल	1,39,979	6.46
काबुई	87,950	4.06
पड़ते	48,379	2.23
नेपाली	45,998	2.12
हमार	43,137	1.99
वाईफेई	37,553	1.73
लियांगमेई	32,787	1.51
बंगाली	27,100	1.25
हिन्दी	24,720	1.14
अनल	22,187	1.02
मारिंग	22,154	1.02

- 17.2 क. जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 60 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है उनका विवरण निम्नवत् है:

भाषा	भाषा	प्रतिशतता
उखरुल	तांगखुल	—
तामंगलांग	काबुई, कच्चा नागा	—
चूड़ाचांदपुर	थाडो, पड़ते, हमार, वाईफेई	—
चंडेल	अनल	—
सेनापति	—	—

यह भी बताया गया है कि मणिपुर के पहाड़ी जिलों में मुख्य रूप से बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाएं दर्शाई गई हैं और जिला स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों की भाषावार प्रतिशतता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

- ख. जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है उनका ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा	प्रतिशतता
सेनापति	माओ, पोमाई	—
चंडेल	मारिंग	—
चूड़ाचांदपुर	जोउ, लुसाई, सिमटी	—

17.3 क. राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा मणिपुरी है।

ख. अतिरिक्त राजभाषा : सूचित किया गया है कि अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य भाषा को राज्य की अतिरिक्त राजभाषा घोषित नहीं किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है:

17.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में सरकारी नियमों, आदेशों तथा सूचनाओं इत्यादि के अनुवाद एवं प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति एवं उत्तर देने के संबंध में कोई आदेश मौजूद नहीं है।

17.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ग. यह भी बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबन्ध लागू होते हैं।

17.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने से संबंधित नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित सक्षम प्राधिकारी के संबंध में बताया गया है कि मणिपुर में भाषाई अल्पसंख्यकों का कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। तथापि, बताया गया है कि मणिपुर में 36 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। उनमें से अधिकांश राज्य के 5 पर्वतीय जिलों में रहती हैं तथा उनके बच्चे, निम्नलिखित विवरण के अनुसार जिलों के 5 पर्वतीय विद्यालयों में पढ़ते हैं:

जिलों के नाम	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		उच्च विद्यालय		जूनियर हाई स्कूल		प्राथमिक विद्यालय	
	सरकारी	सहायता प्राप्त	सरकारी	सहायता प्राप्त	सरकारी	सहायता प्राप्त	सरकारी	सहायता प्राप्त
उखरूल	4	—	22	2	35	2	27	33
सेनापति	1	—	9	7	51	9	69	72
ताम्रेंगलांग	3	—	9	1	30	—	46	27
चूड़ाचांदपुर	—	—	27	3	45	24	50	40
चंदेल	—	—	7	—	15	5	29	40

17.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के आधार पर राज्य सरकार ने कोई विशिष्ट स्कूल सहायता-अनुदान शुरू नहीं किया है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

17.8 प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर

- क. सूचित किया गया है कि जहां तक राज्य में शिक्षा (शिक्षण एवं परीक्षा) के माध्यम का प्रश्न है, कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी और मणिपुरी में शिक्षा दी जाती है; तथा कक्षा 10 के बाद अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में जारी रखा जाता है।
- ख. यह भी सूचित किया गया है कि निम्नलिखित मान्यताप्राप्त जनजातीय भाषाएं स्कूल में एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही हैं:

भाषा	कक्षा से	कक्षा तक
पौमाई	प्रथम	आठवीं
लियांगमेई	प्रथम	आठवीं
गंगटे	प्रथम	आठवीं
माओ	प्रथम	दसवीं
रोंगमई	प्रथम	दसवीं
कोम	प्रथम	बारहवीं
वाईफेई	प्रथम	बारहवीं
मिजो	प्रथम	बारहवीं
जोउ	प्रथम	बारहवीं
तांगखुल	प्रथम	बारहवीं
हमार	प्रथम	बारहवीं
थाडोकुकी	प्रथम	बारहवीं
पइते	प्रथम	बारहवीं

17.9 त्रिभाषा सूत्र

- क. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं (कक्षा 3 से 10 तक) निम्नलिखित हैं:
- प्रथम भाषा : मणिपुरी या प्रमुख भारतीय भाषाओं में से एक (बंगाली, नेपाली, पंजाबी आदि) या तेरह मान्यता प्राप्त जनजातीय भाषाओं में एक भाषा
- द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
- तृतीय भाषा : मणिपुरी उनके लिए जिन्होंने इसे प्रथम भाषा के रूप में नहीं चुना है अथवा हिन्दी उनके लिए जिन्होंने हिन्दी को प्रथम भाषा के रूप में नहीं चुना है या प्रारम्भिक हिन्दी व प्रारम्भिक मणिपुरी उनके लिए जिन्होंने प्रथम भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त जनजातीय भाषाओं में से एक भाषा को चुना है।

- ख. तथापि, त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

17.10 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

- क. बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय/अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पद अब तक नहीं हैं। तथापि, विद्यालय के किसी भी ऐसे शिक्षक, जिसकी मातृभाषा, कोई मान्यताप्राप्त जनजातीय भाषा है, को यह भाषा पढ़ाने का कार्य सौंप दिया जाता है।

- ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय अथवा शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान-प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

17.11 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

- क. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरंभ में ही उपलब्ध करा दी जाती है।
- ख. यह भी सूचना दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मणिपुर तथा संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं की साहित्यिक संस्थाएं मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करती हैं।
- ग. सूचित किया गया है कि *सर्व शिक्षा अभियान* कार्यक्रम के अन्तर्गत, पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त वितरित की जाती हैं।

17.12 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

- क. बताया गया है कि राज्य में भाषाई वरीयता पंजियों का सफलतापूर्वक रख-रखाव अभी किया जाना है। तथापि, बताया गया है कि मणिपुर के पर्वतीय जिलों के सभी प्राथमिक स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' को खोलने हेतु शिक्षा विभाग, मणिपुर सरकार हर संभव प्रयास कर रहा है।
- ख. छात्रों की भाषाई वरीयता के संबंध में स्कूल में दाखिले के लिए दाखिल फार्म में आवश्यक स्तंभ शामिल करने के संबंध में बताया गया है कि अभी इसे शुरू किया जाना है।

17.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

- क. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जा रहे हैं:
- विस्तृत व्याकरण तथा पठन-पाठन सामग्री की तैयारी एवं प्रकाशन।
 - एकभाषी, द्विभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों का संकलन।
- ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक अकादमियों के ब्यौरे के संबंध में बताया गया है कि राज्य में अभी ऐसी अकादमी स्थापित की जानी है।

17.14 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

- क. बताया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए राज्य स्तर पर कोई तंत्र नहीं है। यह भी बताया गया है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग राज्य में गठित नहीं है।
- ख. बताया गया है कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देखरेख का कार्य राज्य शिक्षा विभाग (स्कूल) के संबंधित जोनल शिक्षा अधिकारियों को सुपुर्द किया गया है।

17.15 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

- क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं की जानकारी राज्य की राजभाषा में मीडिया द्वारा दी जाती है।
- ख. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना दी गई है कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम अभी चलाए जाने हैं। यह भी सूचित किया गया है कि भाषा के आधार पर शिकायतों को अभी वर्गीकृत किया जाना है।

निष्कर्ष / संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार से आग्रह है कि जिन जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ नियमों, विनियमों एवं सूचनाओं आदि का अनुवाद और प्रकाशन संबंधित अल्पसंख्यक/जनजातीय भाषाओं में सुनिश्चित करें।
- ख. राज्य सरकार को, राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए।
- ग. राज्य सरकार को भर्ती के समय क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए और न तो अधिवासी प्रतिबन्ध लागू करना चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हो सकें। राज्य सरकार को अभ्यर्थियों को राजभाषा सीखने के लिए नियत परिवीक्षाधीन अवधि में अवसर देना चाहिए।
- घ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।
- ङ. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों व उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता है।
- च. राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को भाषाई वरीयता पंजियों का रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर-विद्यालयीय समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।
- छ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ज. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं का राज्य में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

- झ. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए मुख्य सचिव/जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में क्रमशः राज्य/जिला स्तरीय समिति गठित किए जाने की आवश्यकता है।
- ज. मणिपुर सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के विस्तृत एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 17.16 मणिपुर सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लें तथा आवश्यक उपचारी कदम उठाएं, जिससे कि मणिपुर में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भाषाई रूपरेखा

- 18.1. जनगणना-2001 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या 23,18,822 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
खासी	10,91,087	47.05
गारो	7,28,424	31.41
बंगाली	1,85,692	8.01
नेपाली / गोरखाली	52,155	2.25
हिंदी	50,055	2.16
असमिया	36,576	1.58
राभा	22,395	0.97
कोच	20,834	0.90

- 18.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 18.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मेघालय राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों की उपस्थिति को समझने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों विनियमों तथा नोटिस इत्यादि का उन जिलों/तहसीलों/तालुकों/नगरपालिकाओं में प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जहां इन अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 15 प्रतिशत या अधिक है।
- ख. राज्य सरकार को प्रासंगिक नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए तथा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता-अनुदान की संस्वीकृति एवं मान्यता प्रदान करने हेतु प्राधिकारी नामित करना चाहिए।
- ग. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के स्वीकृत और भरे गए पदों तथा अल्पसंख्यक भाषा को विषय तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध करनी चाहिए।
- घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित

करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर-विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

- ड. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
 - च. राज्य सरकार द्वारा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।
 - छ. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
 - ज. मेघालय सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 18.4 मेघालय सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर ध्यान दें और आवश्यक उपचारी उपाय करें जिससे भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का राज्य में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भाषाई रूपरेखा

- 19.1 जनगणना 2001 के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या 8,88,573 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है :

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
लुशाई/मिजो	6,50,605	73.21
बंगाली	80,389	9.05
लाखेर	34,731	3.91
पावी	24,900	2.80
त्रिपुरी	17,580	1.98
पाइते	14,367	1.62
हमार	14,240	1.60
हिन्दी	10,530	1.19
नेपाली	8,948	1.00

- 19.2 राज्य की राजभाषा : मिजो, अंग्रेजी तथा हिंदी राज्य की राजभाषाएं हैं।
- 19.3 जिले की 60 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- 19.4 जिले की 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

19.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

- क. महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचना के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था के संबंध में मिजोरम सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।
- ख. शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषा में अभ्यावेदन की प्राप्ति तथा उसी भाषा में उत्तर देने के लिए कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।

19.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

- क. सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।
- ख. यह भी बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए प्रश्न-पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं दी गई है।

- ग. सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

19.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

- क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने के नियमों एवं विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- ख. सूचित किया गया है कि 30 जून, 2015 तक 71 बंगाली तथा 15 नेपाली शैक्षणिक संस्थाओं को भाषावार मान्यता दी गई है।
- ग. बताया गया है कि 30 जून, 2015 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता देने हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है।

19.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

- क. प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को सहायता-अनुदान की संस्वीकृति के लिए नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है।
- ख. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को वर्ष 2014-15 के लिए भाषावार सहायता-अनुदान जारी किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:

स्तर	अल्पसंख्यक भाषा	स्कूलों की संख्या
प्राथमिक	बंगाली,	54
	नेपाली	10
उच्च प्राथमिक/मिडिल	बंगाली	17
	नेपाली	03
माध्यमिक	बंगाली	शून्य
उच्चतर माध्यमिक	नेपाली	02

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

19.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

- क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
बंगाली	54	3,437	117	1:29
नेपाली	10	436	45	1:10

- ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
नेपाली	2	—	—	—

19.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
बंगाली	17	2,447	103	1:23
नेपाली	03	120	12	1:10

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
बंगाली	शून्य	—	—	—
नेपाली	2	—	—	—

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.12 उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12)

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और विषय के रूप में पढ़ाए जाने से संबंधित सूचना नहीं दी गई है।

19.13 त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत हैं:

प्रथम भाषा : मिजो
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : हिंदी

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विभिन्न भाषाएँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नवत है :

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
मिजो	2,447	20,230	11,800
अंग्रेजी	2,447	20,230	11,800
हिन्दी	2,447	20,230	11,800

19.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के विषय तथा माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के संस्वीकृत/भरे गए पदों का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
नेपाली	50	50	नेपाली	नेपाली
बंगाली	10	10	बंगाली	बंगाली

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।

19.15 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में उपलब्ध करा दी जाती है।

ख. बताया गया है कि बंगाली माध्यम की पाठ्य-पुस्तकों का प्रापण असम राज्य पाठ्य-पुस्तक रचना एवं प्रकाशन निगम जबकि नेपाली माध्यम की पाठ्य-पुस्तकों का प्रापण मेघालय तथा सिक्किम शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है।

ग. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री प्रतियोगी/रियायती दरों पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

19.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

बताया गया है कि भाषाई वरीयता पंजियों का स्कूलों में रख-रखाव नहीं किया जाता है। यह भी सूचित किया गया है कि राज्य में प्राथमिक स्तर पर स्कूल में दाखिले के लिए दाखिले फार्म में भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के बच्चों की भाषाई तरजीह का पता लगाने के लिए तीन आवश्यक स्तंभ नहीं है।

19.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. सूचना दी गई है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन करने हेतु कोई योजना नहीं है।

ख. राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

राज्य/जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने के लिए गठित तंत्र/समिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी देने हेतु कोई तंत्र नहीं है।

- ख. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षापायों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

निष्कर्ष / संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार को महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का उन जिलों/तहसीलों में अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद व प्रकाशन सुनिश्चित करना चाहिए जहाँ इनके बोलने वाले इन जिलों/तहसीलों की जनसंख्या के 15 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हों।
- ख. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रदान करने की आवश्यकता है।
- ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर-विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।
- घ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ङ. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।
- च. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- छ. मिजोरम सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 19.20 मिजोरम सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

20.1 जनगणना 2001 के अनुसार नागालैण्ड की जनसंख्या 19,90,036 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
आओ	2,57,500	12.94
कोन्याक	2,48,002	12.46
लोथा	1,68,356	8.46
अंगामी	1,31,737	6.62
फोम	1,22,454	6.15
सेमा	92,884	4.67
यिम चुंगरू	92,092	4.63
संगतम्	84,150	4.23
चोकरी	83,506	4.20
चंग	62,347	3.13
जेलियांग	61,492	3.09
बंगाली	58,890	2.96
रेंगमां	58,590	2.94
हिंदी	56,981	2.86
खुझा (खेज़ा)	40,362	2.02
खेईमुंगन	37,752	1.90
नेपाली	34,222	1.72
कुकी	16,846	0.85
असमिया	16,813	0.84
पाचुरी	16,681	0.84
जेमी	10,462	0.53
गारो	1,838	0.09
लियांगमई	1,295	0.07

20.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

20.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

क. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

- ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ग. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने और ऐसे संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण प्रदान करने के लिए अन्तर- विद्यालय समायोजनों को सुगम बनाया जा सके।
- ङ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- च. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- छ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। यह अत्यंत शोचनीय है कि शिक्षकों के लिए निधिकरण की सीमाबद्धता से शिक्षकों की तैनाती बाधित हो रही है। अतः राज्य सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों की तैनाती एवं प्रशिक्षण के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त निधिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएं।
- ज. यह भी सराहनीय है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अधिकतम अकादमियां हैं। अतः राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह है कि वे राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्याप्त निधिकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- झ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, "एक जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जाना चाहिए जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- ञ. नागालैण्ड सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 20.4 नागालैण्ड सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 21.1 जनगणना-2001, के अनुसार ओडिशा की जनसंख्या 3,68,04,660 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
उड़िया	3,05,63,507	83.04
हिन्दी	10,43,243	2.83
कुई	9,14,953	2.49
तेलुगु	7,12,614	1.94
संथाली	6,99,270	1.90
उर्दू	6,11,509	1.66
बंगाली	4,90,857	1.33

- 21.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा ओड़िया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 21.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार को उन जिलों/तहसील/तालुका/नगर पालिका जहां की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हों वहां भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि के संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में अनुवाद एवं प्रकाशन के संबंध में विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए।
- ख. शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखे अभ्यावेदन प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देना सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ग. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दिए जाने की आवश्यकता है।
- घ. राज्य सरकार को राज्य के सभी स्कूलों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषागत वरीयता दर्ज करने हेतु भाषाई वरीयता पंजियों का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर स्कूल समायोजन सुसाध्य हो सके।
- ङ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता

द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

- च. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।
 - छ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
 - ज. ओडिशा राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 21.4 ओडिशा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाए जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

22.1 जनगणना-2001 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 5,40,851 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
नेपाली	3,38,606	62.61
भोटिया	41,825	7.73
हिन्दी	36,072	6.67
लेपचा	35,728	6.61
लिम्बू	34,292	6.34
शेरपा	13,922	2.57
तमंग	10,089	1.87
राई	8,856	1.64

22.2 क. राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

22.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की मौजूदगी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को अल्पसंख्यक/जनजातीय भाषाओं को संसाधन के रूप में मानना चाहिए और इसलिए इन भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा (मातृभाषाओं) में शिक्षा प्रदान करने की सुविधाओं की व्यवस्था करके इन भाषाओं का संवर्धन तथा संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य सरकार को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०) के सहयोग से लिपिविहीन भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि तैयार करने/अपनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें विलुप्त होने के कगार से बचाया जा सके।

ख. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. राज्य सरकार को राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य में रोजगार के मामलों में समान अवसर प्राप्त हो सके। राज्य सरकार को अभ्यर्थियों को राजभाषा सीखने के लिए नियत परिवीक्षाधीन अवधि में अवसर प्रदान करना चाहिए।

- घ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए संवैधानिक रक्षोपायों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
- ड. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या सहित भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- च. राज्य सरकार से अनुरोध है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करें।
- छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर-विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।
- ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- झ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का राज्य में व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।
- ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- ट. सिक्किम सरकार के नोडल अधिकारी से अनुरोध है कि वे आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 22.4 सिक्किम सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 23.1 जनगणना-2001 के अनुसार त्रिपुरा की जनसंख्या 31,99,203 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
बंगाली	21,47,994	67.14
त्रिपुरी / कोकबोरोक	8,14,375	25.46
हिंदी	53,691	1.68
मोघ	28,850	0.90
उड़िया	23,899	0.75
विष्णुप्रिया मणिपुरी	21,716	0.68
मणिपुरी	20,716	0.65
हलाम	17,990	0.56
गारो	11,312	0.35

- 23.2 राज्य की राजभाषाएँ : राज्य की राजभाषाएँ बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक हैं।
- 23.3 बताया गया है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएँ बोली जाती हैं। तथापि, कोकबोरोक भाषा जिले की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक द्वारा निम्नवत् बोली जाती है:

जिला	भाषा	प्रतिशतता
पश्चिम	कोकबोरोक	40
उत्तर	कोकबोरोक	19
दक्षिण	कोकबोरोक	35
ढालाई	कोकबोरोक	51
सेपहिजाला	कोकबोरोक	25
गेमती	कोकबोरोक	45
खोवाई	कोकबोरोक	49
उनाकोटी	कोकबोरोक	18

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है:

23.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

- क. सूचना दी गई है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं इत्यादि के कोकबोरोक भाषा में अनुवाद एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की गई है।
- ख. यह भी सूचित किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, द्वारा कोकबोरोक में जागरूकता संबंधी पर्चियां प्रकाशित की गई तथा आई०सी०ए०

विभाग कोकबोरोक भाषा में जागरूकता संबंधी पर्चियां प्रकाशित करता है। यह भी बताया गया है कि कोकबोरोक तथा अन्य अल्पसंख्यक भाषा निदेशालय, त्रिपुरा द्वारा भी कोकबोरोक, हलम, चकमा, मोग, कुकी-मिजो, मणिपुरी, बी-मणिपुरी इत्यादि जैसी विभिन्न भाषाओं में एक अर्धवार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित की गई।

- ग. ऐसा सूचित किया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदन अल्पसंख्यक भाषा में प्राप्त किए जाते हैं तथा उनपर कार्रवाई की जाती है। यह भी सूचना दी गई है कि उनके उत्तर उसी अल्पसंख्यक भाषा में देने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

23.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

- क. सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।
- ख. यह भी सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं के प्रश्नों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।
- ग. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध अंशतः लागू होते हैं।

23.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

- क. राज्य सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के लिए नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा नाम-निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।
- ख. सूचित किया गया है कि समीक्षाधीन अवधि में किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को भाषावार मान्यता नहीं दी गई है और राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें/याचिकाएं नहीं प्राप्त हुई हैं तथा आज की स्थिति के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करने के संबंध में कोई भी आवेदन, भाषावार लंबित नहीं है।

23.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है। तथापि, इस संबंध में समीक्षाधीन अवधि के लिए कोई आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

23.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

- क. सूचना दी गई है कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर कोई भी अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है।

- ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
विष्णुप्रिया मणिपुरी	36	4,451	72
चकमा	58	5,472	29
हलम	90	850	45
मोग	37	445	37
मणिपुरी	22	1,626	22
कुकी-मिजो	17	250	17

23.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

- क. सूचना दी गई है कि शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है।
- ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
कोकबोरोक	46	8,240	80

23.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

- क. सूचना दी गई है कि राज्य में शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर कोई भी अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है।
- ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
कोकबोरोक	46	8,240	80

23.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12)

- क. सूचना दी गई है कि राज्य में शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कोई भी अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है।
- ख. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

23.12 त्रिभाषा सूत्र

- क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत निम्नलिखित भाषाएं पढ़ाई जाती हैं:

प्रथम भाषा	:	बंगाली/कोकबोरोक/विष्णुप्रिया मणिपुरी/चकमा
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	अरबी/हिन्दी/संस्कृत

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कक्षा 8, 10 तथा 12 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत् है :

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
कोकबोरोक	2,832	शून्य	शून्य

23.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. कोकबोरोक भाषा को पढ़ाने के लिए शिक्षकों का विवरण निम्नवत् है :

भाषा	विषय के रूप में	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
कोकबोरोक	2,517	2,517

ख. कोकबोरोक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाने हेतु, शिक्षकों के प्रशिक्षण का विवरण निम्नवत् है :

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान (डायट) अगरतला, कमालपुर, काकराबन, कैलाशहर	—	कोक—बोरोक

ग. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान—प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों से सहयोग/व्यवस्था के संबंध में बताया गया है कि अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

23.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य—पुस्तकें

क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य—पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य—पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री तैयार और प्रकाशित कराने हेतु एस०सी०ई०आर०टी०, त्रिपुरा प्रमुख अभिकरण है। कक्षा 8 तक सभी विद्यार्थियों को पाठ्य—पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।

23.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख—रखाव

भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रख—रखाव के विषय में सूचना दी गई है कि छात्र सामान्यतः अपनी पसंद के अनुसार भाषा का चयन करते हैं।

23.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को संबंधित सलाहकार समिति के निर्णयानुसार बढ़ावा दिया जा रहा है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

23.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

- क. ऐसा बताया गया है कि संबंधित भाषाओं की सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।
- ख. यह भी बताया गया है कि संबंधित समिति (समितियों) की अध्यक्षता में प्रायः बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- ग. सूचित किया गया है कि राज्य में राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित नहीं किया गया है। तथापि, बताया गया है कि भाषाई निदेशालय अर्थात् कोकबरोक एवं अन्य अल्पसंख्यक भाषा निदेशालय स्थापित हैं। यह भी सूचित किया गया है कि प्रत्येक भाषाई अल्पसंख्यक की एक सलाहकार समिति है जो संबंधित भाषा के रक्षोपायों एवं विकास का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है।

23.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को, उन्हें उपलब्ध सुविधाओं और रक्षोपायों के बारे में जानकारी देने के लिए संबद्ध भाषा सलाहकारी समिति स्थापित है। आई०सी०ए० विभाग तथा दूसरे विभाग भी भाषाई अल्पसंख्यक के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के विस्तृत विवरण वाली पर्चियां, विज्ञापन इत्यादि प्रकाशित करते हैं।

निष्कर्ष/संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार को राज्य की सेवाओं में भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर, जोर नहीं देना चाहिए ताकि राज्य में रोजगार के मामले में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार को, अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा अवधि के भीतर राजभाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए।
- ख. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा है या नहीं। राज्य सरकार को इस संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- ग. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के पदों की संख्या के संबंध में प्रदत्त सूचना स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसमें केवल कोकबरोक का उल्लेख है। अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जैसा कि कोकबरोक के मामले में किया जाता है।
- घ. राज्य सरकार को राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने के लिए अनुमति प्रदान करने पर विचार करना चाहिए तथा राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए।
- ड. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण प्रदान करने हेतु अन्तर-विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

- च. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- छ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- ज. राज्य सरकार को राज्य में सभी अल्पसंख्यक भाषाओं/जनजातीय भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।
- झ. त्रिपुरा सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को पेश कर सकें।
- 23.19 त्रिपुरा सरकार से अनुरोध है कि ऊपर दिए गए बिन्दुओं को ध्यान में रखे और राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपचारी उपाय करें।

भाषाई रूपरेखा

- 24.1 जनगणना-2001, के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 8,01,76,197 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
बंगाली	6,83,69,255	85.27
हिंदी	57,47,099	7.17
संथाली	22,47,113	2.80
उर्दू	16,53,739	2.06
नेपाली	10,22,725	1.28
उड़िया	1,86,391	0.23
पंजाबी	67,952	0.085

- 24.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा बंगाली है। दार्जिलिंग जिले के दार्जिलिंग तथा कुर्सियांग अनुमण्डलों में बंगाली और नेपाली को भी राजभाषाएं घोषित किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 24.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

संस्तुतियां

- क. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।
- ख. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- घ. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- ङ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

- च. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।
- छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर-विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।
- ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।
- ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- ट. पश्चिम बंगाल सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।
- 24.4 पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए आवश्यक उपचारी उपाए किए जाएं ताकि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भाषाई रूपरेखा

25.1 जनगणना-2001 के अनुसार दादरा और नगर हवेली की जनसंख्या 2,20,490 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
भीली / भिलोडी	89,132	40.42
गुजराती	52,074	23.62
हिन्दी	33,237	15.07

25.2 संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा : सूचना दी गई है कि हिंदी एवं गुजराती इस संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

25.3 यह चिंता का विषय है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए भाषाई वरीयता पंजियों का रखरखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके।
- ख. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ग. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में भीली/भिलोडी, कोंकणी भाषाएं बोलने वालों लोगों की उपस्थिति को समझने तथा इन अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधाओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- ङ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाने वाली जनजातीय/अल्पसंख्यक भाषाओं को बढ़ावा/संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। संघ राज्य क्षेत्र में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विकास के लिए भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

- च. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए प्रशासक की अध्यक्षता में संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन समिति गठित करने की सलाह दी जाती है।
- 25.4 दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भाषाई रूपरेखा

- 26.1 जनगणना-2001 के अनुसार दमन और दीव की जनसंख्या 1,58,204 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
गुजराती	1,07,090	67.69
हिन्दी	30,754	19.44
मराठी	6,763	4.27

- 26.2 संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा : 51वीं रिपोर्ट के लिए प्रश्नावली के उत्तर में सूचित किया गया है कि गोवा, दमन व दीव राजभाषा अधिनियम 1987 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं कोंकणी तथा गुजराती हैं। यह भी सूचित किया गया है कि 30.05.1987 से गोवा के राज्य के रूप में गठन के बाद से दमन और दीव एक अलग संघ राज्य क्षेत्र बन गया। तत्पश्चात् दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा घोषित करने के लिए कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है। यह भी सूचित किया गया है कि राजभाषा अधिनियम, भारत सरकार के अनुसार राज्य/केन्द्र सरकार के साथ हिंदी/अंग्रेजी में पत्राचार किया जाता है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 26.3 यह चिंता का विषय है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. हांलाकि दिनांक 30.05.1987 को दमन और दीव पृथक संघ राज्य क्षेत्र बना, तथापि, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए राजभाषा की घोषणा हेतु कोई अधिसूचना अभी तक नहीं जारी की गई है जिसे शीघ्र घोषित किए जाने की आवश्यकता है तथा यह भी स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि कोंकणी दमन और दीव की अभी भी राजभाषा है या नहीं।
- ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्कूलों में स्थानीय स्तर पर मातृभाषा पढ़ने की सुविधाओं की पूर्ण एवं व्यापक सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि विद्यालयों में मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।
- घ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

- ड. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शिक्षकों के पदों तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत सूचना प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- च. दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार और प्रस्तुत कर सके।
- 26.4 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दमन और दीव से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 27.1 जनगणना-2001 के अनुसार गोवा की जनसंख्या 13,47,668 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
कोंकणी	7,69,888	57.13
मराठी	3,04,208	22.57
हिंदी	76,775	5.70
कन्नड़	74,615	5.54
उर्दू	54,163	4.02

- 27.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा देवनागरी लिपि में कोंकणी है।
- 27.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तथापि, भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा सितम्बर, 2014 में किए गए उनके दौरे के क्रम में इस राज्य के अधिकारियों के साथ उनकी चर्चाओं के आधार पर 51वीं रिपोर्ट में की गई समुक्तियों को दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. राज्य में धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं, दोनों के लिए प्रदत्त समान दर्जा एवं सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की सराहना की जाती है। सूचित किया गया है कि यहां 800 से अधिक प्राथमिक विद्यालय तथा 300 से अधिक उच्च विद्यालय हैं। यह भी बताया गया कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषा अर्थात् मराठी,/कोंकणी/कन्नड़/हिन्दी/उर्दू शिक्षण के माध्यम हैं। तथापि, पाया गया है कि उच्च विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने हेतु बहुत कम विद्यालय हैं।
- ख. यह भी सराहनीय है कि निदेशक ने अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु मातृभाषा पढ़ने के लिए छात्रों की अपेक्षित संख्या को 20 से घटाकर 15 करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है तथा इस संख्या में कमी लाने पर आसानी से सहमत हो गए।
- ग. मलयालम भाषाभाषियों के प्रतिनिधियों ने वास्को, जहां बहुत अधिक संख्या में मलयालम भाषाभाषी रहते हैं, में मलयालम पढ़ने के लिए सुविधाओं का अनुरोध किया। उन्होंने केरल सरकार द्वारा प्रदत्त मलयालम प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को मान्यता देने की भी मांग की। अतः राज्य सरकार से इस आश्वासन को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

- घ. कन्नड़ भाषाभाषियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में कक्षा 10 में (कन्नड़ माध्यम) में 100 से अधिक छात्र हैं तथापि गोवा में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए कोई केन्द्र नहीं है। जैसा कि निदेशक द्वारा स्पष्ट किया गया, चूंकि कन्नड़ माध्यम के स्कूल कर्नाटक राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं, वे सीमा के पार कर्नाटक में नामनिर्दिष्ट केन्द्र में परीक्षा के लिए बैठते हैं। तथापि, भविष्य में, भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों विशेषतौर पर बालिकाओं के लाभार्थ कर्नाटक सरकार के साथ परामर्श करके गोवा में इस सुविधा का लाभ उठाने की संभावना का पता लगाने पर सहमति दी गई। कन्नड़ निरीक्षकों/परीक्षकों के लिए भी इसकी मांग की गई। अतः सरकार से इन मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया जाता है।
- ड. उर्दू भाषाभाषियों के प्रतिनिधियों तथा शिक्षकों के संघों ने जानकारी दी कि शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं और बताया कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध भी रिक्त पदों की एक वजह है। निदेशक ने स्वीकार किया कि उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, भर्ती रोजगार कार्यालय के जरिए की जाती है, तथा गोवा में न्यूनतम 15 वर्षों के अधिवास की अधिवासीय रोक है। चूंकि यह एक नीतिगत मुद्दा है, इसलिए सुझाव है कि सरकार राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के मामले में अधिवासीय प्रतिबंध में एक बारगी छूट देने पर विचार करे। यह भी सुझाव दिया जाता है कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के सहयोजन से उर्दू शिक्षकों के लिए अध्ययन केन्द्र शुरू करने की संभावना का पता लगाया जाए। इसके अतिरिक्त, पदों को भरने को सुसाध्य बनाने के लिए उर्दू शिक्षकों के समाप्त पड़े पदों को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया जाता है।
- च. पोंडा के उर्दू भाषाभाषियों के प्रतिनिधियों ने तालुक में उर्दू के ही प्राथमिक स्कूल को जारी रखने तथा भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों विशेष तौर पर उन बालिकाओं के हितार्थ जिन्हें कक्षा-IV के लिए मडगांव जाना पड़ता है, कक्षा-VI के आगे की कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति मांगी। अतः अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के तहत उनकी मांग पर विचार करने का आग्रह किया जाता है।
- छ. राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवाओं में भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्वज्ञान पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए ताकि राज्य में रोजगार के मामलों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा अवधि के भीतर राजभाषा सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- ज. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर-विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके। यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूल में दाखिले के आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ दिए जाएं ताकि बच्चे की मातृभाषा, माता-पिता द्वारा तरजीह दिए गए शिक्षा के माध्यम तथा दाखिले के समय माता-पिता द्वारा अधिमतत् तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चे अपनी मातृभाषा पढ़ सकें।
- झ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। यह भी आग्रह है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अकादमियां स्थापित की जाएं तथा उर्दू अकादमी स्थापित करने के लिए लंबित प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया जाए।

- ज. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का राज्य में प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- ट. गोवा सरकार से भाषाई अल्पसंख्यकों के नोडल अधिकारी को नामित करने का अनुरोध है ताकि आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित हो सके और आयुक्त प्रतिवेदन को माननीय राष्ट्रपति महोदय को समय पर प्रस्तुत कर सकें।
- 27.4 गोवा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 28.1 जनगणना-2001 के अनुसार गुजरात की जनसंख्या 5,06,71,017 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
गुजराती	4,27,68,386	84.40
भिली/भिलोड़ी	24,05,663	4.75
हिंदी	23,88,814	4.71
सिंधी	9,58,787	1.89
मराठी	7,64,002	1.51
उर्दू	5,50,630	1.09

- 28.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा गुजराती है।
- 28.3 राज्य सरकार से उन जनपद/तहसील/तालुक/नगरपालिका जहाँ की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोग अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हों, के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

28.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

- क. महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं आदि का अनुवाद एवं प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में किए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति एवं संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

28.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

- क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाएं राज्य के प्रासंगिक नियमों के अनुसार संचालित की जाती हैं।
- ख. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में क्षेत्रीय/राजभाषा के ज्ञान के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।
- ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लागू होने के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है।

28.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

- क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग, के आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने से संबंधित नियमों तथा विनियमों/दिशानिर्देशों का उल्लेख नहीं किया गया है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि 30 जून 2015 तक कक्षा 11 से 12 तक 16 उर्दू, 12 मराठी, 13 सिन्धी, 2 तमिल तथा 71 हिंदी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है।

28.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

सूचित किया गया है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान स्वीकृत करने हेतु क्रमशः निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं। तथापि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को समीक्षाधीन अवधि के दौरान सहायता-अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

28.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	130	43,945	1,032
मराठी	107	46,075	1,252
सिन्धी	01	44	2
हिंदी	504	1,72,7191	4,831
अंग्रेजी	2,476	8,24,595	34,432

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
हिन्दी	375	1,35,501	3,251
अंग्रेजी	1,255	4,90,544	14,705

28.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	90	60,872	1,243
मराठी	101	47,456	940
सिन्धी	2	5,100	27

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
हिंदी	27,850	32,01,695	38,750
अंग्रेजी	1,005	1,76,546	4,511

28.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

28.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	20	6,755	213
मराठी	15	8,249	179
सिन्धी	8	2,109	72
तमिल	2	855	9
हिंदी	75	41,565	1,005

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई है।

28.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के तहत पढ़ाई जाने वाली भाषाओं का विवरण इस प्रकार है :

प्रथम भाषा	:	गुजराती/हिन्दी/मराठी/ अंग्रेजी/उर्दू
द्वितीय भाषा	:	गुजराती/अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	हिंदी

ख. त्रिभाषा सूत्र के तहत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों का ब्यौरा निम्नवत् है :

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
गुजराती	180	62,456	30,135
अंग्रेजी	80	745	667
हिंदी	65	72,402	305
उर्दू	60	173	35
सिन्धी	0	4	4

28.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के संबंध में, केवल माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के संस्वीकृत पदों का ब्यौरा दिया गया है। अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के भरे हुए एवं संस्वीकृत पदों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	संस्वीकृत पद	भरे गए पद	संस्वीकृत पद	भरे गए पद
गुजराती	813	—	—	—
अंग्रेजी	181	—	—	—
हिंदी	21	—	—	—

उर्दू	93	—	—	—
सिंधी	288	—	—	—

ख. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के माध्यम व विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में सूचना नहीं दी है।

28.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

क. यह बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. यह भी सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करने एवं उनके प्रकाशन करने वाली एजेंसी गुजरात राज्य पाठ्य-पुस्तक बोर्ड, गुजरात, गांधीनगर है।

ग. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी/इमदादी दरों पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

28.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

गुजरात में विद्यालयों में भाषाई वरीयता पंजियों का रख-रखाव करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

28.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास हेतु किसी योजना के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ख. सूचित किया गया है कि सिंधी और उर्दू भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए सिंधी अकादमी और उर्दू अकादमी का गठन निम्नवत किया गया है :

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित किया गया	बजट वर्ष 2014-15 (लाख में)
उर्दू	उर्दू अकादमी	1993	—
सिंधी	सिंधी अकादमी	1993	—

28.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा हेतु राज्य/जिला स्तर पर कोई समिति/तंत्र गठित नहीं है।

28.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

बताया गया है राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के प्रचार-प्रसार के लिए कोई तंत्र नहीं है। साथ ही, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. राज्य सरकार द्वारा उन जिलों/तहसीलों/तालुकों/नगरपालिकाओं को अभिज्ञात करने की आवश्यकता है जहां अल्पसंख्यक भाषाभाषियों की आबादी वहां की स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक है तथा साथ ही, राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों,

- विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
- ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।
 - ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार को सभी विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर-विद्यालय समायोजनों को सुगम बनाया जा सके।
 - घ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
 - ङ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने तथा उन्हें सहायता-अनुदान स्वीकृत करने संबंधी सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - च. यह अत्यंत शोचनीय है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के क्षेत्र में प्रदत्त शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में स्कूलों/छात्रों/शिक्षकों की संख्या उतनी ही है जितनी 50वीं एवं 51वीं रिपोर्टों के लिए बतलाई गई थी। अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि वे राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के क्षेत्र में प्रदत्त शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में आंकड़ों को अद्यतन करें।
 - छ. राज्य सरकार को राज्य में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।
 - ज. राज्य सरकार को अकादमियों के लिए किए जाने वाले बजटीय आबंटन की सूचना तथा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षापायों एवं सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।
 - झ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
 - ञ. गुजरात सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 28.19 गुजरात सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 29.1 जनगणना-2001 के अनुसार कर्नाटक की जनसंख्या 5,28,50,562 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
कन्नड़	3,48,38,035	65.92
उर्दू	55,39,910	10.48
तेलुगु	36,98,657	7.00
मराठी	18,92,783	3.58
तमिल	18,74,959	3.55

- 29.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा कन्नड़ है।

- 29.3 क. उन जिलों का ब्यौरा जहाँ की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक भाषा-भाषी हैं, निम्नलिखित है:

जिला	तालुक का नाम	भाषा	प्रतिशतता
कोलार	गुडीबांदा	तेलुगु	67
	बागेपल्ली	तेलुगु	70.82
	श्रीनिवास पुरा	तेलुगु	61.9
उत्तर कन्नड़	करकाल	तुलु	61.64

- ख. जिले/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं का ब्यौरा, जैसा कि राज्य ने सूचित किया है, निम्नलिखित है:

उर्दू भाषी

तालुका का नाम	प्रतिशतता
बीजापुर	20.44
सिंदगी	15.85
गुलबर्गा	26.89
चितापुर	20.08
जिवार्गी	15.07
बास्वकल्याण	16.91
बीदर	27.75
होम्नाबाद	24.21
रायचुर	16.98
हुबली-धारवाड़	24.62
मुंदगोड	15.55
भटकल	28.69

शिगांव	22.51
सवानूर	25.26
हंगल	20.81
होस्पेट	15.41
हरिहर	16.18
दावनगिरि	15.51
शिमोगा	17.04
तुमकुर	15.15
कोलार	18.18
मुलबगल	15.20
रामनगरम	16.45
मैसूर	15.09

तेलुगु भाषी

तालुका का नाम	प्रतिशतता
सेदम	30.30
मोलाकलमुरु	24.20
होलालकेरे	46.90
पावगड	37.55
कोलार	39.40
गौरीबिदनूर	30.13
चिक्काबलापुर	35.65
शिडलगट्टा	36.90
चिंतामणि	59.90
कोलार	15.5
मलूर	30.4
बांगरपेट	33.06
मुलबगल	39.5
बंगलोर	15.46
बंगलोर दक्षिण	20.96
अनेकल	27.26
डोडाबल्लापुर	15.92
देवेनहाली	23.9
होसकोटे	21.95

मराठी भाषी

तालुका का नाम	प्रतिशतता
खानापुर	51.96
बास्वकल्याण	23.74
भालकी	33.91
औरद	36.36
हालियल	55.99
येल्लापुर	16.26

तमिल भाषी

तालुका का नाम	प्रतिशतता
बांगरपेट	28.2
बंगलोर	18.4
बंगलोर दक्षिण	16.5

तुलु भाषी

तालुका का नाम	प्रतिशतता
उदुपी	42.20
मुदिगिरि	16.82
मंगलोर	45.25
बंटवल	53.08
बेल्टानगढ़ी	62.34
पुत्तूर	55.49
सुल्या	41.27

कोंकणी भाषी

तालुका का नाम	प्रतिशतता
करवर	54.59
सूपा	32.35
येल्लापुर	19.53
अंकोला	19.67
कुमता	18.41
होनावर	32.08
मंगलोर	15.84

कुर्गी भाषी

तालुका का नाम	प्रतिशतता
मदीकिरी	23.19
विराजपेट	25.18

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है:-

29.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

- क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं, आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।
- ख. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को स्वीकार करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देने हेतु आदेश जारी किए जा चुके हैं।

29.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

- क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय उन लोगों जिन्हें क्षेत्रीय/राजभाषाओं का ज्ञान न हो, को भर्ती के उपरान्त, दो वर्ष के अन्दर, राजभाषा में प्रवीणता अर्जित करना आवश्यक है।
- ख. यह भी बताया गया है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को केवल अल्पसंख्यक भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने की अनुमति दी गई है। अन्य सभी सामान्य प्रश्न-पत्रों का उत्तर कन्नड़ या अंग्रेजी में दिया जाना अपेक्षित है।
- ग. सूचना दी गई कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबन्ध लागू होते हैं।

29.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

- क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने के संबंध में बताया गया है कि राज्य सरकार ने सरकारी आदेश ईडी 27 महिती, 2012 बंगलौर दिनांक 18.06.2014 के अनुसरण में एक समिति गठित की है। भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए पदनामित प्राधिकारी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

प्राधिकारी	मंडल
1 आयुक्त, जनशिक्षा, आयुक्त कार्यालय, जन शिक्षा विभाग, के०आर० सर्किल, बेंगलुरु	बेंगलुरु और मैसूर
2 अपर आयुक्त, जनशिक्षा, अपर आयुक्त कार्यालय, जन शिक्षा विभाग, धारवाड़ मंडल, धारवाड़	धारवाड़ प्रभाग
3 अपर आयुक्त, जनशिक्षा, अपर आयुक्त कार्यालय, जन शिक्षा विभाग, कालबुर्गी मंडल, कालबुर्गी	कालबुर्गी मंडल

- ख. बताया गया है कि शासनादेश ई डी27 महिती, 2012 बंगलौर दिनांक 18.06.2014 के अनुसार 5 तुलु, 2 तेलुगु, 2 तमिल तथा 2 कोंकणी संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है।
- ग. भाषाई अल्पसंख्यकों से अभ्यावेदन/शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त होने के संबंध में बताया गया है कि रिट याचिका सं०31831-34/2014, 8577/2015, 14145/2015, 4163/2015 के तहत क्रमशः मलयालम, कोडगु, तेलुगु तथा तुलु भाषाओं के संबंध में भाषाई अल्पसंख्यक दर्ज की मांग करने से संबंधित मामले कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

29.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

- क. सूचित किया गया है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के अनुसार सहायता-अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं तथा जनशिक्षा विभाग, बेंगलुरु के प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्रमशः कक्षा 1 से 7 तथा 8 से 10 तक के भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों को सहायता-अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं।
- ख. सूचना दी गई है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सहायता-अनुदान स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

29.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	2,276	2,90,865	6,770
मराठी	331	66,812	1,074
तमिल	31	6,640	114
तेलुगु	27	4,240	92

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	27	1,645	41

29.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	2,425	1,35,689	16,759
मराठी	696	44,323	5,515
तमिल	105	2,844	750
तेलुगु	59	1,514	606

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	64	4,300	167
तमिल	11	377	11
तेलुगु	1	54	2

29.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	535	52,612	5,073
मराठी	275	28,841	2,971
तेलुगु	17	542	260
तमिल	9	294	110

- ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	166	13,883	209
तमिल	5	80	2

29.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

- क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।
- ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	91	5,965	208
तेलुगु	1	54	2
तमिल	11	377	11

29.12 त्रिभाषा सूत्र

- क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं :

प्रथम भाषा	:	कन्नड़/उर्दू/मराठी/तेलुगु /तमिल/अंग्रेजी
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी/कन्नड़
तृतीय भाषा	:	हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू

- ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शामिल कक्षा 8, 10 एवं 12 के छात्रों का विवरण निम्नलिखित है:

प्रथम भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
उर्दू	38,878	26,112	—
मराठी	15,779	14,225	—
तेलुगु	193	149	—
तमिल	181	183	—

29.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

- क. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है:

प्राथमिक विद्यालय (1 से 8)

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	23,529	20,359	सामान्य	सामान्य
मराठी	6,589	5,602		
तेलुगु	698	568		
तमिल	684	593		

माध्यमिक विद्यालय (9 से 10)

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	5,073	4,513	—	—
मराठी	2,971	2,569	—	—
तेलुगु	26	204	—	—
तमिल	110	88	—	—

ख. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाये जाने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है:

प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
38	उर्दू	उर्दू
61	मराठी	मराठी
01	तेलुगु	तेलुगु
17	तमिल	तमिल

ग. सूचित किया गया है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों को खोलने हेतु कोई अन्तर्राज्यीय सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

29.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरंभ में ही उपलब्ध कराई जाती है।

ख. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री का प्रापण करने के लिए कर्नाटक सरकार के लोक शिक्षण विभाग के अधीन कर्नाटक राज्य पाठ्य-पुस्तक सोसाइटी एक एजेंसी है।

ग. यह भी सूचित किया गया है कि पाठ्य-पुस्तकें सरकारी/सहायता-प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क तथा अन्य छात्रों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

29.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

सूचित किया गया है कि राज्य के अधिकतर विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव किया जा रहा है।

29.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. राज्य सरकार द्वारा यथासूचित अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए स्थापित अकादमियों का ब्योरा निम्नलिखित है:—

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित किया गया	वर्ष 2014-15 के लिए बजट
उर्दू	कर्नाटक उर्दू अकादमी	1977	55 लाख
कोंकणी	कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी	1994	66 लाख
तुलु	कर्नाटक तुलु साहित्य अकादमी	1994	60 लाख
बियरी	कर्नाटक बियरी साहित्य अकादमी	2007	60 लाख

29.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है कि राज्य के भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य/जनपद स्तर पर कोई तंत्र/समिति गठित नहीं है। हालांकि जिला स्तर पर उप निदेशक जनशिक्षा (डी०डी०पी०आई०-प्रशासन) तथा उप निदेशक जनशिक्षा (डी०डी०पी०आई०-विकास) को शिक्षा विभाग के लिए ही नामनिर्दिष्ट किए जाने की सूचना दी गई है।

29.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

सरकार ने कोई प्रासंगिक सूचना नहीं प्रदान की है। तथापि, बताया गया है कि ब्लाक स्तर पर शैक्षणिक एवं अवसररचना संबंधी मामले में अल्पसंख्यक संस्थाओं (उर्दू, तेलुगु, तमिलनाडु तथा मराठी) में समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित ब्लाक का बी ई ओ तथा जिला स्तर पर संबंधित डी डी पी आई (प्रशासन) कार्रवाई करेंगे तथा समय-समय पर समस्याओं का निवारण करेंगे।

निष्कर्ष/संस्तुतियां

- क. 52वीं रिपोर्ट की प्रश्नावली के उत्तर में बेलगाम नगरपालिका में मराठी भाषाभाषियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि 25.09.14 को बेलगाम में जिला अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान सूचित किया गया था कि बेलगाम नगरपालिका में मराठी भाषाभाषियों की आबादी 15 प्रतिशत से अधिक है। नगरपालिका आयुक्त ने सूचित किया कि उनके कार्यालय में साइनबोर्ड/नामपट्ट कन्नड़ के साथ-साथ मराठी में प्रदर्शित किए जाते हैं।
- ख. इसके अतिरिक्त, बेलगाम जिला/नगरपालिका प्रशासन से आग्रह है कि उन स्थानों में जहां भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वहां की स्थानीय आबादी के 15 प्रतिशत से अधिक हो, सार्वजनिक लेन-देन वाले कार्यालयों के सूचनापट्ट/साइनबोर्ड तथा स्थानीय स्तर पर चलने वाली बसों के गंतव्य स्थानों के बोर्ड में कन्नड़ के साथ मराठी का भी इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। यह भी अनुरोध है कि नगर परिषद; कृषि उत्पाद विपणन समितियों की कार्यवाही के नोटिस/कार्यवृत्त, राशनकार्ड, मतदाता सूची, बिजली बिल, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के साथ पत्राचार कन्नड़ के साथ-साथ मराठी में भी हो।
- ग. सूचना दी गई है कि राज्य की सेवा की भर्ती में अधिवासीय प्रतिबंध लागू है। अतः राज्य सरकार को राज्य की सेवा में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध न लगाने की सलाह दी जाती है ताकि राज्य में रोजगार के मामलों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके।
- घ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

- ड. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने तथा अल्पसंख्यक दर्जा का प्रमाण-पत्र देने के मामले में राज्य सरकार को समानता का सिद्धांत सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जन शिक्षा आयुक्त ने सूचित किया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और इसलिए इस संबंध में अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत संवैधानिक उपबंधों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा रहा है।
- च. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नोडल अधिकारी के संबंध में 52वीं रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली के उत्तर में कोई सूचना नहीं दी गई है। तथापि, निदेशक, उर्दू और अन्य अल्पसंख्यक भाषा द्वारा संकलित उत्तर शैक्षणिक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सुविधाएं जैसे कि संवर्धन संबंधी कार्यकलाप, प्राप्त अभ्यावेदनों के ब्यौरे इत्यादि के संबंध में अपूर्ण हैं। अतः मुख्य सचिव से आग्रह किया जाता है कि वे राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नोडल अधिकारी को नामित करें तथा प्रश्नावली का विस्तृत उत्तर सुनिश्चित करें ताकि आयुक्त राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर सकें।
- छ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति स्थापित करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां भी गठित की जाएं जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- 29.19 कर्नाटक राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 30.1 जनगणना-2001 के अनुसार महाराष्ट्र की जनसंख्या 9,68,78,627 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
मराठी	6,66,43,942	68.79
हिंदी	1,06,81,641	11.03
उर्दू	68,95,501	7.12
गुजराती	23,15,409	2.39

- 30.3 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा मराठी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

- 30.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

- क. जिन जिला/तहसील/तालुक/नगर-पालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक भाषाई अल्पसंख्यक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
- ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति तथा उनके जवाब उन्हीं भाषाओं में दिया जाना सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ग. जनजातीय भाषाओं को पढ़ने की सुविधा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है ताकि उनका संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित हो सके।
- घ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों की संस्वीकृत/भरी हुई संख्या एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- ङ. राज्य सरकार को स्कूलों में भाषाई वरीयता पंजियों का रखरखाव करने की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि आवेदन-पत्र में आवश्यक स्तम्भ शामिल किए जाएं जिससे कि छात्रों की मातृभाषा, प्रथम भाषा तथा उनके माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तीसरी भाषा की जानकारी मिल सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक छात्र अपनी मातृभाषा पढ़ सकेंगे।

- च. राज्य सरकार से आग्रह है कि सिंधी अकादमी को पुनर्जीवित करें तथा हिंदी, गुजराती एवं उर्दू अकादमियों के कार्यकलापों का ब्यौरा दें। यह भी आग्रह है कि उनके कार्यकलापों के लिए निधियों में बढ़ोतरी करें जैसा कि भाषाई प्रतिनिधियों की मांग है।
- छ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- 30.4 महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर ध्यान दें तथा आवश्यक उपचारी कदम उठाएं ताकि इस राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 31.1 जनगणना-2001 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या 3,56,152 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
बंगाली	91,582	25.71
हिंदी	64,933	18.23
तमिल	62,961	17.68
तेलुगु	45,631	12.81
मलयालम	28,869	8.11
निकोबारी	28,651	8.05
कुरुख / ओरां	13,759	3.86
मुण्डा	4,582	1.29
खारिया	4,090	1.15

- 31.2 बताया गया है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां अल्पसंख्यक भाषाभाषियों की जनसंख्या वहां की जनसंख्या का 15 प्रतिशत या अधिक है।

- 31.3 संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा : संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं हिन्दी एवं अंग्रेजी हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथासूचित भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है:

- 31.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. अल्पसंख्यक भाषाओं में नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि के अनुवाद एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने की व्यवस्था के संबंध में अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कोई सूचना नहीं दी गई है।

- 31.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. संघ राज्य क्षेत्र की सेवा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है अथवा नहीं, इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए प्रश्न-पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ग. संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए नियमों एवं विनियमों/दिशा-निर्देशों अथवा सक्षम प्राधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान देने संबंधी नियम, विनियम/दिशा-निर्देश तथा सक्षम प्राधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

31.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
बंगाली	75	4,458	376	12.1
तमिल	11	346	125	3.1
तेलुगु	8	506	80	6.1

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय पढ़ाए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
बंगाली	25	3,368	150	22.1
तमिल	03	403	35	12.1
तेलुगु	02	445	18	15.1

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
बंगाली	11	2,295	96	24.1
तमिल	09	448	82	5.1
तेलुगु	04	391	38	10.1

- ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है।

31.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

- क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
बंगाली	15	2,141	64	33.1
तमिल	05	468	23	20.1
तेलुगु	02	447	08	56.1

- ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.12 त्रिभाषा सूत्र

- क. सूचित किया गया है कि त्रिभाषा सूत्र के तहत निम्नलिखित भाषाएं पढ़ाई जाती हैं:

प्रथम भाषा	:	मातृभाषा
द्वितीय भाषा	:	हिंदी/अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	संस्कृत/तमिल/तेलुगु/बंगाली

- ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा त्रिभाषा सूत्र में शामिल कक्षा 8, 10 एवं 12 के छात्रों का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली तथा संस्कृत	6,458	5,903	5,259

31.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

- क. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों की संस्वीकृत भरे हुए पदों की संख्या के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- ख. संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधा से संबंधित व्यवस्था के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.14 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें

- क. अल्पसंख्यक भाषाओं के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता शैक्षणिक सत्र के आरंभ में करवाए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है। बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा घोषित नहीं किया गया है।
- ख. अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने, इनका प्रकाशन अथवा प्रापण करने वाली एजेंसी के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भाषाई

अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी/रियायती दरों पर अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

31.15 स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की भाषाई-वरीयता दर्ज करने के लिए, भाषाई वरीयता पंजियों के रख-रखाव की कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु किसी योजना के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए अकादमियों की स्थापना के संबंध में भी कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

रक्षोपायों के कार्यान्वयन के लिए तंत्र के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध संवैधानिक अधिकारों तथा रक्षोपायों के प्रचार-प्रसार के संबंध में कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराई है।

निष्कर्ष/संस्तुतियां

- क. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस द्वीप समूह में बोली जाने वाली अल्पसंख्यक तथा जनजातीय भाषाओं के महत्व को समझने की जरूरत है। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है कि वे इन भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपाए करें।
- ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का द्वीपसमूह में बोली जाने वाली भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
- ग. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करना और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।
- घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता और सहायता-अनुदान की स्वीकृति देने के लिए प्राधिकारी को पदनामित करने की आवश्यकता है।
- ड. भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 50वीं रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों की तुलना में वर्तमान आंकड़ों में बंगाली, तमिल तथा तेलुगु पढ़ाने के लिए स्कूलों तथा शिक्षकों की संख्या में अत्यधिक कमी प्रदर्शित हुई है। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा दें।
- च. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु सभी प्राथमिक विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके।

- छ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ज. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या तथा उपलब्धता एवं उनकी प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- झ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु प्रशासक की अध्यक्षता में एक "संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का स्थानीय स्तर पर प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- ञ. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के विस्तृत एवं समेकित उत्तर समय से प्रेषित किए जाएं जिसमें कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 31.19 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

32.1 जनगणना 2001 के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना की जनसंख्या 7,62,10,007 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
तेलुगु	6,39,04,791	83.85
उर्दू	65,75,033	8.63
हिन्दी	24,64,194	3.23
तमिल	7,69,685	1.01

32.2 क. राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा तेलुगु है।

ख. अतिरिक्त राजभाषा : उर्दू को राज्य में नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं इत्यादि के प्रकाशन तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

32.3 यह चिंता का विषय है कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 51वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

संस्तुतियां

क. राज्य सरकारों से आग्रह है कि उन जिले/तहसील/तालुका/नगर-पालिका को चिन्हित करें जहां भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित करें।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य सरकारों द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता तथा सहायता अनुदान दिए जाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु प्रभावी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकारों द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख-रखाव सुनिश्चित करने का अनुरोध है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर-विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

- ड. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- च. राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- छ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।
- ज. राज्य सरकारों से आग्रह है कि राज्यों में अल्पसंख्यक भाषाओं को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
- झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकारों को व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू करना चाहिए।
- ञ. राज्य सरकारों को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- ट. आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना सरकारों के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय से प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।
- 32.4 आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 33.1 जनगणना-2001 के अनुसार केरल की जनसंख्या 3,18,41,374 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
मलयालम	3,08,03,747	96.74
तमिल	5,96,971	1.87
कन्नड़	81,406	0.26
कोंकणी	61,376	0.19

- 33.2 राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा मलयालम है।
- 33.3 सूचित किया गया है कि राज्य में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ अल्पसंख्यक भाषा-भाषी जिले की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक हों।
- 33.4 जिन जिले/तहसील/तालुक/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं उनका विवरण निम्नवत् है:

जिला	तहसील/तालुक/नगर-पालिका	भाषा	प्रतिशतता
कासरगोड	कासरगोड तालुक	तुलु	18.04
पालक्कड़	चित्तुर तालुक	तमिल	20.03
पालक्कड़	चित्तुर थातमंगलम नगरपालिका	तमिल	18.41
इदुक्की	—	तमिल	19.64
इदुक्की	देवीकुलम तालुक	तमिल	48.53
इदुक्की	पेरुमेडु तालुक	तमिल	36.55

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है:

33.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

- क. बताया गया है कि जिस जिले/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक लोग भाषाई अल्पसंख्यक हों वहां महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और सूचनाओं आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में, अनुवाद एवं प्रचार-प्रसार की कोई व्यवस्था नहीं है।
- ख. तथापि, बताया गया है कि राशन कार्ड, मतदाता सूची, विभिन्न आवेदन प्रपत्र, सूचनाएँ तथा नाम-पट्ट, आदि मलयालम के साथ-साथ अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशित/जारी किए/लिखे जाते हैं।
- ग. यह भी सूचित किया गया है कि शिकायतों के निवारणार्थ अभ्यावेदन, अल्पसंख्यक भाषा में प्राप्त किए जाने तथा उत्तर देने हेतु, आदेश जारी किए गए हैं। यह भी सूचित किया गया है कि अनुरोध किए जाने पर ऐसे अभ्यावेदनों का उत्तर उन्हीं अल्पसंख्यक भाषाओं में दिया जाता है।

33.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

- क. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्ति (तमिल तथा कन्नड़ भाषाभाषी) जो भर्ती परीक्षा में मलयालम से इतर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, को अपनी परीक्षा को पूरा करने के लिए केरल लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित मलयालम भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- ख. बताया गया है कि यदि कोई पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता एस०एस०एल०सी० से नीचे हो तो भाषाई अल्पसंख्यक अभ्यर्थी को उनकी भाषाओं (अर्थात् तमिल या कन्नड़) में प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। लिखित परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र का माध्यम आयोग के आदेशानुसार निर्धारित किया जाता है।
- ग. राज्य की सेवा में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में बताया गया है कि सामान्यतः कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं किन्तु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों का तब अवश्य ही अनुपालन करना चाहिए जब उन्हें प्रत्येक पद से संबंधित अधिसूचना में विशिष्ट रूप से छूट न दे दी गई हो:-

(i) अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए या (ii) नेपाल का निवासी होना चाहिए या (iii) भूटान का नागरिक होना चाहिए या (iv) तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व आए हों या (v) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों-केन्या, यूगाण्डा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तंजानिका तथा जंजीबार) से प्रवास किया हो। यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त (ii), (iii), (iv) एवं (v) में उल्लिखित व्यक्ति भारत सरकार से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। उन्हें परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी तथा यदि उनकी किसी पद पर नियुक्ति की जाएगी तो उनकी नियुक्ति पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन अस्थायी होगी।

33.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

- क. सूचित किया गया है कि राज्य सरकार भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्रधिकरण है।
- ख. 30 जून, 2015 तक की स्थिति के अनुसार भाषावार मान्यताप्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का ब्योरा निम्नवत है:-

स्तर	अल्पसंख्यक भाषा का नाम	स्कूलों की संख्या
प्राथमिक	तमिल / कन्नड़	109 / 91
उच्च प्राथमिक / मिडिल	तमिल / कन्नड़	34 / 45
माध्यमिक	तमिल / कन्नड़	64 / 49
उच्च माध्यमिक	—	—

- ग. सूचित किया गया है कि 30.06.2015 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने हेतु कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

33.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

क. बताया गया है कि राज्य सरकार भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है।

ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिन भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता-अनुदान प्रदान किया गया है, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

स्तर	अल्पसंख्यक भाषा	विद्यालय
प्राथमिक	तमिल/कन्नड़	109/91
उच्च प्राथमिक/मिडिल	तमिल/कन्नड़	34/45
माध्यमिक	तमिल/कन्नड़	64/49
उच्चतर माध्यमिक	—	—

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

33.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तमिल	109	7,163	520
कन्नड़	91	10,721	412

ख. सूचना दी गई है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, संस्कृत, अरबी तथा उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसका विवरण निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
अरबी	3,162	4,27,979	3,412
संस्कृत	3	250	2
उर्दू	3	41	5

33.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तमिल	34	6,847	276
कन्नड़	45	8,792	587

ख. सूचना दी गई है कि शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अरबी, संस्कृत तथा उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
अरबी	1,619	2,36,051	1,527

संस्कृत	1,743	1,50,848	1,169
उर्दू	1,089	66,533	1,042

33.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

- क. सूचना दी गई है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तमिल	61	7,532	350
कन्नड़	49	9,281	386

- ख. सूचित किया गया है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अरबी, संस्कृत तथा उर्दू भाषाएं एक विषय के रूप में, पढ़ाई जाती हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
अरबी	1,143	2,33,959	1,404
संस्कृत	1,161	71,535	1,128
उर्दू	447	35,808	423

33.12 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

- क. बताया गया है कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम है। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को मलयालम में तथा अल्पसंख्यक भाषाओं अर्थात् तमिल या कन्नड़ में परीक्षा देने का विकल्प प्राप्त है।
- ख. यह भी बताया गया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं, एक विषय के रूप में, पढ़ाई जाती हैं:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तमिल	26	982	20
कन्नड़	33	1,685	27

33.13 त्रिभाषा सूत्र

- क. राज्य में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैं :

प्रथम भाषा	:	क्षेत्रीय भाषा (मलयालम)
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	हिंदी

- ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों की संख्या निम्नवत् है:

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
तमिल	2,555	2,995	शून्य
कन्नड़	3,338	3,441	शून्य

33.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
तमिल	137	137	80	80
कन्नड़	93	93	—	—

ख. राज्य में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का विवरण निम्नवत् है:

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)	तमिल	तमिल
	कन्नड़	कन्नड़

ग. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान-प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों से सहयोग/समझौते के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

33.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

क. यह सूचित किया गया है कि विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में की जाती है।

ख. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री तैयार करने एवं प्रकाशन का कार्य, एस०सी०ई०आर०टी० को सौंपा गया है।

ग. यह भी सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री छात्रों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है।

33.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

स्कूलों में, भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषागत वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रख-रखाव के संबंध में निम्नलिखित आकड़े दिए गए हैं:

एल०पी० स्कूल	—	232
यू०पी० स्कूल	—	90
हाई स्कूल	—	109

33.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

बताया गया है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास हेतु कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

33.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

- क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। विधान सभा के सदस्य और प्रशासनिक विभागों के प्रमुख इसके सदस्य हैं। इस समिति की पिछली बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2015 को हुई थी।
- ख. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समिति मौजूद है जिसमें सदस्यों के रूप में शिक्षा तथा कालेजिएट शिक्षा उप निदेशकों के साथ सासदों/विधायकों/जिला पंचायत अध्यक्षों/स्थानीय क्षेत्र की अल्पसंख्यक भाषा के तीन प्रतिनिधियों को सहयोजित किया गया है।

33.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

- क. भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में अवगत कराने वाले तंत्र के संबंध में बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों का विवरण देने वाली विवरणिकाएं संबंधित अधिकारियों तथा भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों को वितरित की गईं।
- ख. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में एक पुस्तिका "सेफगार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनरोटिज इन केरल" प्रकाशित की थी। यह भी बताया गया है कि जिला तहसील कार्यालयों को होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं को प्रदर्शित करने हेतु निर्देश देते हुए आदेश जारी किए गए हैं।

निष्कर्ष/संस्तुतियां

- 33.20 आयुक्त ने सहायक आयुक्त (दक्षिणी क्षेत्र) के साथ 3 नवम्बर-6 नवम्बर, 2015 तक तिरुवनंतपुरम तथा कोच्चि का दौरा किया और केरल के महामहिम राज्यपाल, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा तथा सचिव, सामान्य प्रशासन और भाषाई अल्पसंख्यकों के नोडल अधिकारी के साथ चर्चाएं की। सी एल एम ने राज्य भाषा संस्थान का भी दौरा किया और निदेशक, संकाय सदस्यों तथा तमिल, कन्नड़ भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मातृभाषा में शिक्षा के महत्व तथा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में चर्चाएं की।
- 33.21 मुख्य सचिव एवं नोडल अधिकारी ने सूचित किया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राज्य स्तरीय समिति हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई और राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श किए गए। यह भी सूचित किया गया कि सैद्धान्तिक तौर पर राज्य में कोंकणी भाषाभाषियों द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। सी एल एम ने उनसे कोंकणी अकादमी के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का भी आग्रह किया।
- 33.22 सी एल एम ने कन्नड़, तमिल में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या के संबंध में अपर मुख्य सचिव को जानकारी दी तथा उनसे इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का आग्रह किया। इसी बीच सूचना मिली है कि राज्य सरकार ने मलयालम भाषा (प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन) अधिनियम

2015 बनाया है जिससे राजभाषा 1969, के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के उपबंधित अधिकार खत्म हो जाएंगे। अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि वे यथापरिकल्पित अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें।

- क. जिन जिला/तहसील/तालुक/नगर-पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
 - ख. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की मान्यता तथा सहायता अनुदान देने के लिए पदनामित प्राधिकारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
 - ग. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी का तृतीय भाषा के रूप में उल्लेख है, हालांकि हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का विवरण नहीं दिया गया है। इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, राज्य में कोंकणी पढ़ने की सुविधाओं का भी ब्यौरा दिए जाने की आवश्यकता है।
 - घ. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्जा करने के लिए भाषाई वरीयता पंजियों का सभी स्कूलों में रखरखाव किया जाए ताकि राज्य में मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण प्रदान किया जा सके।
 - ङ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
 - च. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं की रक्षा एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विकास के लिए भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।
 - छ. केरल राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट नियत समय के भीतर प्रस्तुत कर सकें।
- 33.23 केरल सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

- 34.1 जनगणना-2011 के अनुसार, लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,473 दर्ज की गई है तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नलिखित है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
मलयालम	54,026	84
महल/अन्य भाषाएं	10,447	16

- 34.2 संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा : लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा अंग्रेजी है।

- 34.3 महल भाषा मिनीकाय द्वीप में बोली जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

जिला	तहसील/तालुका/नगरपालिका	भाषा	प्रतिशतता
लक्षद्वीप	मिनीकाय द्वीप समूह	महल	100

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है:

- 34.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

- क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का अल्पसंख्यक भाषा में अनुवाद एवं प्रचार-प्रसार के लिए, संघ राज्य क्षेत्र में व्यवस्था मौजूद है।
- ख. अनुवाद/प्रचार-प्रसार के भाषावार ब्यौरे के संबंध में, बताया गया है कि एक सरकारी पाक्षिक पत्रिका *लक्षद्वीप टाइम्स* का महल संस्करण लक्षद्वीप के महल भाषाभाषियों को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित किया जाता है।
- ग. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को स्वीकार करने तथा उनके उत्तर उसी अल्पसंख्यक भाषा में देने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों का उत्तर केवल मिनीकाय में उसी भाषा में दिया जाता है।

- 34.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

- क. सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती हेतु क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित नहीं है।
- ख. बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती हेतु परीक्षा में प्रश्न-पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने की अनुमति नहीं है।

- ग. यह भी बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती होने के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

34.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

- क. लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने के संबंध में कोई नियम, विनियम तथा पदनामित सक्षम प्राधिकारी के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।
- ख. सूचना दी गई है कि 30 जून, 2015 तक की स्थिति के अनुसार किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को भाषावार मान्यता नहीं दी गई है। यह भी बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र को भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायत/याचिका नहीं प्राप्त हुई है।

34.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान प्रदान करने के संबंध में नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित प्राधिकारी के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

34.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

- क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने संबंधी सूचना नहीं दी गई है।
- ख. महल को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर एक, विषय के रूप में पढ़ाये जाने का विवरण निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
महल	जे०बी०एस० मिनीकॉय	138	02
महल	ज०बी०एस० (सी०) मिनीकॉय	83	01
महल	एस०बी०एस० मिनीकॉय	105	02

34.9 उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर

शिक्षा के उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

34.10 त्रिभाषा सूत्र

- क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ हैं:

प्रथम भाषा	:	मलयालम/अरबी
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	हिन्दी

- ख. कक्षा 8, 10 और 12 में त्रिभाषा सूत्र के अर्न्तगत शामिल भाषाओं के छात्रों की संख्या निम्नलिखित है:

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
अंग्रेजी	76	71	88
मलयालम	74	15	04
अरबी	02	18	27
हिन्दी	76	64	57

34.11 अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षक

- क. महल भाषा के शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
महल	—	—	05	03

- ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में या एक विषय के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। तथापि, सूचित किया गया है कि शिक्षकों को मालदीव से बुलाया जाता है।
- ग. शिक्षकों के आदान-प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

34.12 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

- क. सूचित किया गया है अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती हैं।
- ख. अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने एवं प्रकाशन हेतु जिम्मेवार अभिकरण के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।
- ग. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य-पुस्तकें तथा शैक्षणिक सामग्री, शिक्षा विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निःशुल्क वितरित की जाती है।

34.13 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

- क. संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रखरखाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- ख. सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर दाखिले के लिए दाखिले प्रपत्र में आवश्यक स्तंभ शामिल कर दिए गए हैं ताकि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की मातृभाषा तथा प्रथम भाषा/वैकल्पिक भाषा की तरहीज के संबंध में जानकारी मिल सके।

34.14 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में, अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन एवं विकास महल में लक्षद्वीप टाइम्स तथा लक्षद्वीप कला अकादमी द्वारा कला थारुजुआम के प्रकाशन द्वारा किया जाता है।

34.15 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने के लिए संघ राज्य स्तर पर एक समिति मौजूद है।

34.16 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार-प्रसार

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से अवगत कराया जाता है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में सूचित किया गया है कि लक्षद्वीप टाइम्स का पाक्षिक प्रकाशन किया जाता है।

निष्कर्ष / संस्तुतियां

34.17 आयुक्त ने सहायक आयुक्त (दक्षिणी क्षेत्र) के साथ 4-5 नवम्बर, 2015 को कावारत्ती का दौरा किया और भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रशासक, शिक्षा निदेशक तथा महल भाषा-भाषियों के प्रतिनिधियों से चर्चाएं की। बताया जाता है कि महल भाषा-भाषी मिनीकॉय द्वीप में निवास करते हैं और उन्हें संघ राज्य क्षेत्र में समग्र रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में माना जाता है। मिनीकॉय द्वीप में महल या दिवेही दस हजार से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। यह मालदीव की राजभाषा है और इसकी अपनी लिपि है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा भारत सरकार, विशेषतौर पर केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी आई आई एल), मैसूर के प्रयास महल भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण हैं। महल मिनीकॉय द्वीप में 326 बच्चों वाले तीन स्कूलों में कक्षा 1 से 4 तक प्राथमिक स्तर पर ही एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह भी सूचित किया गया है कि महल शिक्षकों के 5 संस्वीकृत पदों में से 3 पद रिक्त हैं।

34.18 पारस्परिक चर्चाओं के क्रम में निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई:-

क. 5 महल शिक्षकों में से 3 व्यक्ति अधिवर्षितावय सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 2 शीघ्र ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है कि वे महल भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए महल शिक्षकों के पदों को भरें।

ख. महल शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महल में कोई विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं है। सूचना दी गई कि 1990 तक महल शिक्षकों को मालदीव में प्रशिक्षित किया जाता था। 1991 से मिनीकॉय में महल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मालदीव से शिक्षकों को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। तथापि, हाल के वर्षों में, अतिथि प्रशिक्षकों के लिए भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने में कुछ अड़चन आने के कारण प्रशिक्षित महल शिक्षकों की व्यवस्था करने में देरी होती रही है। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है कि वे भारत सरकार के साथ मामले को उठाएं तथा महल शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

- ग. सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक अंतरिम उपाय के तौर पर महल पढ़ाने के लिए प्रवीण महल भाषा-भाषियों की पहचान करने हेतु महल भाषा-भाषियों की एक समिति का गठन करें। सी ई टी ई टी परीक्षाएं जो शिक्षकों के रूप में नियुक्ति हेतु एक पूर्वापेक्षा है, देने वाले महल अभ्यर्थियों/शिक्षकों के लिए कोचिंग सुविधा की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया जाता है।
- घ. महल भाषाभाषियों ने महल को मिनीकॉय में कम से-कम एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम बनाने की मांग की। सुझाव दिया गया कि इसे सभी विषयों के लिए महल जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति करके भी संभव किया जा सकता है ताकि बच्चों को महल माध्यम से शिक्षा प्रदान करना सुगम हो सके। इस संबंध में, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का ध्यान अनुच्छेद 350 क की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है कि वे शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर महल में शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करें जैसा कि महल भाषा-भाषियों के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है।
- ङ. सूचित किया गया कि महल में पाठ्य-पुस्तकें वर्षों पहले लिखी गई थीं। मिनीकॉय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक कार्यशाला अनन्य रूप से महल की नई पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने के लिए आयोजित की गई। पांडुलिपियां तैयार की गई तथा शिक्षा निदेशालय को प्रस्तुत की गई। तथापि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह किया जाता है कि वे समय-समय पर पाठ्य-पुस्तकों को संशोधित करना तथा समय की अपेक्षाओं को पूरा करना सुनिश्चित करें।
- च. बताया गया कि महल भाषा पढ़ाने के लिए कोई वर्क बुक तथा कापी बुक नहीं है। उसी प्रकार, महल पढ़ाने के लिए महल में शिक्षकों के लिए कोई हैंडबुक उपलब्ध नहीं है। महल भाषा में वर्क बुक, कॉपी बुक तथा हैंड बुक के मुद्रण एवं आपूर्ति की मांग की गई।
- छ. सूचित किया गया कि अतिरेक/गैर-ब्यौरेवार-पठन के लिए महल में कोई पुस्तकें नहीं हैं। लोकगीतों, कहानियों से संबंधित बच्चों की पुस्तकें महल में उपलब्ध नहीं हैं। अतः महल भाषा में बच्चों के लिए ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके स्थानीय लेखकों को प्रोत्साहित किए जाने की मांग की गई। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस मांग पर विचार करना चाहिए तथा महल भाषा के लेखकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और महल भाषा में बच्चों के लिए साहित्य को समृद्ध करने हेतु लेखन-कार्यों के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए।
- ज. महल भाषा के प्रतिनिधियों ने यह भी सूचित किया कि कक्षा 4 के बाद महल की पढ़ाई अचानक ही रोक दी जाती है। परिणामस्वरूप, बच्चे समुचित रूप से महल नहीं पढ़ते। अतः उन्होंने महल की शिक्षा को कक्षा 8 तक बढ़ाने की मांग की। अतः आयुक्त का संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है कि वे महल भाषा का संवर्धन एवं संरक्षण करने के उपायस्वरूप महल की पढ़ाई का विस्तार कक्षा 8 तक करने की मांग पर विचार करें।
- झ. महल-भाषा भाषियों के प्रतिनिधियों तथा संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान शिक्षा बोर्ड को बदलने तथा मलयालम पढ़ाने के प्रश्नों पर भी चर्चाएं की गईं। आयुक्त ने संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से महल भाषा-भाषियों के लिए उनकी आवश्यकता तथा मांग के अनुसार महल तथा मलयालम भी पढ़ने के लिए

उपयुक्त विकल्प देने का आग्रह किया। अतः आयुक्त ने स्कूलों में दाखिले के लिए दाखिले प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल करने का सुझाव दिया ताकि दाखिले के समय भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की मातृभाषा, माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई प्रथम भाषा तथा तृतीय भाषा की जानकारी मिल सके और यह सुनिश्चित हो सके कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी अपनी-अपनी मातृभाषाओं को पढ़ने की पर्याप्त सुविधाएं दी जाती हैं। आयुक्त ने केरल सरकार के साथ समन्वय करने तथा शिक्षकों के लिए मलयालम में भी समुचित प्रशिक्षण सुगम करने हेतु भी सुझाव दिया।

ज. प्रतिनिधियों ने आयुक्त की जानकारी में यह बात भी लाई कि मिनीकॉय में सभी कार्यालयों में सार्वजनिक सूचनाओं को मलयालम तथा अंग्रेजी में जारी किया जाता है और लक्षद्वीप टाइम्स के महल संस्करण का प्रकाशन हाल ही में रोक दिया गया है। प्रतिनिधियों ने महल में प्रवीण अधिकारियों की तत्काल नियुक्ति और भाषा अनुवादक की व्यवस्था की मांग की। मिनीकॉय में महल भाषा-भाषियों के हितार्थ लक्षद्वीप टाइम्स के महल संस्करण का प्रकाशन शुरू करना चाहिए। अतः संघ राज्य क्षेत्र से आग्रह है कि वे तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें तथा अल्पसंख्यकों के हितार्थ अल्पसंख्यक भाषा में महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं, नियमों तथा आदेशों के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

ट. महल भाषा-भाषियों ने आयुक्त की जानकारी में यह भी लाया कि मिनीकॉय में अधिकांश कार्यालयों तथा सार्वजनिक संस्थानों के साइन बोर्ड तथा नामपट्ट में महल शामिल नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है कि वे अल्पसंख्यकों के हितार्थ मिनीकॉय में जनता के साथ संव्यवहार करने वाले कार्यालयों में साइनबोर्ड तथा नामपट्ट में महल भाषा शामिल करें।

34.19 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से, किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

35.1 जनगणना-2001 के अनुसार पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 9,74,345 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
तमिल	8,61,502	88.42
तेलुगु	50,908	5.22
मलयालम	42,782	4.39

35.2 संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा: पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा अंग्रेजी हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

35.3 यह चिंता का विषय है कि सहायक आयुक्त (दक्षिणी अंचल) के साथ आयुक्त के दिनांक 8 एवं 9 फरवरी, 2016 के दौरान पुदुच्चेरी एवं कराईकल के दौरे के बावजूद संघ राज्य क्षेत्र से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मुख्य सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा अधिकारियों एवं पुदुच्चेरी और कराईकल के भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्शों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष/संस्तुतियां सामने आई हैं।

संस्तुतियां

- क. आयुक्त ने पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के एक पृथक विभाग के सृजन के लिए पुदुच्चेरी सरकार की सराहना की। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र सरकार को संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं को अभिज्ञात करने की आवश्यकता है। हालांकि, भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र पृथक्कृत है, फिर भी यह बहुभाषाई और बहुसांस्कृतिक जनसंख्या से संरचित है।
- ख. सूचना दी गई कि पुदुच्चेरी तथा कराईकल क्षेत्रों द्वारा द्विभाषा सूत्र वाले तमिलनाडु शिक्षा बोर्ड का अनुसरण किया जाता है। जबकि यनम एवं माहे क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र वाले क्रमशः आंध्र प्रदेश बोर्ड तथा केरल शिक्षा बोर्ड का अनुसरण किया जा रहा है जहां भाषाई अल्पसंख्यकों के पास अपनी मातृभाषा पढ़ने का अवसर है। सूचित किया गया कि बड़ी संख्या में बंगाली, फ्रांसीसी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु भाषाभाषी भी पुदुच्चेरी एवं कराईकल क्षेत्रों में रहते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने अपनी मातृभाषा पढ़ने तथा इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग शिक्षा बोर्ड की मांग की।
- ग. सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर अरबी, फ्रेंच, हिंदी तथा संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ने की व्यवस्था है। यह भी सूचित किया गया कि पुदुच्चेरी और कराईकल क्षेत्रों में सी बी एस ई पद्धति शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों की मांगों का पता लगाने तथा संविधान के अनुच्छेद 350क के तहत यथा उपबंधित शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पढ़ने की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया जाता है।

- घ. संघ राज्य क्षेत्र सरकार से यह आग्रह है कि वे अपने खुद के शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की संभावनाओं का अन्वेषण करें तथा संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा की एक समान प्रणाली की व्यवस्था करें ताकि अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की मांगों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- ड. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
- च. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति को गठित करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की जा सकती है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- छ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू करना चाहिए ताकि प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों में जागरूकता का प्रसार हो सके।
- ज. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट नियत समय में तैयार कर प्रस्तुत कर सकें।
- 35.4 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पुदुच्चेरी से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

भाषाई रूपरेखा

36.1 जनगणना-2001 के अनुसार तमिलनाडु की जनसंख्या 6,24,05,679 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
तमिल	5,57,98,916	89.41
तेलुगु	35,27,594	5.65
कन्नड़	10,45,238	1.67
उर्दू	9,42,299	1.51
मलयालम	5,57,705	0.89

36.2 क. राज्य की राजभाषा : राज्य की राजभाषा तमिल है।

ख. अतिरिक्त राजभाषा : सूचना दी गई है कि अंग्रेजी को संप्रेषण के प्रयोजन हेतु अतिरिक्त राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है।

36.3 क. सूचना दी गई है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या जिले की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

ख. यह भी जानकारी दी गई है कि निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं जिले/तालुक/तहसील/ नगरपालिका की आबादी (जनगणना 2001 के अनुसार) के 15 प्रतिशत या इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं:

जिला	तहसील / तालुक / नगरपालिका	भाषा	प्रतिशतता
तिरुवल्लुर	तिरुत्तानी	तेलुगु	27.11
तिरुवल्लुर	तिरुवल्लुर	तेलुगु	16.21
वेल्लौर	वनियामबोडी	उर्दू	19.31
कन्याकुमारी	1. कलकुलम 2. कुजीतुरई	मलयालम	30.00 20.00
विरुदनगर	राजापल्लयम	तेलुगु	21.07
डिंडीगुल	कोडाईकैनाल	तेलुगु	17.36
डिंडीगुल	पालनी	तेलुगु	16.46
थेनी	पेरियाकुलम	तेलुगु	20.19
कोयम्बटूर	मिटटूपल्लयम	कन्नड़	53.77
कृष्णागिरि	होसुर	तेलुगु	29.07
सालेम	सालेम	तेलुगु	19.55
कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	तेलुगु	22.82
इरोड	गोबीचेट्टीपल्लयम	तेलुगु	16.14

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है:

36.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

- क. सूचना दी गई है कि कन्याकुमारी जिले में, पद्मनाभपुरम, किल्लीयुर एवं विलवानकोड निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची मलयालम भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए अनुवाद/प्रचार-प्रसार का भाषावार ब्योरा नहीं दिया गया है।
- ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन स्वीकार करने के लिए कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं। यह भी सूचना दी गई है कि यदि अभ्यावेदन अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त होंगे तो शिकायतों का निवारण करने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाएगी तथा यथा संभव उनके उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में दिए जाएंगे।

36.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

- क. राज्य सेवाओं के तहत निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान ही पूर्वापेक्षित है:

1. जिला शिक्षा अधिकारी
2. सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-II
3. कृषि अधिकारी (एक्सटेंशन)
4. विधि विभाग के तमिल प्रकोष्ठ में अनुभाग अधिकारी (अनुवाद)

बताया गया है कि तमिल से इतर मातृभाषा वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय श्रेणी भाषा की परीक्षा तमिलनाडु राज्य तथा अधीनस्थ सेवा नियमावली के नियम 12क (ख) के अनुसार दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

- ख. बताया गया है कि तमिलनाडु से इतर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को 'अन्य' अर्थात् 'सामान्य' श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाता है।

- ग. इस संबंध में कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों का उत्तर देने में अल्पसंख्यक भाषाएं प्रयुक्त किए जाने की अनुमति है या नहीं, बताया गया है कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र सामान्यतः अंग्रेजी तथा तमिल में तैयार किए जाते हैं। कतिपय पदों जैसे कि सहायक चिकित्सा अधिकारी, (सिद्ध और यूनानी) के लिए प्रश्न पत्र क्रमशः तमिल/उर्दू में तैयार किए जाते हैं क्योंकि ये विषय इन्हीं भाषाओं में पढ़ाए जाते हैं। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपालित परीक्षा स्कीम के अनुसार, सभी पदों के लिए प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं।

- घ. राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होने के संबंध में बताया गया है कि तमिलनाडु राज्य तथा अधीनस्थ सेवा नियमावली का पैरा 12 लागू होता है जिसका विवरण निम्नवत् है:

राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को अवश्य ही:

- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा
- (ख) नेपाल का निवासी होना चाहिए अथवा
- (ग) भूटान का निवासी होना चाहिए अथवा
- (घ) तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आए थे।

अथवा

- (च) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों— केन्या, यूगाण्डा, तंजानिया संयुक्त गणराज्य (पूर्ववर्ती तंजानिका तथा जंजीबार) जाम्बिया, मालावी, जायरे तथा इथियोपिया से प्रवास किया हो।

बशर्ते कि श्रेणी (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित अभ्यर्थी वैसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र दिया गया हो।

वैसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है तथा उन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक प्रमाण-पत्र दिया गया हो।

अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों (तमिलनाडु के अभ्यर्थियों को छोड़कर) को सभी भर्तियों के लिए अन्य अर्थात् सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा। यह भी बताया गया है कि शिक्षक भर्ती बोर्ड में राज्य सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

36.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

- क. बताया गया है कि तमिलनाडु द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल (विनियमन) अधिनियम 1973, नियमावली 1974 तथा तमिलनाडु अल्पसंख्यक विद्यालय (मान्यता एवं अनुदानों की अदायगी) नियमावली 1977 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है।
- ख. यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार ने शासनादेश (एम०एस०) सं० 270, उच्चतर शिक्षा (जे१) विभाग दिनांक 17.06.1998 के तहत शैक्षणिक संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, शैक्षणिक संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सरकार है।
- ग. इसके अलावा, शासनादेश (एम०एस०) सं० 386, उच्चतर शिक्षा (जो१) विभाग दिनांक 11.12.2006 तथा शासनादेश (एम एस) सं० 48 उच्चतर शिक्षा (ई१) विभाग, दिनांक 12.03.2007 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने तथा इसे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी निर्धारित की गई हैं:
- सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों को प्रथम बार वर्ष 2007-08 से पांच वर्षों के लिए अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है।
 - उन संस्थाओं जिन्हें पहले ही अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा चुका है, के लिए अल्पसंख्यक दर्जे का विस्तार वर्ष 2007-08 से पांच वर्षों तक किया जा चुका है।
 - निदेशक, कालेजिएट शिक्षा अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कालेजिएट शिक्षा, संस्था का वार्षिक निरीक्षण करेंगे।
 - यदि कोई अल्पसंख्यक संस्था भूल-चूक से अल्पसंख्यक दर्जे के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो विभागाध्यक्ष अल्पसंख्यक दर्जा वापिस लेने के लिए सरकार की जानकारी में इस बात को लाएगा तथा सरकार संबंधित संस्था को एक अवसर देकर अल्पसंख्यक दर्जा वापिस लेने के लिए आगे की कार्रवाई कर सकती है।
- घ. सूचना दी गई है कि 30 जून 2015 तक राज्य में निम्नलिखित भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है:

प्राथमिक विद्यालय शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार

भाषा	स्कूल
उर्दू	276
तेलुगु	458
मलयालम	39
कन्नड़	56
हिन्दी	3
गुजराती	2
सौराष्ट्र	1

स्कूल शिक्षा

भाषा	उच्च विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
उर्दू	4	12
तेलुगु	37	21
कन्नड़	1	2
मलयालम	15	24
हिन्दी	1	1
अरबी	1	2

उच्चतर शिक्षा

भाषा	उच्चतर शिक्षा (कला एवं विज्ञान)
राजस्थानी एवं गुजराती	1
सौराष्ट्र	1
मलयालम	3
तेलुगु	9
कन्नड़	1

तकनीकी शिक्षा

भाषा	तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरिंग कालेज)
तेलुगु	43
कन्नड़	1
हिन्दी	1
मलयालम	2
सौराष्ट्र	2

चिकित्सा शिक्षा

भाषा	चिकित्सा	डेंटल	नर्सिंग	फार्मसी	पैरामेडिकल
तेलुगु	2	1	1	1	1
कन्नड़	—	1	1	1	—
मलयालम	1	1	1	—	—

ड. 30 जून, 2015 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता हेतु लंबित आवेदनों की स्थिति निम्नवत् है:

प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल-शून्य

उच्चतर शिक्षा

कालेज	—	मलयालम	—	2
	—	तेलुगु	—	3
	—	कन्नड	—	2

तकनीकी शिक्षा

—	तेलुगु	—	7
—	मलयालम	—	1

चिकित्सा शिक्षा

—	मलयालम	—	1
---	--------	---	---

36.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

- क. सूचित किया गया है कि तमिलनाडु द्वारा मान्यताप्राप्त प्राइवेट स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 1974 की धारा 14क के अनुसार 01.06.1991 के बाद किसी नई शैक्षणिक संस्था को कोई सहायता नहीं दी गई है।
- ख. राज्य में वर्ष 2014-15 के लिए भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को स्वीकृत सहायता-अनुदान का विवरण निम्नलिखित है:

स्तर	अल्पसंख्यक भाषाओं के नाम	स्कूलों की संख्या
प्राथमिक	उर्दू	42
	तेलुगु	4
	मलयालम	31
	कन्नड़	5
	हिंदी	5
	गुजराती	2
	सौराष्ट्र	3
उच्च प्राथमिक	उर्दू	5
	तेलुगु	8
	मलयालम	7
	कन्नड़	2
	हिंदी	0
	गुजराती	1
	सौराष्ट्र	1

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

36.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

- क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्योरा निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	230	22,670	604

तेलुगु	391	12,048	786
मलयालम	29	962	70
कन्नड़	47	2,403	91
हिंदी	3	599	9
गुजराती	2	76	2

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	170	18,388	418
तेलुगु	276	7,861	421
कन्नड़	15	533	29
मलयालम	29	989	72
हिंदी	3	219	9

36.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा (प्रारंभिक स्कूल शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार) निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	46	4,089	127
तेलुगु	67	5,311	342
मलयालम	10	482	29
कन्नड़	9	970	67

शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा (माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार) निम्नवत है:

भाषा	स्कूल	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	51	8,356	196	43.1
तेलुगु	68	3,215	45	71.1
मलयालम	74	1,879	111	17.1
कन्नड़	15	1,064	46	23.1
हिंदी	10	1,685	24	70.1
गुजराती	10	1,685	24	70.1

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	स्कूल	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	128	15,652	339	—
तेलुगु	126	4,180	276	—
कन्नड़	1	10	1	—
मलयालम	13	637	36	—
हिंदी	2	138	6	—

उच्च विद्यालय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	स्कूल	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	51	8,877	192	46.1
तेलुगु	11	245	15	16.1
कन्नड़	1	20	1	20.1
मलयालम	4	221	4	55.1
हिंदी	8	959	14	68.1
गुजराती	8	959	14	68.1

36.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. बताया गया है कि माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	स्कूल	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	26	5,364	101	53:1
तेलुगु	60	5,432	395	14:1
मलयालम	58	1,297	97	14:1
कन्नड़	7	1,004	36	28:1
हिंदी	7	1,007	16	63:1
गुजराती	2	272	6	45:1
अरबी	3	714	16	45:1

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

स्कूली शिक्षा

भाषा	स्कूल	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	2	82	2	41.1
तेलुगु	5	192	5	38.1
मलयालम	2	191	7	27.1
हिंदी	8	819	14	58.1
गुजराती	7	819	15	55.1
अरबी	5	796	18	44.1

36.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	स्कूल	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
उर्दू	18	3,252	46	70.1
तेलुगु	12	4,617	62	74.1
मलयालम	19	1,751	25	70.1

कन्नड़	3	766	12	63.1
अरबी	2	311	8	39.1

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	स्कूल	छात्र	शिक्षक	छात्र-शिक्षक अनुपात
गुजराती	6	569	8	71.1
अरबी	5	459	11	42.1
मलयालम	2	368	6	61.1
हिंदी	7	603	9	67.1
तेलुगु	5	514	8	64.1
उर्दू	3	148	3	50.1

36.12 त्रिभाषा सूत्र

क. सूचित किया गया है कि राज्य में द्विभाषा सूत्र का अनुपालन किया जाता है। इसका ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

प्रथम भाषा : तमिल/मातृभाषा
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी

ख. यह भी बताया गया है कि जो छात्र अपनी भाषा पढ़ना चाहते हैं उन्हें तीसरी भाषा अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़नी होगी।

36.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्नवत् है :

प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
तेलुगु	801	698	194	204
मलयालम	95	96	95	91
उर्दू	570	417	131	98
कन्नड़	160	114	4	4
हिंदी	7	7	7	8
गुजराती	2	2	2	2
अरबी	0	0	27	23

माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
तेलुगु	394	332	26	24
मलयालम	144	133	127	115
उर्दू	31	24	25	20

कन्नड़	51	29	7	7
हिंदी	23	21	39	37
अरबी	4	4	—	—

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
हिंदी	1	1	1	1
अरबी	1	1	1	1

- ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
- ग. बताया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षकों के आदान-प्रदान के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई परस्पर सहयोग नहीं लिया जाता है।

36.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें

- क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती है। तमिलनाडु पाठ्य-पुस्तक निगम, शैक्षणिक सेवा निगम ने स्कूली शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, इस निगम के क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें मुद्रित तथा सप्लाई की।
- ख. सूचना दी गई है कि सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं। प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को बिक्री-प्रतियों की आपूर्ति वहनीय दरों पर की जाती है।

36.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव

बताया गया है कि 470 प्राथमिक विद्यालयों, 63 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 163 माध्यमिक, 54 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव किया जा रहा है।

36.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

- क. बताया गया है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन की कोई योजना नहीं है।
- ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन तथा विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित अकादमी के संबंध में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

36.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

- क. सूचित किया गया है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देखभाल कर रहा है। तमिलनाडु के राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पिछली बार 28.12.2012 को पुनर्गठित किया गया। अध्यक्ष तथा 6 सदस्यों ने 01.01.2013 को प्रभार ग्रहण किया। इसकी पिछली बैठक 23 जून, 2015 को आयोजित की गई थी।

ख. राज्य अल्पसंख्यक आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से संस्तुतियां करता है:

- i. भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन को सुनिश्चित किए जाने हेतु।
- ii. अध्ययन, अनुसंधान, और विश्लेषण करने तथा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को दूर करने के उपाय का सुझाव देने हेतु।
- iii. राज्य में साम्प्रदायिक सदभाव को सुनिश्चित करने, बनाए रखने तथा बढ़ावा देने हेतु संस्तुति करने के लिए।
- iv. अल्पसंख्यकों के संबंध में सरकार द्वारा किए जाने के लिए उपयुक्त विधिक एवं कल्याणकारी उपायों का सुझाव देने हेतु।

ग. बताया गया है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ संबद्ध शिक्षा विभागों के मुख्य शिक्षाधिकारियों को भाषाई अल्पसंख्यक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

36.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार

क. यह सूचित किया गया है कि शासनादेश (एम० एस०) सं० 455 पब्लिक (पार्टीसन) विभाग दिनांक 14.3.1961 में इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि सभी महत्वपूर्ण सरकारी नोटिस, नियमावली तथा मतदाता सूची तथा प्रपत्रों इत्यादि का प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में किया जाएगा। अल्पसंख्यक भाषाओं में दस्तावेजों के पंजीकरण इत्यादी की सुविधाएं उन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रदान की जाएंगी जहाँ की स्थानीय जनसंख्या के 20 प्रतिशत या अधिक लोग तमिल से भिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वाले हैं।

ख. बताया गया है कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं/विद्यालयों (आई डी एम आई) के बुनियादी विकास की योजना, स्कूल शिक्षा विभाग, द्वारा संबंधित राजस्व जनपदों के मुख्य शिक्षाधिकारी की अध्यक्षता में तैयार की गई है।

निष्कर्ष / संस्तुतियां

36.19 आयुक्त ने सहायक आयुक्त (दक्षिणी क्षेत्र) के साथ 5 से 7 फरवरी, 2016 तक वेल्लौर तथा चेन्नै का दौरा किया तथा विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने पिछले दौरे और तमिल शिक्षा अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में तमिलनाडु सरकार के साथ की गई बैठकों और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान 7000 भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को भाग-1 तमिल में लिखने के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत का भी हवाला दिया।

36.20 तमिलनाडु के भाषाई अल्पसंख्यक फोरम के सदस्यों ने सी एल एम की जानकारी में यह बात लाई कि इस अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम में मातृभाषा पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, केवल विकल्प के रूप में पढ़ने की व्यवस्था की गई है। मातृभाषा पढ़ाए बगैर कोई विषय मातृभाषा के माध्यम में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। मातृभाषा में शिक्षण के माध्यम का चयन करने का विकल्प न केवल भ्रान्तिमूलक है वरन् गैर-अस्तित्वमान भी है। यदि कोई अर्हक परीक्षा नहीं होगी और वैकल्पिक विषय को अंकपत्र में शामिल नहीं किया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति मातृभाषा में उच्चतर अध्ययन नहीं कर सकता है। परिणामस्वरूप विभिन्न कालेजों में सभी अल्पसंख्यक भाषा अनुभाग बंद होने के कगार पर हैं और शिक्षक यथा समय अपनी नौकरी खो देंगे।

36.21 विडंबना यह है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने की अनुमति के संबंध में इस रिपोर्ट की प्रश्नावली के उत्तर में बताया गया है कि सभी भर्तियों के लिए प्रश्न पत्र आमतौर पर अंग्रेजी और तमिल में बनाए जाते हैं। कुछ पदों जैसे कि

सहायक चिकित्सा अधिकारी (सिद्ध) और (यूनानी) के लिए प्रश्न-पत्र क्रमशः तमिल/उर्दू में तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये विषय इन भाषाओं में ही पढ़ाए जाते हैं। अतः सरकार को न केवल चिकित्सा अधिकारी-सिद्ध या यूनानी के पदों के लिए ही अल्पसंख्यक भाषा की जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए वरन् अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षकों की भर्ती की मांगों की स्वीकृति रखना भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

- 36.22 राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए, आयुक्त के दिनांक 25 जून, 2015 और 16 अक्टूबर 2015 के पत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया जाता है कि राज्य में अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार का ध्यान मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 के विचार-विमर्शों तथा इसमें अंगीकृत इस संकल्प की ओर लाया जाता है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की पुनः पुष्टि की जाए। इसे वस्तुतः अनुच्छेद 350 क से संवैधानिक मान्यता मिली और राष्ट्रपति, जहां कहीं आवश्यक हो, निदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के निर्णयों को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। चूंकि ये निर्णय राज्य पुनर्गठन आयोग की कुछ संस्तुतियों के दृष्टिगत लिए गए थे, इसलिए वे उस समय विद्यमान स्थिति विशेष से संबद्ध थे और अन्य राज्यों पर पूर्णतया लागू नहीं होते हैं। किन्तु इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया और इसमें आवश्यक समतुल्यता की जा सकती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्व में उपलब्ध किसी भी सुविधा को कम नहीं किया जाना चाहिए तथा जहां कहीं संभव हो, और भी सुविधाएं दी जानी चाहिए।
- 36.23 इस अधिनियम का एक और प्रतिकूल प्रभाव सी बी एस ई स्कूलों पर इस पद्धति का विस्तार किया जाना था जहां अब तक "त्रिभाषा सूत्र" का अनुसरण किया जाता रहा है। भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षा फोरम द्वारा बताया गया है कि शासनादेश एम एस सं. 145 दिनांक 18.09.2014 से बच्चों के प्रवासी माता-पिता, तमिलनाडु प्रवास करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। इस आदेश को लागू करने से सी बी एस ई प्रणाली के तहत बच्चे मातृभाषा पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। यह भी बताया गया है कि प्रवासी माता-पिता के बच्चे अपने शैक्षणिक वर्ग के मध्य में तब तक तमिल नहीं सीख सकेंगे जब तक कि उन्होंने पूर्व में अन्यथा इसकी पढ़ाई न की हो और जब वे तमिलनाडु से चले जाएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः इसे सी बी एस ई के तहत स्थापित एवं समय की कसौटी पर खरी शैक्षणिक प्रणाली के लिए अहितकर और बाधाकारी बताया गया है।
- 36.24 माध्यमिक शिक्षा के संबंध में तमिलनाडु सरकार का ध्यान राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 (एस आर सी) के विचार-विमर्शों तथा संस्तुतियों की ओर आकृष्ट किया जाता है। संस्तुति की गई थी कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के संबंध में स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए तथा इसे लागू करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। इसके अलावा, प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन, 1949 में, अंगीकृत संकल्प पर विचार करते हुए और राज्यों के साथ परामर्श करके, 'त्रिभाषा सूत्र' को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में अपनाया गया था। इस बात पर बल दिया गया था कि इन सिद्धांतों पर राज्य के शिक्षा विभागों द्वारा उनके राज्यों में व्याप्त मौजूदा स्थितियों के साथ अनुकूलन की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। मातृभाषा के सूत्र को शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में इस्तेमाल हेतु पूर्णतया प्रयुक्त नहीं किया जा सका। यह स्तर छात्रों को स्कूल-छोड़ने की उम्र के बाद पेशे का अनुसरण करने में समर्थ बनाने हेतु अधिक उन्नत शिक्षा प्रदान करता है तथा विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार भी करता है। चूंकि तमिलनाडु में 'द्विभाषी सूत्र' का अनुसरण किया जा रहा है, अतः राज्य की राजभाषा और भाषाई अल्पसंख्यकों की मातृभाषा के इस्तेमाल में कठिनाई होती रही है। अतः मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में लिए गए निर्णयों तथा छात्रों को स्कूल के बाद पेशे का अनुसरण करने में समर्थ बनाने हेतु उन्नत शिक्षा प्रदान करने की उभरती हुई मांग के

दृष्टिगत, राज्य सरकार से आग्रह है कि वे तमिलनाडु में भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों में तमिल तथा अपनी मातृभाषा की शिक्षा के महत्व में संतुलन बनाने के लिए शिक्षा पर एक व्यापक नीति प्रस्तुत करें तथा भाषाई सद्भावना सुनिश्चित करें।

36.25 इसके अतिरिक्त, राज्य से निम्नलिखित के लिए आग्रह किया जाता है:-

- क. स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन-प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल करें ताकि बच्चे की मातृभाषा, माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई प्रथम भाषा; तथा तीसरी भाषा की जानकारी दाखिले के समय हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को अपनी-अपनी मातृभाषाएं पढ़ने की पर्याप्त सुविधाएं दी जाती हैं।
- ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करें क्योंकि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के मामले में छात्र-शिक्षक अनुपात अत्यधिक है।
- ग. राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा के संबंध में विस्तृत ब्यौरा दें।
- घ. सौराष्ट्र भाषा पढ़ने की सुविधा को स्पष्ट करें क्योंकि इस भाषा के लिए कोई निश्चित लिपि नहीं है।
- ङ. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं वहां महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों, सूचनाओं इत्यादि का अनुवाद और प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में सुनिश्चित करें।
- च. शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने तथा उनका उन्हीं भाषाओं में उत्तर देना सुनिश्चित करें।
- छ. उर्दू अकादमी को पुनर्जीवित करें तथा इसके संवर्धन एवं संरक्षण के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था करें। अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए अकादमियों का गठन करें।
- ज. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू करना चाहिए जिससे कि राज्य में उनमें जागरूकता फैल सके।
- झ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की जा सकती है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

36.20 तमिलनाडु सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लें तथा आवश्यक उपचार उपाय करे ताकि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित एवं घोषित करना

- 37.1 2011 की जनगणना के भाषाई आंकड़े शीघ्र ही जारी किए जाने हैं। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2011 की जनगणना से भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी का निर्धारण करना चाहिए ताकि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के संबंध में अस्पष्टता दूर हो सके। तदनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उन भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले क्षेत्रों को घोषित/अधिसूचित करने का आग्रह है जो स्थानीय स्तर अर्थात् जिला/नगरपालिका/तालुक स्तरों पर स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हों जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों को अधिसूचित करना

- 37.2 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 (एस आर सी, 1956) ने महसूस किया कि अनुच्छेद 350 के अधीन केन्द्र में या राज्यों में प्रयुक्त किसी भाषा में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की सिफारिश की ताकि वे अपनी मातृभाषा पढ़ सकें तथा प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषा का इस्तेमाल कर सकें। इन अल्पसंख्यक भाषाओं का संरक्षण तथा विकास करने के लिए मातृभाषा के जरिए शिक्षा प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। तदनुसार संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के जरिए संविधान में अनुच्छेद 350 क जोड़ा गया। तत्पश्चात् एक सहमतिजन्य तंत्र के जरिए अल्पसंख्यक भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न मंचों जैसे कि शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन, 1949; भारत सरकार के ज्ञापन 1956; दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के निर्णय 1959; मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन 1961 तथा क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की समिति की बैठक 1961 पर अखिल भारतीय स्तर पर रक्षोपायों की योजना तैयार की गई। ऐसा पाया गया है कि अनेक दशकों के बाद भी, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों को अधिसूचित नहीं किया है। अतः राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से आग्रह है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों को अधिसूचित करें।

प्राथमिक शिक्षा

- 37.3 अनुच्छेद 350क में परिकल्पित है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना चाहिए और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। तथापि, व्यापक रूप से ऐसी सूचना मिली है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संवैधानिक अधिकारों को अनदेखा की गई है। ऐसा देखा गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के पर्याप्त बच्चों अथवा शिक्षक की कमी के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। यह भी देखा गया है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को अनिवार्य बनाए जाने की खतरनाक प्रवृत्ति उभर रही है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे अनुच्छेद 350क के तहत उपबंधित संवैधानिक रक्षोपाय को मूलभाव में लागू करें तथा भाषाई सदभाव को बढ़ावा दें। यह भी आग्रह है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यक भाषाओं की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में विचारशील एवं उदार बनें।

मातृभाषा की घोषणा

- 37.4 प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन, अगस्त 1949 में अपनाए गए और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संकल्प में प्रावधान है कि मातृभाषा में शिक्षा के लिये कम-से-कम एक अध्यापक की नियुक्ति का

प्रबन्ध किया जाना चाहिए बशर्ते कि इस भाषा को बोलने वाले छात्रों की संख्या समस्त स्कूल में 40 से कम या एक कक्षा में 10 से कम न हों। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि छात्र की मातृभाषा वही मानी जायेगी जिसकी घोषणा उसके माता-पिता या अभिभावक करेंगे। अतः संस्तुति की जाती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी स्कूलों को दाखिले के लिए आवेदन प्रपत्रों में उपयुक्त स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि (i) बच्चे की मातृभाषा; (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा/शिक्षा के माध्यम (iii) वैकल्पिक विषय/तीसरी भाषा जो माता-पिता पढ़वाना चाहते हों; का निर्धारण हो सके जिससे कि अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग के बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्कूल समर्थ हो सके।

माध्यमिक शिक्षा

37.5 माध्यमिक शिक्षा के संबंध में, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ने संस्तुति की कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के संबंध में स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए। समिति ने स्वविवेक से यह भी समुक्ति की कि माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से भिन्न रूप से समझना अपेक्षित होगा और इसलिए माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की संवैधानिक मान्यता की सिफारिश नहीं की। इसके अलावा, प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन 1949 में अपनाए गए संकल्प के दृष्टिगत तथा राज्यों के साथ परामर्श करके मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। तथापि अनेक राज्यों जहां क्षेत्रीय भाषा पढ़ना प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य किया जा रहा है, में उभरती हुई प्रवृत्ति से भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच अंसतोष पैदा हुआ है। सूचित किया गया है कि तमिलनाडु में तमिल पढ़ना मानकों एवं संस्थापित क्रियाविधि का घोर उल्लंघन करते हुए केन्द्रीय बोर्ड स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया जाता है कि वे माध्यमिक स्तर पर शिक्षा नीति बनाने में सावधानी बरतें तथा केन्द्र सरकार के साथ परामर्श करें ताकि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों की आकांक्षाएं एवं मांगें सुनिश्चित की जा सकें।

37.6 त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र भाषा विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अपनाए जाने हेतु, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन, 1961 में सहमति बनी थी कि इस सूत्र को सरल किया जाना चाहिए तथा शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के लिए भाषा विषय निम्नवत होने चाहिए:

- (क) क्षेत्रीय भाषा तथा मातृभाषा जिसमें मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो;
- (ख) हिन्दी अथवा, हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कोई अन्य भारतीय भाषा; तथा
- (ग) अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।

इसका अनुपालन तमिलनाडु और पुदुच्चेरी को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि अधिकांश राज्यों में राज्य की राजभाषा पढ़ना स्कूल के पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया गया है। अतः आग्रह है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रदेश के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें तथा अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की भी सुविधा प्रदान करें। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे केन्द्र सरकार के साथ परामर्श करके अपनी शिक्षा नीति की समीक्षा करें तथा अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करें।

भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण

37.7 विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के साथ हुई बातचीत तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में यह देखा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों के पद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं। यह भी पाया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षक के प्रशिक्षण की

सुविधा अपर्याप्त है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस मामले में उपेक्षा प्रदर्शित हुई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों की यह गंभीर चिंता का विषय रहा है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया जाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई वर्गों के बच्चों के हितार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं के पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक तैनात किए जाएं।

अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के लिए पृथक संवर्ग

- 37.8 अतः संस्तुति की जाती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के लिए एक अलग संवर्ग बनाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके पद आवश्यकताओं के अनुसार सृजित किए जाएं और भरे जाएं।

अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री

- 37.9 ऐसा सूचना मिली है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही तत्काल उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। यह भी सूचित किया गया है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के पाठ्यक्रम में भिन्नता होने से अन्तर-राज्य व्यवस्था द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति में देरी होती रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री की आपूर्ति रियायती मूल्यों पर की जाने की अपेक्षा की जाती है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे उपयुक्त तंत्र स्थापित करके भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के हितार्थ शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही पाठ्य-पुस्तकों के अन्तर-राज्यीय अनुवाद/मुद्रण/प्रापण और आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 37.10 पाठ्य-पुस्तकों की मांग को पूरा करने के लिए, संस्तुति की जाती है कि सर्वशिक्षा अभियान (एस एस ए) के तहत प्रदत्त निधियों को अल्पसंख्यक भाषाओं एवं जनजातीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री तैयार एवं प्रकाशित करने हेतु उपयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाए।

अल्पसंख्यक तथा जनजातीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन

- 37.11 ऐसा पाया गया है कि जनजातीय तथा अल्पसंख्यक भाषाएं जो लिपिविहीन हैं, मध्यप्रदेश, ओडिशा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर लुप्त होने के कगार पर हैं। शैक्षणिक शाखा में अल्पसंख्यक भाषाओं को शामिल न करने के लिए अक्सर दोहराए जाने वाला तर्क यह है कि उनकी लिपि नहीं है। यह सुअभिज्ञात है कि लिपियों का अर्थ भाषा के ध्वनिग्राम को निरूपित करने के प्रतीकों से ही है। वस्तुतः, वे भाषाएं नहीं हैं। कोई भी भाषा एक से अधिक लिपि में लिखी जा सकती है और इससे भाषा नहीं बदलती है। कुछ राज्य प्रधान भाषा की लिपि अथवा इन भाषाओं के लिए रोमन लिपि का इस्तेमाल करते आ रहे हैं जो तब तक स्वीकार्य है जबतक उस भाषा को इस लिपि के जरिए संवर्धित एवं बढ़ावा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नई स्वेच्छित लिपियों का उद्भव कठिन तथा अवांछनीय भी है।
- 37.12 परिणामस्वरूप, अल्पसंख्यक/जनजातीय भाषाओं में शिक्षण अथवा एक विषय के रूप में अपनी मातृभाषाएं पढ़ने की सुविधाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नहीं प्रदान की गई हैं। कुछ राज्यों की उदासीनता तथा उनके द्वारा प्राथमिक स्तर पर राजभाषा/प्रधान भाषाओं की शिक्षा देने की नीति के कारण भी अल्पसंख्यक/जनजातीय भाषाएं संकट में हैं। यह सिद्ध एवं सार्वभौमिक रूप से माना हुआ है कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की उनके जीवन के आरंभिक चरण में मानसिक क्षमता को विकसित करने की सर्वोत्तम पद्धति है। अतः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक एवं जनजातीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करने के मानव संसाधन विकास और जनजातीय मंत्रालयों जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई करें।
- 37.13 भाषाओं के संवर्धन एवं विकास पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्याप्त ध्यान एवं महत्व दिया जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम०एच०आर०डी०) ने संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार की एक

व्यवस्थित प्रणाली के जरिए अल्पसंख्यक एवं जनजातीय भाषाओं का संवर्धन एवं संरक्षण करने हेतु केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०) तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। इन भाषाओं की साहित्यिक विरासत को परिरक्षित करने तथा नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अकादमियां/संस्थाएं स्थापित करनी चाहिए। तथापि, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए योजनाओं, अकादमियों तथा बजट आवंटन के संबंध में राज्यों द्वारा प्रदत्त सूचना आशावर्धक नहीं है। अधिकांश राज्यों में अकादमियां स्थापित हैं किन्तु निष्क्रिय हैं। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक/जनजातीय भाषाओं का संवर्धन एवं विकास करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हों।

सरकारी प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का इस्तेमाल

- 37.14 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में सहमति बनी थी कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आधिकारिक भाषा व्यापक रूप से सरकारी प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत है। तथापि, आम लोगों के साथ संप्रेषण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बहुसंख्यक लोग यह समझ सकें कि उन्हें क्या संप्रेषित किया जाता है। अतः इस बात को दोहराया जाता है कि जहां प्रचार-प्रसार अपेक्षित हो, वहां राजभाषा के साथ-साथ उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली अन्य भाषाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- 37.15 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में इसपर भी सहमति दी गई कि किसी जिले या किसी छोटे क्षेत्र जैसे कि नगरपालिका या तहसील जहां कहीं, भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी कुल आबादी का 15 से 20 प्रतिशत हो तो यह वांछनीय होगा कि महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाएं तथा नियम अल्पसंख्यकों की भाषा में, किसी अन्य भाषा या भाषाएं जिनमें ऐसे दस्तावेज सामान्य क्रम में अन्यथा प्रकाशित होते हैं, के साथ प्रकाशित करवाएं जाएं। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य/जिला स्तरों पर अल्पसंख्यक भाषाओं में महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं एवं नियमों के अनुवाद एवं प्रकाशन की सुविधा स्थापित करने का आग्रह है ताकि सभी सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों से भाषाई अल्पसंख्यकों को लाभ प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके।
- 37.16 ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषाओं का इस्तेमाल स्थानीय आधिकारिक संव्यवहार में नहीं किया जा रहा है। महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, राशन कार्ड, मतदाता सूची इत्यादि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं आपूर्ति की व्यवस्था की उपेक्षा की गई है। भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले कई जिलों से यह भी सूचना मिली है कि सार्वजनिक लेन-देन वाले कार्यालयों के सूचना-पट्ट, साइन-बोर्ड तथा बसों के गंतव्य स्थानों के बोर्ड राजभाषाओं के साथ-साथ अल्पसंख्यक भाषाओं में नहीं लिखे जाते हैं। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे स्थानीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ सूचना-पट्ट, साइन बोर्ड तथा बसों के गंतव्य बोर्ड में अल्पसंख्यक भाषाओं का इस्तेमाल करें।
- 37.17 अनुच्छेद 350 में संघ में अथवा राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में शिकायत के निवारण हेतु अभ्यावेदनों की स्वीकृति का प्रावधान है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे अल्पसंख्यक भाषाओं में शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदनों को स्वीकार करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उसी भाषा में उत्तर के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है।

राज्य सेवाओं में भर्ती

- 37.18 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में सहमति दी गई थी कि राज्य की सेवाओं की भर्ती में भाषा अवरोध नहीं होनी चाहिए। अतः राज्य की राजभाषा के अलावा, परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। चयन होने के उपरांत तथा परीक्षा समाप्त होने से पूर्व राज्य की राजभाषा में प्रवीणता की जांच-परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।
- 37.19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तरों में देखा गया है कि राज्य की सेवा में भर्ती के लिए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान एक पूर्वापेक्षा रही है। यह भी पाया गया है कि राज्य

सेवा की भर्ती परीक्षा में प्रश्न-पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में दिए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य की सेवाओं में आने के समय एक पूर्वापेक्षा के रूप में राज्य की राजभाषा के ज्ञान पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक भाषाओं में परीक्षा के उत्तर लिखने का विकल्प दिया जाना चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भाषाई अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में लिए गए निर्णयानुसार परिवीक्षा की अवधि के भीतर राज्य की राजभाषा में अर्हता हासिल करने के लिए पर्याप्त समय भी देना चाहिए।

- 37.20 सूचना मिली है कि कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए अभी भी अधिवासीय प्रतिबंध लगा रहे हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित रक्षोपायों से संबंधित भारत सरकार के ज्ञापन, 1956 में यह अत्यंत सुस्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य की सेवाओं की किसी भी शाखा या संवर्ग में आवास के संदर्भ में कोई भी प्रतिबंध लगाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों से संबंधित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की मंत्रालयीन समिति, 1959 में भी कहा गया था कि लोक सेवाओं में भर्ती को अधिवासीय प्रतिबंधों द्वारा सीमाबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया जाता है कि वे राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध न लगाएं तथा विशेषतौर पर भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों की भर्ती के मामले में इस नीति की समीक्षा करें जिससे कि अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को भरा जा सके।

भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना एवं संबद्ध करना

- 37.21 राज्य पुनर्गठन आयोग (एस आर सी) की सिफारिशों तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित रक्षोपायों से संबंधित भारत सरकार के ज्ञापन, 1956 में शैक्षणिक संस्थाओं को नए या पुनर्गठित राज्यों में स्थित उपयुक्त विश्वविद्यालयों या शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने तथा मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में सहमति दी गई थी कि शैक्षणिक संस्थाओं जैसे कि स्कूलों तथा कालेजों को मातृभाषा में पाठ्यक्रम के संबंध में, उसी राज्य में तथा कतिपय मामलों में उस राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्राधिकरणों से संबद्ध किया जा सकता है।
- 37.22 यद्यपि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करते हैं, तथापि, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, जैसा कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित एवं प्रशासित करने के अधिकार का प्रावधान है। तथापि, अनेक राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है कि भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं के समतुल्य नहीं है। यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि भाषाई अल्पसंख्यक एक राज्य-आधारित संकल्पना है और इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं के समकक्ष मान्यता देने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करें।
- 37.23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे उचित विनियम लाकर भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनकी राज्य या केन्द्रीय बोर्ड जैसे कि सी०बी०एस०ई, आई०सी०एस०ई इत्यादि से संबद्धता के आधार पर भेदभाव किए बगैर मान्यता या अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करें। इसके अलावा, इस बात की संस्तुति की जाती है कि जब कभी कोई संस्थान भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हो तो तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए तथा संस्थान को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। यदि दावे को नामंजूर करने का निर्णय लिया जाना हो तो यह एक आख्यापक आदेश होना चाहिए जिसमें कारण बताए गए हों।

भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकारी

- 37.24 कई भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं एवं व्यक्तियों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यापक मांग की जाती रही है। यह भी देखा गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों एवं संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला/तहसील पर कोई पदनामित प्राधिकारी नहीं हैं। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के निमित्त कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश बनाएं तथा जिला/राज्य स्तरों पर प्राधिकारियों को नामित करें। जहां मान्यताप्रदान करने की शक्तियां निम्नतर अधिकारी को प्रत्यायोजित की गई हों, वहां मान्यता देने से इनकार किए जाने के विरुद्ध राज्य सरकार से अपील करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

रक्षोपायों के कार्यान्वयन के लिए तंत्र

37.25 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की सहमतिजन्य योजना में रक्षोपायों का मूलरूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/जिला स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों एवं अध्ययन संबंधी दौरों में देखा गया है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे किसी तंत्र की स्थापना नहीं की गई है। भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की रिपोर्टों में भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए राज्य/जिला स्तरीय समितियों की स्थापना तथा उनके लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन में आ रही अड़चनों को दूर करने की आवश्यकता को प्रायः दोहराया गया है। स्थानीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण, एकता एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करने की भी परिकल्पना की गई है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे राज्य/जिला स्तरीय समितियाँ गठित करें तथा रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

37.26 मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की एक बैठक दिनांक 11 तथा 12 अगस्त, 1961 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। चर्चा का मुख्य विषय भाषा तथा इसके विभिन्न पहलुओं का सवाल था। पंडित जी ने उस विषय पर संविधान में मौजूद उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने विशेषतौर पर अनुच्छेद 29, 30, 350 क और 350 ख का उल्लेख किया। उन्होंने भारत सरकार के 4 सितम्बर, 1956 के ज्ञापन का भी हवाला दिया जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग (एस०आर०सी०, 1956) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था। इसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श करने के बाद जारी किया गया था। यह ज्ञापन एक प्रकार से अखिल भारतीय संहिता के रूप में था जिसमें सभी राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत न्यूनतम रक्षोपायों को निर्दिष्ट किया गया था।

37.27 बैठक इस बात के साथ समाप्त हुई कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के अत्यधिक महत्व को देखते हुए, की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने तथा जब भी आवश्यक हो, आगे की कार्रवाई का सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की और अधिक बारम्बार बैठकें की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने में सफलता सभी राज्यों तथा केन्द्र सरकार की सतत निगरानी तथा सहयोग पर निर्भर थी। राष्ट्रीय एकीकरण की अत्यधिक महत्ता के दृष्टिगत सहमति दी गई कि इसपर राष्ट्रीय योजना में कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, अपेक्षाकृत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के साथ-साथ संसद में विभिन्न दलों के प्रमुख सदस्य तथा शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों तथा पेशेवर व्यक्तियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति होने चाहिए। पांच दशक बीत जाने पर भी ऐसा कोई सम्मेलन नहीं आयोजित हुआ। अतः गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करें जिससे कि पचास से भी अधिक वर्ष पूर्व तैयार किए गए भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी रक्षोपायों की योजना की पुनः अभिपुष्टि की जा सके।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद/क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें:

- 37.28 गृह मंत्रालय से 51वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर उनके पत्र सं० 1-21011/08/2016 NI-II दिनांक 1 फरवरी, 2016 के तहत प्राप्त कृत कार्यवाई रिपोर्ट की सराहना और स्वीकर करते हुए सूचना दी गई है कि राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की अगली बैठक के लिए कार्यसूची की मदों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से पहले ही आमंत्रित किया गया है और इसे डी ओ सं० 14-2/2015 समन्वय दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के तहत प्राप्त हो चुका है। यह भी सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सुझाई गई कार्य सूची की मद "भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने" से संबंधित थी। यह बात दोहराई जाती है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की विषय-वस्तु को राष्ट्रीय एकीकरण तथा क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की कार्यसूची में नियमित विषय बनाया जाना चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं को दूर किया जा सके और भाषाई सद्भावना और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। यह भी आग्रह है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को राष्ट्रीय एकीकरण परिषद (एन आई सी) का सदस्य होना चाहिए जैसा कि प्रथम राष्ट्रीय एकीकरण परिषद के गठन के समय परिपाटी थी।

भाषाई सर्वेक्षण

- 37.29 महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार (आर जी एवं सी सी आई) के कार्यालय से उनके पत्र सं० 9/14/2015-भाषा दिनांक 9 फरवरी, 2016 को प्राप्त 51वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर कृत कार्यवाई रिपोर्ट जो भारत के भाषाई सर्वेक्षण के संबंध में है, की सराहना की जाती है तथा उल्लेख किया जाता है। सूचना दी गई है कि एल एस आई की परियोजना को भू-राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विचाराधीन भाषाई परिदृश्य का मूल्यांकन करने हेतु अनुमोदित किया गया था। सूचित किया गया है कि एल एस आई परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना से आर जी एवं सी सी आई का एक नियमित कार्यकलाप है और निम्नलिखित पांच खंडों को अंतिम रूप दिया गया है तथा प्रकाशित किया गया है। एल एस आई उड़ीसा (2002), एल एस आई दादरा और नगर हवेली (2006); एल एस आई सिक्किम भाग-I (2012) तथा भाग-II (2014)। एल एस आई राजस्थान भाग-I (2014) यह भी सूचित किया गया है कि एल एस आई पश्चिम बंगाल तथा बिहार के खंडों के प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है। यह भी सूचित किया गया है कि इसके साथ "भारत की मातृभाषा का सर्वेक्षण" (एम टी एस आई) नामक एक अन्य परियोजना आर जी एवं सी सी आई द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई है तथा 2001 तथा 2011, दोनों जनगणनाओं में 600 मातृभाषाओं का सर्वेक्षण करने के लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-2017) के दौरान एम टी एस आई की एक नई विधि प्रगति में है।
- 37.30 भाषाई आंकड़ों के संबंध में सूचित किया गया है कि जनगणना अभिलेख की शुरुआत से सामान्य पद्धति यह है कि जनगणना के दौरान मातृभाषा की विवरणियों के आधार पर भाषा/मातृभाषाओं के विवरण के लिए क्रॉसचेकिंग की जानी होती है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक जनगणना में सामान्य जनगणना तालिका के प्रकाशन के बाद भाषा तालिका प्रकाशित की जाती है। 1971 की जनगणना के बाद अंतिम रूप से तैयार भाषाई/मातृभाषा के आंकड़ों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, 2011 की जनगणना के भाषाई आंकड़ें/मातृभाषा के आंकड़ें जारी किए जाने की प्रक्रिया में है।

विलुप्तप्राय भाषाओं के लिए आयुक्त

- 37.31 यह बात दोहराई जाती है कि भाषाविदों तथा शिक्षाविदों के लिए यह गंभीर चिंता का कारण रहा है कि अनेक भारतीय भाषाओं विशेषतौर पर जनजातीय तथा अल्पसंख्यक भाषाओं जिनकी लिपियां नहीं हैं, के लुप्त होने का खतरा है। इसके अलावा, 1971 की जनगणना में शुरू किए गए जनसंख्या मानदण्डों तथा अनुवर्ती जनगणनाओं से ऐसी अनेक जनजातीय भाषाएं लुप्त हो गई हैं जो 10,000 से कम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती थी। इससे यह राय बनती है कि ऐसी भाषाएं वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए वर्तमान व्यवस्था ऐसे लघुत्तम भाषाई जनसमुदाय को विलुप्त होने से

नहीं बचा सकती है। वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर ऐसे भाषाभाषियों को “विलुप्तप्राय भाषाभाषी” के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उनके लिए एक अलग खण्ड प्रकाशित किया जाना चाहिए। इन भाषाओं को न केवल विशेष देखभाल वरन् पृथक संवैधानिक रक्षोपायों की आवश्यकता है। अतः मंत्रालय से आग्रह है कि वे “विलुप्तप्राय भाषाओं के लिए आयोग” जैसी एक पृथक संस्था सृजित करें।

क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल

37.32 गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/01/2005 रा०भा० (नीति) दिनांक 30 जनवरी, 2006 में बताया गया है कि सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए अभिप्रेत विभागीय साहित्य तथा प्रपत्र को हिंदी तथा अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित किया जाना अपेक्षित है। ऐसे प्रपत्र तीनों भाषाओं में सम्मिलित रूप से अथवा अलग-अलग मुद्रित किए जा सकते हैं जिससे कि वे सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकें। कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/67/2010-रा०भा० (नीति-1) दिनांक 07 अप्रैल 2011 में कहा गया है कि विभागों में साइनबोर्ड, नामपट्ट इत्यादि तीन भाषाओं में होने चाहिए। तथापि, सूचित किया गया है कि इस पद्धति की अनेक विभागों तथा कार्यालयों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपेक्षा की गई है। अतः आग्रह है कि गृह मंत्रालय को आम जनता के साथ संव्यवहार करने वाले विभागों/कार्यालयों में प्रपत्रों, साइनबोर्ड, नामपट्ट इत्यादि में स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के इस्तेमाल को दोहराना चाहिए।

भाषाई अल्पसंख्यक दिवस

37.33 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के आधार पर भारत संघ में राज्य 1 नवम्बर, 1956 से अस्तित्व में आए। इस दिन को अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य गठन दिवस/राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा मांग की जा रही है कि इसे “भाषाई अल्पसंख्यक दिवस” के रूप में घोषित किया जाए क्योंकि राज्य के गठन की उत्पत्ति भाषाओं पर आधारित थी। अतः गृह मंत्रालय से आग्रह है कि प्रत्येक वर्ष “1 नवम्बर” को “भाषाई अल्पसंख्यक दिवस” के रूप में घोषित करने पर विचार करें। यह भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण तथा संवर्धन और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक सकारात्मक प्रयास होगा।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संबंध में 51वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को निम्नवत दोहराया जाता है:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश

37.34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयुक्त द्वारा किए गए अध्ययन दौरों के क्रम में पाया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की घोर उपेक्षा की गई है। भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके अपने देश में द्वितीयक नागरिकों के रूप में मानने की सूचना अक्सर प्राप्त होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्शाई गई उदासीनता के परिणामस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों में असंतोष व्याप्त हो गया है और स्थानीय स्तर पर आंदोलन एवं उपद्रव होते हैं। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से अनुदेश/निर्देश जारी करने का आग्रह किया जाता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को सशक्त बनाना

37.35 भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों को संविधान के अनुच्छेद 350 ख के तहत संवैधानिक अधिदेश को छोड़कर किसी संविधि के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में अंगीकृत रक्षोपायों की राष्ट्रीय सहमतिजन्य योजना को अभी तक संहिताबद्ध नहीं किया गया है और इसलिए इसे राज्यों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से उपयुक्त विधान बनाने का अनुरोध किया जाता है ताकि

रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन करने के लिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरह उनके कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों को परिभाषित किया जा सके।

- 37.36 संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित एवं प्रशासित करने के अधिकार का प्रावधान है। हाल के वर्षों में आयुक्त के कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों तथा वैयक्तिक संगठन को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्रश्नों तथा अभ्यावेदनों की भरमार हो गई थी। यह भी सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण तथा संवर्धन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों तथा निकायों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कोई पदनामित प्राधिकारी नहीं हैं। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से आग्रह है कि वे अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों तथा संगठनों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त को शक्तियां प्रदान करने के लिए समुचित विधान बनाएं।
- 37.37 भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए एक प्राधिकरण की व्यापक मांग की जाती रही है जैसे कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग” (एन सी एम ई आई) स्थापित किया गया है। अतः भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए एन सी एम ई आई के सदृश पदनामित करने के लिए उपयुक्त विधान लाने की आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यक की सिफारिश दुहराई जाती है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए योजनागत स्कीम/कार्यक्रम

- 37.38 अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के समकक्ष दर्जा एवं अधिकारों के लिए अपनी मांग के समर्थन में संवैधानिक उपबंधों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों एवं आदेशों के साथ-साथ विभिन्न तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किए हैं। उनके द्वारा बारम्बार दिया गया उद्धरण संविधान के अनुच्छेद 30(1) की व्याख्या है जिसमें मुख्य रूप से दो अल्पसंख्यकों अर्थात् धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच फर्क नहीं करता है। तथापि, देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनागत स्कीम/कार्यक्रमों के सदृश अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कोई भी योजनागत स्कीम/कार्यक्रम तैयार या लागू नहीं किए गए हैं। चूंकि देश में एकता एवं संबद्धता लाने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील कारक है, इसलिए भाषाई अल्पसंख्यकों की मांगों, सरोकार तथा आकांक्षाओं पर प्रभावी ढंग से ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि देश में समावेशी विकास, सामंजस्य एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान किया जा सके। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अनुरोध है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के समकक्ष रखने के लिए उनकी मांगों पर विचार करें तथा देश में भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयुक्त योजनागत स्कीम/कार्यक्रम शुरू करें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मातृभाषा का अनिवार्य पंजीकरण

- 37.39 स्कूलों में दाखिले के आवेदन में आवश्यक स्तंभ यथा (i) बच्चे की मातृभाषा; (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा (iii) माता-पिता द्वारा तरजीह दी गई वैकल्पिक/तीसरी भाषा शामिल करने के लिए 51वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कृत कार्रवाई रिपोर्ट की सराहना तथा उल्लेख करते हुए यह भी आग्रह है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में दाखिले के आवेदन-प्रपत्र में उपर्युक्त आवश्यक स्तम्भ को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समुचित रूप से सलाह दी जाए ताकि बच्चे की मातृभाषा से संबंधित सूचना तथा त्रिभाषा सूत्र के तहत अध्ययन के

लिए भाषाओं की तरजीह का निर्धारण हो सके और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

माध्यमिक शिक्षा

- 37.40 माध्यमिक शिक्षा के संबंध में, राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 में संस्तुति की गई कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के संबंध में स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए। आयोग ने अपने स्वविवेक से समुक्ति की कि माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से अलग मानने की आवश्यकता है और इसलिए माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने की संस्तुति नहीं है। इसके अलावा, प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन 1949 में अंगीकृत संकल्प के दृष्टिगत तथा राज्यों के साथ परामर्श करके मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया था।
- 37.41 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इस विषय पर पारित संकल्प के दृष्टिगत, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में मातृभाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के छात्र अपनी मातृभाषा को तीन भाषाओं जो माध्यमिक स्कूल के स्तर पर पढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, में से एक के तौर पर वैकल्पिक रूप से पढ़ने में समर्थ हो सके। भारत सरकार से राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 की सिफारिशों में यथापरिकल्पित, आग्रह है कि वे राज्य सरकार के साथ परामर्श करके शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के इस्तेमाल एवं स्थान के संबंध में एक स्पष्ट नीति का निर्धारण करें तथा इसे लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
- 37.42 तथापि, अनेक राज्यों जहां क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य की जा रही है, में उभरती हुई प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों में असंतोष भर गया है। सूचित किया गया है कि तमिलनाडु में मानकों तथा स्थापित क्रियाविधि का घोर उल्लंघन करते हुए तमिल की शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड के स्कूलों में अनिवार्य कर दी गई है। इससे न केवल राज्य के भीतर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों पर वरन प्रवासी माता-पिता के बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह है कि वे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय एवं अल्पसंख्यक भाषाओं की शिक्षा को समायोजित करने हेतु माध्यमिक स्तर पर एक सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली विकसित करें ताकि देश में भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं, मांगों तथा आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

त्रिभाषा सूत्र

- 37.43 त्रिभाषा सूत्र भाषा विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अपनाए जाने हेतु, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में सहमति बनी थी कि इस सूत्र को सरल किया जाना चाहिए तथा शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के लिए भाषा विषय निम्नवत होने चाहिए:

- (क) क्षेत्रीय भाषा तथा मातृभाषा जिसमें मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो;
- (ख) हिन्दी अथवा, हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कोई अन्य भारतीय भाषा; तथा
- (ग) अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।

“त्रिभाषा सूत्र” का अनुपालन तमिलनाडु और पुदुच्चेरी को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि अधिकांश राज्यों में राज्य की राजभाषा पढ़ना पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया गया है। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी शिक्षा नीति की समीक्षा करने तथा अपने राज्यों/संघ राज्यों में त्रिभाषा सूत्र लागू करने के लिए उपयुक्त रूप से सलाह दें।

भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए उपाय मातृभाषा दिवस का अनुपालन

- 37.44 भारत में भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त अपनी रिपोर्टों में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की महत्ता को निरन्तर दोहराते आ रहे हैं। यह भी दोहराया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास पर लक्षित उपयुक्त नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने हेतु पहल करनी चाहिए। सरकार को मातृभाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए “मातृभाषा दिवस” (21 फरवरी) को मान्यता देनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाना चाहिए।
- 37.45 इसके अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जानकारी में लाया जाता है कि अंजुमन तरक्की उर्दू (हिंद) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (एन सी पी यू एल) के अलावा उर्दू भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह भारत के प्राचीनतम उर्दू संगठनों में से एक है जिसे सर सैयद अहमद खान ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने की अपनी मुहिम के भाग के रूप में स्थापित किया था। इस संगठन की भारतभर में विशेषकर उर्दू भाषा-भाषी राज्यों में अनेक शाखाएं हैं। अतः सरकार को उर्दू के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन जैसे संगठनों को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए तथा उर्दू के संवर्धन के लिए इसके कार्यकलापों को उपयुक्त रूप से वित्तपोषित करना चाहिए। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियत किए गए साझे लक्ष्य के लिए कार्य करने हेतु अंजुमन एवं एन सी पी यू एल के बीच समझौते ज्ञापन को बढ़ावा देते हुए भी हासिल किया जा सकता है।
- 37.46 सुझाव दिया जाता है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दूरस्थ शिक्षा विशेषतौर पर, उन महिलाओं को पढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से प्रयुक्त की जा सकती है जो अपनी शिक्षा के लिए नियमित स्कूलों में नहीं जा सकती हैं। इस संबंध में अलीगढ़ स्थित संस्था, जामिया उर्दू की उर्दू के शिक्षण में उपलब्धियों का एक आदर्श के रूप में अनुकरण किया जा सकता है। यह भी संस्तुति है कि जामिया उर्दू जिसने इस क्षेत्र में पथ प्रदर्शक भूमिका निभाई है, को समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए जहां प्रभावी ढंग से कार्य करने की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

- 37.47 सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत की भाषाई बहुलता के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संगठन द्वारा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर अल्पसंख्यक एवं जनजातीय भाषाओं पर और अधिक कार्यक्रमों की मांग की जाती रही है। विशेषतौर पर अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अल्पसंख्यक भाषाओं में समाचार के प्रसारण को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- 37.48 राष्ट्रीय महत्व के विज्ञापनों विशेषतौर पर सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भर्ती, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों इत्यादि के लिए योजनाओं के विज्ञापनों को दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अल्पसंख्यक एवं जनजातीय भाषाओं में भी जारी किए जाने की मांग की जाती रही है। अतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यह आग्रह है कि वे महत्वपूर्ण विज्ञापनों/योजनाओं/कार्यक्रमों इत्यादि को डी ए वी पी द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं में भी जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक

1. भविष्य निरूपण

भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षकों को प्रभावी रूप में लागू करने हेतु कार्यान्वयन तंत्र व प्रणाली को सुप्रवाही और सशक्त करना, जिससे कि अल्पसंख्यक भाषा बोलने वालों के अधिकारों का संरक्षण हो सके और समावेशीय एवं एकीकृत विकास में सभी भारतीय भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो।

2. लक्ष्यों पर वक्तव्य

देश में समावेशीय और सुव्यवस्थित संवृद्धि के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में, भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

3. कार्य

- क. भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त सुरक्षकों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण।
- ख. भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और स्वीकृत सुरक्षकों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- ग. प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों तथा पुनरीक्षा तंत्र आदि के द्वारा सुरक्षकों के कार्यान्वयन की स्थिति का अनुवीक्षण करना।

4. मूल उद्देश्य

- क. संविधान के अनुच्छेद 350बी(2) में अधिदेशित भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षकों के कार्यान्वयन पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- ख. समावेशी विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान करना।
- ग. भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुरक्षकों के बारे में उनके बीच जागरूकता का प्रसार करना।
- घ. भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत अन्य सुरक्षकों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- ड. भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षकों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदनों को निपटाना।

संगठन

आयुक्त	:	प्रो० अख्तरुल वासे 14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011 फोन/फैक्स: 011-23072651-52 मोबाइल: 91+ 9810541045
उपायुक्त	:	पद रिक्त
सहायक आयुक्त (दक्षिणी क्षेत्र एवं मुख्यालय प्रभारी)	:	डॉ० एस० शिवकुमार राजाजी भवन, द्वितीय तल, ई-विंग, बेसेन्ट नगर, चेन्नै-600090 फोन/फैक्स : 044-24919348 (कार्यालय)
प्रशासनिक अधिकारी	:	पद रिक्त
अनुसंधान अधिकारी	:	श्री दिनेश कुमार राय
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	:	श्री रजनीश कुमार
सहायक आयुक्त (उत्तरी एवं मध्य अंचल)	:	पद रिक्त 40, अमरनाथ झा मार्ग, इलाहाबाद-211002 (उ०प्र०) फोन : 0532-2468560 / 65 फैक्स : 0532-2468544
सहायक आयुक्त पूर्वी अंचल एवं उत्तर-पूर्वी अंचल	:	पद रिक्त 67, बेन्टिक स्ट्रीट, वेस्ट विंग, चौथा तल, कोलकता-700069 फोन/फैक्स : 033-22373572 (कार्यालय)
सहायक आयुक्त पश्चिमी अंचल	:	पद रिक्त बिल्डिंग नं० 23 (1) किला, बेलगांम-510016 फोन/फैक्स : 0831-2422764 (कार्यालय)

नोटः भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त का कार्यालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० 3-10/2013-सी०एल०एम०, दिनांक 6 जून, 2014 के अनुसरण में नई दिल्ली से कार्य कर रहा है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षण

भाषाजात अल्पसंख्यकों के सुरक्षण दो स्रोतों से अपने प्राधिकार प्राप्त करते हैं :

- (क) भारत का संविधान
- (ख) समय समय पर अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षणों का कार्यान्वयन
- (क) भारत के भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षण

(i) अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

- (1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
- (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

(ii) अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

- (1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- (1क) खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खण्ड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए।
- (2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

(iii) अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाय तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाय।

(iv) अनुच्छेद 350: व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

(v) अनुच्छेद 350 (क): प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

(vi) अनुच्छेद 350 (ख): भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

- (1) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
- (2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

(vii) संविधान के अनुच्छेदों जो सभी नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है

सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद जैसे कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद की वर्जना (अनुच्छेद 15) तथा सरकारी नौकरियों के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) भाषाजात अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के रूप में भी कार्य करते हैं।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत सुरक्षण

सुरक्षणों के कार्यान्वयन की विस्तृत योजना का निर्धारण विभिन्न सम्मेलनों इत्यादि के निर्णयों के आधार पर लिया गया है:

- (क) शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 1949
- (ख) भारत सरकार का ज्ञापन 1956
- (ग) दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के निर्णय 1959
- (घ) मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन 1961
- (ङ.) क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की समिति की बैठक 1961

अगस्त, 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संकल्प

अवर बुनियादी (जूनियर बेसिक) स्तर पर बच्चे की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा ही होनी चाहिए, और जहाँ मातृभाषा प्रादेशिक अथवा राज्य की भाषा से भिन्न हो वहाँ बालक की मातृभाषा में शिक्षा के लिये कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति का प्रबन्ध किया जाना चाहिए बशर्ते कि इस भाषा को बोलने वाले बालकों की संख्या समस्त स्कूल में 40 से कम या एक कक्षा में 10 से कम न हों। बालक की मातृभाषा वही मानी जायेगी जिसकी घोषणा उसके माता-पिता या अभिभावक करेंगे। यदि प्रादेशिक या राज्य भाषा मातृभाषा से भिन्न हो तो उसकी शिक्षा तीसरी कक्षा के पहले और अवर बुनियादी स्तर की समाप्ति के बाद आरम्भ होनी चाहिये। माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने में इन छात्रों को सुविधा हो, इसके लिये इन बालकों को अवर बुनियादी स्तर के बाद पुरु के दो वर्ष तक मातृभाषा में भी प्रश्नों के उत्तर देने की छूट देनी चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर यदि किसी क्षेत्र में ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक या राज्य भाषा से भिन्न कोई भाषा है, इतनी हो कि उनके लिये उस क्षेत्र में एक अलग स्कूल खोलने का औचित्य हो तो इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी की मातृभाषा को रखा जा सकता है। यदि इस प्रकार के स्कूल का गठन और स्थापना गैर सरकारी संस्थाओं या अधिकरणों द्वारा की जाय तो उन्हें निर्धारित नियम के अनुसार सरकार से मान्यता और सहायता अनुदान प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। सरकार उन सभी सरकारी, नगर पालिका और जिला बोर्ड के स्कूलों में भी इसी प्रकार की सुविधा देगी जिनमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें और उस क्षेत्र में इस भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान न हों तो सरकार उस स्कूल से उन विद्यार्थियों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबन्ध करने की अपेक्षा करेगी। तथापि, सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान क्षेत्रीय भाषा एक अनिवार्य विषय रहेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था विशेष रूप से राजधानियों या उन स्थानों के लिए आवश्यक होगी जहाँ विभिन्न भाषा भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, या फिर उन क्षेत्रों में आवश्यक होगी जहाँ भिन्न भाषा भाषी लोग बड़ी संख्या में बराबर आते जाते रहते हैं।

भारत सरकार का 1956 का ज्ञापन

राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के चौथे भाग में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये जिन सुरक्षणों का सुझाव दिया गया, उनकी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करके ध्यानपूर्वक जांच कर ली गई है, और भारत सरकार का इरादा आयोग की सिफारिशों में से अधिकांश को स्वीकार कर लेने का है। इस विषय में जो कार्यवाही अब तक की जा चुकी है या जिसे करने का विचार है, उसका निर्देश निम्नलिखित पैराओं में किया गया।

1. प्राथमिक शिक्षा :

इस संबंध में संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड 21 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधाओं के विषय में संविधान में एक नया अनुच्छेद अर्थात् 350क जोड़ने की व्यवस्था की गई है। संविधान के प्रस्तावित अनुच्छेद 350क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जो निर्देश जारी किये जायेंगे और जिन्हें कानून का रूप दिए जाने का प्रस्ताव है वे सम्भवतः अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प के आधार पर होंगे। अभिप्राय यह है कि जिन उपबन्धों को इस सम्मेलन में सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें उन राज्यों और क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जाए जहाँ उन्हें अभी तक अपनाया नहीं गया है।

2. माध्यमिक शिक्षा :

आयोग ने सिफारिशें की हैं कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के विषय में एक स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। आयोग ने मत प्रकट किया है कि जहां माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है, और इसलिए आयोग ने माध्यमिक स्कूल स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की है।

3. अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित व्यवस्थाएं करने का विचार था:—

- (क) यदि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक या राजभाषा से भिन्न है, इतनी हो कि उनके लिए उस क्षेत्र में एक अलग स्कूल खोल देना उचित हो, तो इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की मातृभाषा हो सकती है। यदि इस प्रकार के स्कूलों का गठन और स्थापना गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा की गयी हो तो उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जायगी।
- (ख) सरकार उन सभी और जिला बोर्ड स्कूलों में इसी प्रकार की सुविधाएं देगी जिनमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें।
- (ग) यदि सरकार से सहायता प्राप्त किसी स्कूल के एक-तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें और उस क्षेत्र में इस भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान न हों, तो सरकार उस स्कूल से इन विद्यार्थियों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबंध करने की अपेक्षा करेगी।
- (घ) सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान क्षेत्रीय भाषा एक अनिवार्य विषय होगी।

4. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट तथा उसी विषय पर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए संकल्प पर विचार कर लेने के बाद माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में मातृभाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि भाषाई अल्पसंख्यक छात्र माध्यमिक स्कूल स्तर पर पढ़ाने के लिए प्रस्तावित तीन भाषाओं में से अपनी मातृभाषा को एक वैकल्पिक भाषा के

रूप में पढ़ सकें। आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार का विचार है कि माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग और उसके स्थान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित कर दी जाय और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किये जायें।

5. **अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों तथा कालेजों को सम्बद्ध करना:**

पिछले पैराग्राफों में दिए गए प्रस्तावों से संबंधित एक प्रश्न नये अथवा पुनर्गठित राज्यों में स्थित शिक्षा संस्थाओं को समुचित विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध करने का भी है। अभीष्ट तो यही है कि इस बात का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाए कि, जहां तक मातृभाषा संबंधी पाठ्यक्रमों का प्रश्न है, स्कूल और कालेजों जैसी शिक्षा संस्थाएं उसी राज्य में अवस्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्राधिकरणों से सम्बद्ध की जा सकें। तथापि, शायद सदैव ऐसा प्रबन्ध करना संभव न हो सके और, इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए कभी-कभी संबंधित विश्वविद्यालयों या शिक्षा प्राधिकरणों के और स्वयं उक्त शिक्षा संस्थाओं के हित की दृष्टि से भी उन्हें राज्य से बाहर अवस्थित उपायुक्त शिक्षा निकायों से सम्बद्धता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करना अधिक सुविधाजनक होगा। वस्तुतः इसे संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबन्धों का एक अनिवार्य उपप्रमेय ही माना जाना चाहिए, जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबन्धन करने का अधिकार दिया गया है।

6. इसलिए राज्य सरकारों को यह सलाह देने का विचार है कि इस प्रकार के सभी मामलों में राज्य से बाहर के निकायों से सम्बद्ध होने की अनुमति बिना किसी कठिनाई के दे दी जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार से सम्बद्ध किसी भी संस्था को सहायता अनुदान और अन्य सुविधाओं के मामले में केवल इसलिये अपात्र नहीं माना जाना चाहिए कि सैद्धान्तिक दृष्टि से राज्य के शैक्षणिक प्रशासन के ढांचे में ठीक नहीं बैठती। इसलिए प्रस्ताव है कि सभी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य के अन्दर के शिक्षा निकायों से सम्बद्ध हों या राज्य के बाहर के निकायों से, उन राज्यों से निरन्तर सहायता मिलती रहनी चाहिए जिनमें वे स्थित हैं। जहां आवश्यक हो, विश्वविद्यालय और शिक्षा बोर्डों से संबंधित विधान पर इस दृष्टि से पुनर्विचार कर लिया जाए। है कि यदि इस बारे में मांग की जाए और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाय कि किसी राज्य की आबादी का एक खासा बड़ा हिस्सा किसी भाषा विशेष के प्रयोग को राज्य द्वारा मान्यता दिलाना चाहता है, तो वे निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को सम्पूर्ण राज्य में अथवा उसके किसी भाग में सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के विषय में एक स्पष्ट संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए और इस संहिता के अनुपालन के सुनिश्चयन के लिए अनुच्छेद 347 के अधीन कार्यवाही करनी चाहिए।

7. **अल्पसंख्यक भाषाओं को राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता देने के विषय में अनुच्छेद 347 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्देशों का जारी किया जाना:**

संविधान के अनुच्छेद 347 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि इस बारे में मांग की जाए और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि किसी राज्य की आबादी का एक खासा बड़ा हिस्सा किसी भाषा विशेष के प्रयोग को राज्य द्वारा मान्यता दिलाना चाहता है, तो वे निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को सम्पूर्ण राज्य में अथवा उसके किसी भाग में सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के विषय में एक स्पष्ट संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए और इस संहिता के अनुपालन के सुनिश्चयन के लिए अनुच्छेद 347 के अधीन कार्यवाही करनी चाहिए।

8. आयोग का प्रस्ताव है कि किसी राज्य को तभी एक भाषी माना जाना चाहिए जब कोई एक भाषा वर्ग वहां की जनसंख्या का 70 प्रतिशत या उससे अधिक हो; तथा जहां एक खासा बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हो, जिसकी संख्या कुल आबादी का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो, उस राज्य को प्रशासन की दृष्टि से द्विभाषी माना जाना चाहिए। आयोग ने आगे यह सुझाव भी दिया है कि जिला स्तर पर भी यह सिद्धान्त अपनाया जाए अर्थात् यदि जिले की कुल जनसंख्या की 70 प्रतिशत या अधिक आबादी ऐसे लोगों की हो जो सम्पूर्ण राज्य की दृष्टि से अल्पसंख्यक हो, तो उस जिले की सरकारी भाषा उस अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा होगी, न कि राज्य की भाषा।

9. भारत सरकार इन प्रस्तावों से सहमत है और राज्य सरकारों को भी इन सुझावों को अपनाने का परामर्श देना चाहती है।
10. द्विभाषी माने जाने वाले किसी भी राज्य अथवा जिले में दो या अधिक राजभाषाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए जो प्रबन्ध किये जायेंगे, उनसे राज्य के किसी भी निवासी के संवैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो उसे विधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार मिला है और जिसके अनुसार वह अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ या राज्यों में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।
11. आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि जिलों अथवा नगरपालिकाओं और तहसीलों जैसे छोटे क्षेत्रों में, जहां कोई भाषाई अल्पसंख्यक उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 15 या 20 प्रतिशत तक हों, महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं तथा नियमों को उस भाषा या भाषाओं के अतिरिक्त जिनमें इस प्रकार के कागज वैसे भी सामान्यतः प्रकाशित किये जाते हों, उन अल्पसंख्यकों की भाषा में प्रकाशित करना भी लाभप्रद रहेगा।
12. भारत सरकार का विचार यह सुझाव देने का है कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकारों को इस प्रस्तावित कार्यविधि को अपनाना चाहिए।
13. **राज्य सेवाओं में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली परीक्षाओं के लिये अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को माध्यम के रूप में मान्यता:**

इस संबंध में आयोग की इस सिफारिश की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाना है कि (अधीनस्थ सेवाओं के अतिरिक्त) राज्य सेवाओं में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवारों को यह छूट मिलनी चाहिए कि वे अंग्रेजी/हिंदी या राज्य की 15 से 20 प्रतिशत या अधिक आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी भी अल्पसंख्यक भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुन सकें। जो उम्मीदवार अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से परीक्षा दें, उनका चुनाव हो जाने के बाद परीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले राज्य की भाषा में उनकी प्रवीणता की परीक्षा ली जाय। भारत सरकार का विचार राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश करने का है कि जहां अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित किसी संवर्ग (कैडर) को जिले के संवर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हो, वहां जिलों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उस भाषा को भी परीक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए जिसे वहां की अतिरिक्त सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इस टिप्पणी (नोट) के आठवें पैरा में निर्दिष्ट आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप यह अंतिम सुझाव स्वतः स्वीकार हो जाएगा।

14. **निवास सम्बन्ध नियमों और अपेक्षाओं का पुनरीक्षण:**

आयोग ने इस पर जोर दिया है कि कुछ राज्यों में लागू अधिवास (डोमिसाइल) की शर्तों से अल्पसंख्यक वर्गों को नुकसान हो रहा है, और यह सिफारिश की है कि भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अधीन संसद द्वारा बनाये जाने वाले कानून का रूप क्या हो, इस विषय में समय-समय पर दिये गये विभिन्न सुझावों पर भारत सरकार ने बहुत सावधानी पूर्वक विचार किया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सारी परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए राज्य सेवाओं की किसी भी शाखा या किसी भी संवर्ग में फिलहाल किसी भी प्रकार का निवास संबंधी प्रतिबन्ध लगाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।

15. आवास संबंधी भेद भाव न बरतने के सामान्य नियम में तेलंगाना क्षेत्र में कुछ छूट देनी पड़ सकती है और कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बारे में विशेष व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार करना पड़ सकता है। तथापि, आशा की जाती है कि इस अंतरिम प्रबन्ध को संक्रमण काल की अवधि के बाद जारी रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
16. भारत सरकार का उपर्युक्त बातों के प्रकार के अनुरूप स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यथाशीघ्र कानून बनाने का विचार है। इस बीच राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वे पैरा 14, में बताई गई स्थिति ध्यान में रखते हुए राज्य सेवाओं के लिए भर्ती के नियमों का पुनरीक्षण करें।

17. **ठेकों, मछलीपालन आदि के सम्बन्ध में निजी अधिकारों पर प्रतिबन्ध:**

व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, धन्धों की स्वतंत्रता और समान अधिकारों के बारे में संविधान में नये उपबन्धों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जा रहा है और यह सुझाव दिया जा रहा है कि इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रतिबंधों का पुनरीक्षण किया जाए।

18. **अखिल भारतीय सेवाओं में नए प्रवेश पाने वालों की कम से कम पचास प्रतिशत भर्ती राज्य के बाहर से की जाए:**

इस प्रश्न पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनौपचारिक बातचीत की गई है। किसी प्रकार के कड़े नियमों की आवश्यकता जरूरी नहीं समझी गई लेकिन भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आवंटन करते समय आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा।

19. **एक तिहाई जजों की भर्ती राज्य के बाहर से की जाए:**

आयोग की सिफारिश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाया जा रहा है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय कुछ मामलों में कठिनाई आ सकती है लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि जहां तक सम्भव हो सके, भविष्य में नियुक्तियां करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जाए।

20. **दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन:**

राज्य के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए इस प्रस्ताव का राज्य सरकारों ने स्वागत नहीं किया इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। अनुच्छेद 315 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन के संबंध में संविधान में पहले से ही उपबंध विद्यमान हैं। यदि कभी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन की आवश्यकता महसूस की जाए तो इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया का बाद में अनुकरण किया जा सकता है।

21. **संरक्षणों को लागू करने के लिए एजेंसी:**

राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षणों को लागू करने के लिए राज्यों के राज्यपालों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। आयोग ने राज्यपालों को कोई स्वैच्छिक कार्य देने के बारे में कोई विचार नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी सरल सी प्रक्रिया अपनाने के बारे में सुझाव दिया जिसे वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत अपनाया जा सके। राज्य पुनर्गठन विधेयक और संविधान के (नवें संशोधन) विधेयक पर संसद और संयुक्त प्रवर समिति दोनों में ही व्यक्ति विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के नमूने पर केन्द्र में अल्पसंख्यकों के आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है यह अधिकारी छोटे भाषा गुणों के लिए किये गए संरक्षणों के क्रियान्वयन पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों के बाद प्रस्तुत करेगा जिसके लिए राष्ट्रपति उसको निर्देश दें और उसकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

22. **समाप्त करने के पहले भारत सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में आयोग के निम्नलिखित पैरे में टिप्पणी का समर्थन करना चाहेगी:-**

“हम यह जोर देकर कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को दिये गए संरक्षण तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक राज्य सरकार किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति अपनाती रहेगी। राज्य स्तर पर सरकारी गतिविधियां व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर वास्तविक रूप से बहुत प्रभाव डालती हैं और एक प्रजातांत्रिक सरकार को लोगों के राजनीतिक और नैतिक स्तरों को अवश्य प्रतिबिम्बित करना चाहिए। इसलिए यदि प्रमुख गुण अल्पसंख्यकों के प्रति वैर भाव रखता है तो अल्पसंख्यकों का विद्रोही हो जाना अवश्यम्भावी है। बहुसंख्यक समुदाय भेदभाव रहित रवैया अपनाए इसका और कोई विकल्प नहीं है और बदले में अल्पसंख्यकों को भी राज्य की सम्पूर्ण एवं नियमित प्रगति में अपनी ओर से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।”

भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों पर विचार करने के लिये 1959 में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की मंत्री-स्तर समिति की बैठक में लिए गए निर्णय

भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों पर विचार करने के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की मंत्री-स्तर समिति की शनिवार 16 मई और इतवार 17 मई को उटकमंड में हुई बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया

1. श्री सी. सुब्रह्मण्यम, वित्त मंत्री,
मद्रास (संयोजक)
2. श्री ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद, मुख्यमंत्री,
केरल
3. श्री एस. बी. पी. पट्टाभिरामा राव, शिक्षा मंत्री,
आन्ध्र प्रदेश
4. श्री के. ब्रह्मानंद रेड्डी, वित्त मंत्री,
आन्ध्र प्रदेश
5. श्री अन्न राव गनामुखी, शिक्षा मंत्री,
मैसूर

श्री आर०ए० गोपालस्वामी, आई०सी०एस०, द्वितीय सदस्य, राजस्व बोर्ड, मद्रास, श्री के०वी० रामानाथन, आई०ए०एस०, उप सचिव, मद्रास सरकार, स्वास्थ्य शिक्षा और स्थानीय प्रशासन विभाग और श्री एन०जयरामन, उपसचिव, मद्रास सरकार, पब्लिक (पार्टीशन) विभाग, मद्रास राज्य, श्री बी०रामचन्द्रन, आई०ए०एस०, उप सचिव, केरल सरकार शिक्षा विभाग, केरल राज्य और श्री सिद्धव पुरनायक, अवर सचिव, मैसूर सरकार, शिक्षा विभाग और मैसूर राज्य के शिक्षा मंत्री के निजी सचिव भी बैठक में शामिल हुए।

2. कार्य सूची की मद संख्या-1 शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना।

समिति ने भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के छात्रों को सभी राज्यों के प्राथमिक और प्रारंभिक स्कूलों में उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर अगस्त, 1949 में प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकार किए गए प्रस्ताव की दृष्टि से विचार किया। भाषाई अल्पसंख्यकों वर्ग के छात्रों द्वारा प्राथमिक तथा उसके बाद के स्तर पर क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के प्रश्न पर भी विचार किया गया। अन्ततः निम्नलिखित निर्णय किये गये:

(क) चार राज्यों से प्रत्येक में 1 नवम्बर, 1956 को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पृथक वर्गों तथा उनमें छात्रों और अध्यापकों की संख्या एवं स्कूल संबंधी अन्य सुविधाओं के विषय में स्थिति मालूम की जायेगी और उनमें कोई कमी किये बिना उन्हें उसी तरह जारी रखा जायेगा। परन्तु मद्रास में तेलुगु छात्रों तथा आन्ध्र प्रदेश में तमिल छात्रों के संबंध में उपर्युक्त निर्णायक तारीख 1.11.56 न होकर 1.11.53 होगी।

यदि छात्रों की संख्या कम हो जाए तो उसके अनुरूप ही अध्यापकों और स्कूल संबंधी अन्य सुविधाओं में कमी की जा सकती है परन्तु किसी भी विशिष्ट मामले पर लागू होने वाले सरकार के विशेष आदेश के बिना कोई कमी नहीं की जानी चाहिये। यदि छात्रों की संख्या बढ़ जाये तो अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण की अतिरिक्त सुविधाएं जिनमें अध्यापक भी शामिल हैं, एक ऐसे पैमाने पर उपलब्ध की जायेगी जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए लागू मानकों से कम उदार नहीं

होगी। यदि कोई राज्य शिक्षक उपलब्ध करने के विषय में और अधिक उदारता दिखाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और ऐसे विशेष मामलों में जहां अधिक उदार पैमाने पर सुविधाओं की मांग की जाये तो संबंधित राज्य सरकार को चाहिए कि आदेश देते समय इस प्रकार के प्रत्येक मामले की विशेषताओं को ध्यान में रखें।

(ख) उपर्युक्त सुरक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिये यह व्यवस्था की जायेगी कि सारे प्राथमिक स्कूल वार्षिक सत्र प्रारंभ होने से 15 दिन पहले समाप्त होने वाले तीन मासों की अवधि तक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के माता-पिता के बच्चों से प्रवेश और मातृभाषा में शिक्षा के लिए आवेदन-पत्र लेते रहें। इन आवेदन पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। विभाग की ओर से इस बात का प्रबंध किया जाना चाहिए, कि इस प्रकार के किसी आवेदन को प्रवेश देने से केवल इसलिए इन्कार न किया जाए कि जिस स्कूल में अर्जी दी गई है उस स्कूल में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या अपर्याप्त है। जहां आवश्यक हो वहां अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के प्रवेश की समस्या स्कूलों के परस्पर सामंजस्य द्वारा हल की जानी चाहिए।

(ग) इन चारों राज्य में से प्रत्येक में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को चौथी कक्षा से अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने की सुविधाएं भी दी जायेंगी ताकि यदि इन वर्गों के छात्र माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा पढ़ना चाहे तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन सुविधाओं के लिए खर्च सरकार करेगी, अर्थात् सार्वजनिक यानी सरकारी अथवा नगरपालिकाओं के स्कूलों में यह सुविधा मुफ्त दी जायेगी तथा सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों को इस प्रकार की सुविधाओं के लिए सरकार से अनुदान मिल सकेगा।

3. मद संख्या-2 : शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाओं का अध्ययन

त्रिभाषासूत्र के अनुरूप तथा दक्षिणी क्षेत्र के सभी राज्यों द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिये उनकी मातृभाषा के अध्ययन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया गया। यह देखा गया कि चारों में से प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मातृभाषा के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है अथवा की जायेगी।

मद्रास में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का छात्र क्षेत्रीय भाषा (भाषा पाठ्यक्रम का भाग 1) अथवा हिंदी या भाग 1 में न शामिल की गयी किसी अन्य भारतीय भाषा (भाषा पाठ्यक्रम का भाग 2) के स्थान पर अपनी मातृभाषा पढ़ सकता है। आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में वह मातृभाषा को पहली भाषा के रूप में या तो क्षेत्रीय भाषा के पूर्ण विकल्प के रूप में पढ़ा सकता है अथवा एक से अधिक भाषाओं के मिले-जुले पाठ्यक्रम के एक अंश के रूप में। जहाँ तक राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के विकल्प के रूप में मातृभाषा ली जा सकती है वहां तक क्षेत्रीय भाषा पढ़ना अनिवार्य नहीं है। यह निर्णय किया गया है कि यह स्थिति संतोषजनक है और इसको जारी रखना चाहिए। भारत सरकार की इस सिफारिश पर विचार किया गया है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए मातृभाषा के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने की भी व्यवस्था अनिवार्यतः होनी चाहिये और पढ़ाई जानेवाली संबंधित भाषाओं की संख्या को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि इस प्रकार की अनिवार्यता न वांछनीय है और न सम्भव ही है।

4. लोक सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में दक्षता के लिए जो योग्यता निर्धारित की जाती है उससे क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर मातृभाषा का अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को कोई छूट दी जानी चाहिये या नहीं, इस प्रश्न पर लोक सेवाओं में भर्ती के विषय में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षाओं के प्रश्न के अंश के रूप (नीचे मद 9 में) में विचार किया गया।

5. मद संख्या 3: भाषाई अल्पसंख्यकों को माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधायें प्रदान करना।

समिति ने भाषाई अल्पसंख्यकों को माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया। अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकृत प्रस्ताव पर भी समिति ने ध्यान दिया जिसमें सरकार से अपेक्षा की गई थी कि (क) यह उन क्षेत्रों में, जहां भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या इतनी है कि उनके लिये अलग स्कूल खोलना उचित हो, ऐसे अलग स्कूल खोलें या उन स्कूलों को मान्यता प्रदान करें जिनमें मातृ में शिक्षा दी जाती हो, (ख) वह उन सभी सरकारी या नगरपालिकाओं के स्कूलों में जिनमें छात्रों की कुल संख्या के एक तिहाई छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें, अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करें तथा (ग) वह इसकी व्यवस्था करें कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भी समान परिस्थितियों में उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करें। शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक और विविध पाठ्यक्रमों के वैकल्पिक विषयों की शिक्षा अल्पसंख्यकों की भाषाओं के माध्यम से देने में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों पर भी समिति ने विचार किया। मद्रास ने यह विचार रखा कि प्रान्तीय मंत्रियों के सम्मेलन के संकल्प में एक तिहाई की बात भाषाई अल्पसंख्यकों और सरकार दोनों की दृष्टि से असंतोषप्रद है, क्योंकि बड़े स्कूलों में चाहे अनुपात एक तिहाई से कम भी हो पर वहाँ अलग वर्ग खोलना आवश्यक और सम्भव हो सकता है। जबकि छोटे स्कूलों में अनुपात एक तिहाई से अधिक भी हो तो भी अलग वर्ग खोलने में खर्च अधिक होगा और वैसा करना अव्यवहारिक भी होगा। इस विचार को सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। परन्तु इस बात पर काफी बहस हुई कि अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रत्येक कक्षा में तथा सारे स्कूल में कुल मिलाकर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। अन्त में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किये गये:

(अ) 1.11.1956 को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग माध्यमिक स्कूलों तथा अन्य माध्यमिक स्कूलों में उनके लिए अलग वर्गों की स्थिति मालूम की जाए। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या और अल्पसंख्यक भाषा में अध्यापन की क्षमता रखने वाले अध्यापकों और स्कूल संबंधी अन्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए और इस स्थिति को बिना परिवर्तन के जारी रखा जाना चाहिए।

(ब) किसी स्थान विशेष क्षेत्र में यदि छात्रों की संख्या इतनी कम हो जाए कि वहाँ सुविधाओं को कम कर देना उचित हो तो वह कम की जा सकती है, परन्तु किसी भी मामले में सरकार से विशेष रूप से आदेश किये बिना कोई कमी नहीं की जानी चाहिए।

(स) यदि छात्रों की संख्या बढ़ जाए तो जिन नियमों के अनुसार और जिस हिसाब से अन्य स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ने के साथ-साथ अध्यापकों में वृद्धि की जाती है, उसी हिसाब से इनमें अध्यापकों को बढ़ा देना चाहिए।

(द) जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में शिक्षा देने की सुविधायें विद्यमान न हों वहाँ ये सुविधायें देने के लिए आवश्यक होगा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षाक्रम की नई 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में कुल मिलाकर कम से कम 60 छात्र और प्रत्येक कक्षा में कम से कम 15 छात्र होने चाहिए, परन्तु इन सुविधाओं को प्रारंभ करने के प्रथम चार वर्षों तक उस प्रत्येक कक्षा में जिसमें ये सुविधाएँ दी गई हों, 15 की संख्या भी पर्याप्त होगी। कुल कक्षाओं में मिलाकर 60 की संख्या और प्रत्येक कक्षा में 15 की संख्या विविध पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग मानी जाएगी और जहाँ शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विषयों के विभिन्न वर्गों की व्यवस्था हो, वहाँ वैकल्पिक विषयों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग गिनी जायेगी।

6. मद संख्या 4: शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।

क्या राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा का प्रबंध करना आवश्यक है? यदि यह प्रबंध आवश्यक हो तो क्या इसे छात्रों के किसी वर्ग विशेष तक सीमित रखा जाना चाहिये या इस प्रकार की शिक्षा बिना किसी प्रतिबंध के सब छात्रों को उपलब्ध

होनी चाहिए, इन प्रश्नों पर समिति ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। समिति के सामने यह बात आई कि चारों राज्यों की यहीं निर्धारित नीति है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये तथा इस सामान्य नियम का एक मात्र अपवाद यह है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को उनकी मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की रियायत देने के रूप में इस सामान्य नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। संयोजक का विचार था कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं उनके बच्चों को (चाहे वे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हो अथवा बहुसंख्यक वर्गों के) अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की स्वीकृति दी जा सकती है, क्योंकि इस समय अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें देश के सब भागों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। परन्तु जो लोग प्रायः एक ही स्थान पर रहते हैं, उनके बच्चों को इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करना किसी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता। अगर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के प्रायः एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के बच्चों को किसी कारण से अपनी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा न दी जा सकती हो तो उन्हें अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात पर सब सहमत थे कि जिन बच्चों के माता-पिता का स्थानान्तरण होता रहता है उनको अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया जाना चाहिये तथा बहुसंख्यक के प्रायः एक स्थान पर रहने वाले लोगों के बच्चों को प्रत्येक राज्य में एक मात्र क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिये। इस बात पर काफी बहस हुई कि क्या भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रायः एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों को बच्चों को कम से कम कुछ विशेष वर्गों के लिये अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था उचित न होगी। आन्ध्र प्रदेश के शिक्षामंत्री ने यह मत प्रकट किया कि जहाँ भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृभाषा की शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध सम्भव न हो, वहाँ पर यदि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हों तो उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की स्वीकृति दे दी जानी चाहिये। अन्त में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किये गये:-

- (अ) सरकार से मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अलग सेक्शनों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा सुविधाओं के विषय में 1.7.1958 को विद्यमान स्थिति मालूम की जाये और बिना परिवर्तन के जारी रखी जाए।
 - (ब) भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के अलग वर्गों में 1.7.1958 जितने स्थान उपलब्ध थे उनकी संख्या उससे कम न होगी। बहुसंख्यक वर्गों को भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया जाये या नहीं, इस बात का निश्चय प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा।
 - (स) ऊपर बताई गई बातों के अनुरूप राज्य सरकारों को माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के विषय में अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिये। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते रहने वाले माता-पिता के बच्चों की (चाहे वे भाषाई बहुसंख्यक वर्ग के अथवा अल्पसंख्यक वर्ग के हो) संख्या में होने वाली वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकता के सिवाय अन्य किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकारों पर यह दायित्व नहीं होना चाहिए कि वे 1.7.1958 को विद्यमान अंग्रेजी माध्यम से माध्यमिक स्कूलों की सुविधाओं में वृद्धि करें।
7. **मद संख्या 5: अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों और कालेजों को राज्य के बाहर स्थित निकायों से सम्बद्ध करना।**

समिति ने भारत सरकार की राज्य सरकारों को यह सलाह देने के प्रस्ताव पर विचार किया कि स्कूलों, कालेजों और अन्य संस्थाओं को राज्य के बाहर स्थित शिक्षा निकायों के साथ सम्बद्ध होने की स्वीकृति बिना कठिनाई के दे दी जानी चाहिये। इस प्रकार की सम्बद्ध संस्थाओं को सहायता अनुदान और अन्य सुविधाओं के मामले में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिये। सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि स्कूलों को राज्य से बाहर के शिक्षा निकायों के साथ सम्बद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक कालेजों का संबंध है, इस पर विचार करना अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का काम है।

8. मद संख्या 6: सरकारी कामकाज के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग:

राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि जिस राज्य में किसी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत या अधिक हो उस राज्य को प्रशासन की दृष्टि से द्विभाषी माना जाना चाहिये तथा यदि किसी जिले की 70 प्रतिशत अथवा अधिक आबादी ऐसे लोगों की हो जो समस्त राज्य के लिहाज से भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तो उस जिले की सरकारी भाषा राज्य की भाषा न होकर उस अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा होगी। जिलों, नगर पालिकाओं और उनसे भी छोटे क्षेत्रों में जहाँ अल्पसंख्यक वर्गों की आबादी वहाँ की जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत है सरकारी सूचनायें, चुनावों की नामावलियां आदि दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिए तथा अदालतों में कागज-पत्र अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में भी प्रस्तुत करने की स्वीकृति होनी चाहिये। समिति ने इन सिफारिशों पर विचार किया और पाया कि चारों में से किसी में भी कोई ऐसा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, जिसकी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत से अधिक हो अथवा कोई जिला ऐसा नहीं है, जहाँ भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 70 प्रतिशत अथवा अधिक हो। समिति ने विचार प्रकट किया कि दोनों सुरक्षणों में से कोई भी सुरक्षण (अर्थात् राज्य को द्विभाषी घोषित करना अथवा बहुसंख्यकों की भाषा के अतिरिक्त किसी भाषा को जिले की सरकारी भाषा घोषित करना) चारों में से किसी भी राज्य में लागू नहीं होता है। जिलों या इनसे छोटे क्षेत्रों में किन्ही विशिष्ट कार्यों के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को मान्यता प्रदान करने विषयक आयोग के सुझाव के संबंध में यह निर्णय किया गया कि इस दृष्टि से प्रत्येक नगरपालिका शासित शहर और प्रत्येक तालुका में नगरपालिका के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र को इस उद्देश्य हेतु एक अलग स्थानीय क्षेत्र समझा जाना चाहिए और ऐसे स्थानीय क्षेत्रों जहाँ एक तालुका या नगर पालिका के 20 प्रतिशत लोग राज्य के बहुसंख्यक वर्ग की भाषाओं से भिन्न भाषा बोलते हैं, उनकी एक सूची तैयार की जानी चाहिए। इस प्रकार से तैयारी की गई सूची में सम्मिलित प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कार्य किये जाने चाहिये।

(अ) सब महत्वपूर्ण सरकारी सूचनायें और नियम, चुनावों की नामावलियां इत्यादि अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा अथवा भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिये;

(ब) जनता के प्रयोग में आने वाले प्रपत्र प्रादेशिक भाषा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा दोनों छापे जाने चाहिये;

(स) अल्पसंख्यक भाषाओं में भी अभिलेखों के पंजीयन की सुविधाएं होनी चाहिए;

(द) अल्पसंख्यक भाषा में भी सरकारी कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार की स्वीकृति होनी चाहिये;

(य) इन क्षेत्रों के न्यायालयों में कागज-पत्र अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये;

(र) प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव हो सके, यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि इन स्थानीय क्षेत्रों में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये जिन्हें क्षेत्र की अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो।

आन्ध्र प्रदेश सरकार का पहले यह विचार था कि राज्य की सरकारी भाषा निर्धारित करने के मुख्य प्रश्न के साथ ही इस विषय में आयोग के सुझावों को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया जाये परन्तु बाद में यह इस बात के लिये राजी हो गई कि वह भी वही करेगी जो अन्य राज्य करेंगे।

9. मद संख्या 9: राज्यों में लोक सेवाओं में भर्ती के विषय में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सुरक्षण

मद संख्या 9 व्यापक थी और मद 7 और 8 इसकी अंग थी इसलिए इस पर उनसे पहले विचार किया गया।

10. समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि जहां अंग्रेजी राजभाषा बनी रहती है, तथा सेवा में भर्ती के लिये राज्य की बहुसंख्यक वर्ग की भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता और जहां सेवाओं में भर्ती के लिये भी ली जाने वाली समकक्ष परीक्षाओं में बहुसंख्यक वर्ग की भाषा में ही उत्तर लिखना आवश्यक नहीं है, वहां राज्य की लोक सेवाओं की भर्ती के मामले में भाषाई अल्पसंख्यक को किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। परन्तु मद्रास ने तमिल को राज्य की राजभाषा घोषित किया है तथा यह व्यवस्था की है कि किसी सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये राज्य की राजभाषा, अर्थात् तमिल का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होगा और तमिल के पर्याप्त ज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है:

1. जिसने हाई स्कूल पाठ्यक्रमों में तमिल में शिक्षा पाई हो; अथवा
2. जो चाहे उनकी मातृभाषा तमिल हो या न हो, पर तमिल पढ़, लिख और बोल सकता हो; अथवा
3. जिसने तमिल में द्वितीय श्रेणी भाषा परीक्षा पास की हो।

मद्रास लिपिक वर्गीय सेवाओं, मद्रास न्यायिक लिपिकीय वर्गीय सेवाओं आदि में भर्ती के लिये मद्रास लोक सेवा आयोग जो चतुर्थ वर्ग परीक्षाएं लेता है, उनमें बैठने वाले उम्मीदवार को क्षेत्रीय भाषा में लिखे जाने वाले पत्रों को तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उर्दू में भी लिख सकने की जो छूट मद्रास राज्य ने 1958 तक दे रखी थी वह उसने वापिस ले ली है। इस प्रकार से इन परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिये इन उत्तर पत्रों को केवल तमिल में लिखना अनिवार्य हो गया। इससे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये समस्याएं खड़ी हो गई, क्योंकि एकाएक उन्हें इस शर्त का सामना करना पड़ा कि राज्य सेवा में नियुक्ति से पहले तमिल का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्य है। उन्हें तमिल भाषी उम्मीदवारों के साथ तमिल माध्यम वाली परीक्षाओं में प्रतियोगिता करना पड़ गया था। जब अन्य राज्य भी कुछ समय बाद अंग्रेजी के स्थान पर बहुसंख्यक वर्ग की भाषा में कामकाज आरम्भ करेंगे, तब वहां के भाषाई अल्पसंख्यक को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिये सब राज्यों ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि उन लोगों की ठीक-ठीक परिभाषा की जाये जो इस प्रकार के नीति विषयक निर्णय से, जैसे कि मद्रास सरकार ने इस विषय में किये, प्रभावित होंगे और उनके लिये क्षेत्रीय भाषा के पर्याप्त ज्ञान के मामले में तथा राज्य की लोक सेवाओं में भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के मामले में विशेष सुरक्षणों की व्यवस्था की जाये। समिति ने निम्नलिखित प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार किया:

1. जिन लोगों के लिये विशेष सुरक्षणों की व्यवस्था की जानी है उनकी परिभाषा कैसी की जाये;
2. उनके लिये किन-किन सुरक्षणों की व्यवस्था की जाये;
3. वे सुरक्षण कितने समय तक दिये जाते रहें;

11. सुरक्षणों के पात्र लोगों की परिभाषा

मद्रास सरकार ने आरम्भ में यह सुझाव दिया था कि लोगों के एक वर्ग विशेष को ही भर्ती के विषय में सुरक्षण दिये जाएं जिसे इस प्रयोजन के लिये भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का नाम दिया जाये और “भाषाई अल्पसंख्यक” वर्ग की परिभाषा में वह हर व्यक्ति शामिल हो जिसकी मातृभाषा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या उर्दू हो बशर्ते कि उस व्यक्ति के माता-पिता में से एक मद्रास राज्य की वर्तमान भौगोलिक सीमाओं के अन्दर पैदा हुआ हो अथवा वहां का स्थायी निवासी हो। मैसूर सरकार का विचार था कि भाषाई अल्पसंख्यकों की परिभाषा की शर्त माता-पिता में से किसी एक की लगातार पांच वर्ष या अधिक की रिहायश या स्थायी रूप से बस जाने की इच्छा का कोई विशिष्ट प्रमाण होना चाहिये, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का विचार था कि मद्रास सरकार की परिभाषा में रखी गई रिहायश संबंधी शर्त संविधान के उपक्रमों के विरुद्ध होगी।

इस पर मद्रास सरकार ने अपनी प्रस्तावित परिभाषा की संवैधानिक मान्यता के विषय में अपने महाधिवक्ता की राय मालूम की। उनकी राय पर, जो समिति की बैठक से पहले प्राप्त हो चुकी थी, समिति ने विचार किया। महाधिवक्ता का विचार था कि यद्यपि भर्ती के नियमों में छूट की भाषाई अल्पसंख्यकों में से किसी एक सीमित समूह तक के लिये सीमित कर देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, तथापि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की ऐसी परिभाषा करना अनुचित होगा जिसमें केवल यह सीमित वर्ग ही सम्मिलित हो। किसी नागरिक अथवा उसके माता पिता के जन्म स्थान को भाषाई अल्पसंख्यकों की किसी सामान्य परिभाषा की कसौटी नहीं बताया जा सकता। वर्तमान परिभाषा के सीमित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा करना आवश्यक नहीं है, अपितु जिन लोगों को भर्ती के नियमों में छूट का लाभ दिया जाता है उन्हें गैर-तमिल भाषी उम्मीदवार अथवा तमिलेतर मातृभाषा वाले उम्मीदवारों की संज्ञा दी जा सकती है; जिनकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि जिनमें वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जिसकी मातृभाषा तमिल से भिन्न है और जिसने संबंधित पद के लिये निर्धारित अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा मद्रास राज्य के किसी स्कूल, कालेज या अन्य संस्था से पास की है। समिति ने मद्रास राज्य महाधिवक्ता के इस सुझाव को मान लेने का निर्णय किया और इस विषय पर सहमति प्रदान की कि सेवाओं में भर्ती के मामले में क्षेत्रीय भाषाओं के पर्याप्त ज्ञान तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम संबंधी नियमों में छूट मद्रास में गैर-तमिल भाषियों को, आन्ध्र प्रदेश में गैर-तेलुगु भाषियों को, मैसूर में गैर कन्नड़ भाषियों को और केरल में गैर-मलयालम भाषियों को दी जानी चाहिये और उनकी परिभाषा में वह सब लोग शामिल होंगे जिनकी मातृभाषा तमिल या, यथास्थिति, तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम से भिन्न कोई भाषा हो, और जिन्होंने उस पद के लिये, जिसके लिये भर्ती की जानी है, अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा मद्रास (या आन्ध्र प्रदेश या मैसूर या केरल) राज्य की किसी शिक्षा संस्था के पास की हो। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जिन व्यक्तियों ने अर्हक परीक्षा राज्य की किसी संस्था से न पास की हो, सेवाओं में भर्ती के अधिकार से वंचित होंगे, परन्तु उन्हें ऊपर बताए गए नियमों से छूट की रियायत का अधिकार न होगा।

12. सुरक्षणों का स्वरूप

छूट के स्वरूप के विषय में मद्रास ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये:

1. भर्ती की पात्रता के लिये तमिल के पर्याप्त ज्ञान की शर्त

राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी उम्मीदवार को किसी भी पद के लिये आवेदन-पत्र देने का अधिकार होना चाहिये, चाहे आवेदन पत्र देने के समय उसे सामान्य नियमों के अभिप्राय के अनुसार तमिल का पर्याप्त ज्ञान न हो। उसे नीचे खण्ड (3) में बताई गई शर्तों के अधीन रहते हुए चुने जाने का पात्र भी समझा जाना चाहिये।

2. परीक्षा का माध्यम

जहां मद्रास लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाला सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम के रूप में तमिल को लेना आवश्यक हो, मद्रास राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का कोई सदस्य, यदि चाहे, तो नीचे खण्ड (3) में बताई गई शर्तों के अधीन रहते हुए, तमिल के स्थान पर अपनी मातृभाषा को परीक्षा का माध्यम रखा जा सकता है।

3. नियमों से छूट के साथ लगी शर्तें

ऊपर खण्ड 1 और 2 में बताये गये सामान्य नियमों में छूट इस शर्त पर दी जायेगी कि उम्मीदवार निर्धारित समय में तमिल में द्वितीय श्रेणी भाषा परीक्षा पास कर ले। इसके साथ शर्त यह है कि उसे यह परीक्षा परीक्षा की अवधि के समाप्त होने से पहले और राज्य की स्थायी लोक सेवा में स्थायी होने से पहले पास कर लेनी होगी।

समिति ने उपर्युक्त सुरक्षणों का इस शर्त पर अनुमोदन किया कि उसमें निम्नलिखित परिवर्तन कर दिये जायें:-

1. वे सुरक्षण मद्रास में उन सब गैर-तमिल भाषियों, आन्ध्र प्रदेश में गैर-तेलुगु भाषियों, मैसूर में गैर-कन्नड़ भाषियों और केरल में गैर-मलयालम भाषियों को प्राप्त होंगे जो पिछले पैरा में बताई गई कसौटी की दृष्टि से नियमों में छूट के अधिकारी होंगे।
2. परीक्षा के माध्यम के विषय में इन छह भाषाओं में से किसी को अर्थात् तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू और अंग्रेजी को माध्यम के रूप में चुनने की छूट होनी चाहिये। राज्यों को अधिकार होना चाहिये कि वे चाहें तो अन्य भारतीय भाषाओं में भी परीक्षा के उत्तर पत्र लिखने की छूट दे दें।
3. चुने गये उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा पास करनी होगी जिसका स्तर चारों राज्यों की परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाना चाहिये।

13. सुरक्षणों के जारी रहने की अवधि

इन सुरक्षणों की अवधि के विषय में सब एक मत थे कि सुरक्षणों को इस समय उनकी समाप्त की तिथि निश्चित किये बिना आरम्भ कर देना चाहिये और 1.5.1964 के बाद जल्दी से जल्दी जब इस रियायत से लाभ उठाने वालों लोगों की संख्या के विषय में सूचना उपलब्ध हो जाये, इस प्रश्न पर पुनः विचार कर लिया जाये।

14. मद संख्या 7: राज्य सेवा में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं को परीक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना।

समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग के इस सुझाव पर विचार किया "राज्य सेवा" कहलाने वाली सेवाओं में, अर्थात् उच्च या राजपत्रित सेवाओं में जिनके लिए प्रतियोगिता की परीक्षाएँ होती हैं, भर्ती के लिये उम्मीदवार को छूट होनी चाहिए कि वह संघ की भाषा अंग्रेजी या हिंदी अथवा किसी ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को, जिसकी आबादी राज्य की जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत या अधिक हो, राज्य की मुख्य भाषा के विकल्प के रूप में परीक्षा का माध्यम चुन सके। राज्य की राजभाषा में उसकी दक्षता की परीक्षा सेवा के लिये चुने जाने के बाद परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले ली जाय। समिति ने महसूस किया कि वह उस बड़ी समस्या का भाग है जिस पर मद 9 के अंतर्गत विचार किया गया है तथा इस समय राज्य सेवाओं में भर्ती के विषय में चारों राज्यों में किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हो रही हैं, उन सब का माध्यम अंग्रेजी है। इस बात पर सब सहमत हुए कि इस मामले में सब राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित रूप में सुरक्षण देने चाहिये :-

(अ) ऐसे सुरक्षण केवल उन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए होंगे, जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उर्दू और केवल आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में मराठी होगी।

(ब) यदि किसी राज्य सेवा में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली किसी प्रतियोगिता परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर राज्य की क्षेत्रीय भाषा कर दी जाये तो इन अल्पसंख्यक वर्गों की परीक्षा के उत्तर-पत्र अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने की छूट दी जानी चाहिए।

(स) यदि कोई राज्य उपर्युक्त खण्ड (1) में बताई गई भाषाओं के अतिरिक्त कोई और भाषा बोलने वाले भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को भी रियायतें दे तो उनमें कोई आपत्ति नहीं है।

15. मद संख्या 8: जिलों के लिए संवर्ग मानी जाने वाली अधीनस्थ सेवाओं के संवर्गों की भर्ती।

भारत सरकार का यह सिफारिश करने का विचार है कि जहां राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित कोई संवर्ग जिला संवर्ग, के रूप में समझा जाये, वहां जिले की मान्यता प्राप्त सरकारी भाषा को जिले की प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि दक्षिणी प्रदेश की किसी भी राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ के 70 प्रतिशत लोग राज्य की भाषा से भिन्न कोई भाषा बोलते हों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार किसी अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को जिले की सरकारी भाषा घोषित करने के लिये यह आवश्यक शर्त है। इस प्रकार की यह सिफारिश दक्षिणी प्रदेश के किसी भी राज्य पर लागू नहीं होती।

16. मद संख्या 10: निवास संबंधी नियमों और अपेक्षाओं का पुनरीक्षण।

समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत सरकार द्वारा सरकारी रोजगार (निवास संबंधी शर्तें), अधिनियम 1957 पास किये जाने पर राज्य की सेवाओं में प्रवेश के लिये अधिवास विषयक योग्यताओं के संबंध में सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं, इसलिये इस विषय में अब कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

17. मद संख्या 11: ठेकों, मछली पालन आदि के संबंध में निजी अधिकारों पर प्रतिबंध।

समिति ने नोट किया कि चारों राज्यों से किसी एक में भी वाणिज्य, व्यापार और उद्योग धंधों के मामले में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

18. मद संख्या 12: अखिल भारतीय सेवाओं में नए प्रवेश पाने वाले के न्यूनतम प्रतिशत की भर्ती राज्य के बाहर से की जाए।

मद संख्या 13: किसी राज्य के उच्च न्यायालय के जजों की एक निश्चित संख्या की भर्ती राज्य के बाहर से की जाए।

मद संख्या 14: दो या दो से अधिक राज्यों के लिये लोक सेवा आयोगों का गठन, इस प्रश्नों पर किसी भी राज्य सरकार ने कोई टिप्पणियां नहीं भेजी हैं।

19. मद संख्या 15: सुरक्षाओं को लागू करने के लिए अभिकरण।

समिति इस बात से अवगत हुई कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के निदेशानुसार समय-समय पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को दिये सुरक्षाओं के अनुसार हो रहे काम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त नियुक्त किया जा चुका है। समिति का विचार था कि दक्षिणी क्षेत्र के सब राज्यों द्वारा स्वीकार किये गये भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण और समन्वय करने के अभिकरण के रूप में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की एक स्थायी समिति नियुक्त की जानी चाहिये। प्रत्येक राज्य में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए मंत्रियों में से एक मंत्री इस स्थायी समिति में अपने-अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। यह समिति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को दिये गये सुरक्षाओं के अनुपालन के संबंध में उठाने वाली सारी समस्याओं पर विचार-विमर्श करेगी। सर्वसम्मति से तय किया गया कि ऐसी एक समिति बना दी जानी चाहिये।

20. भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने समिति को एक नोट भेजा था जिसमें उन्होंने कई राज्यों में प्रचलित इस प्रथा की ओर संकेत किया था कि वहाँ आर्ट्स और साइन्स कोलेजों के विज्ञान पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक कालेजों और पालिटेक्निकों में सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये प्रादेशिक भाषा के पूर्व ज्ञान पर एक अनिवार्य शर्त के रूप में बल दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शिकायतें भी मिली हैं कि इस शर्त पर केवल इसलिये जोर दिया जाता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार को प्रवेश न मिल सके। समिति ने पाया कि दक्षिण क्षेत्र के चारों राज्यों में से किसी में भी ऐसा कट्टरपन नहीं पाया जाता है।

1. ऊपर दी गई रिपोर्ट में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद 16 अप्रैल, 1960 को नई दिल्ली में हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये गये:-

(क) दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में स्कूलों को बाहर की संस्थाओं के साथ संबंध करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया गया। मद्रास के शिक्षा मंत्री श्री सुब्रहमण्यम ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहाँ तक कालेजो का प्रश्न है इस बात का फैसला करना अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का काम है, सरकारों का नहीं। चर्चा के समय यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्यों के स्कूलों में परीक्षा केवल क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं, वरन् विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं में भी ली जाती है, और यदि कोई समस्या उठे तो उस पर स्थायी समिति द्वारा विचार कर लिया जायेगा जिसके निर्माण मंत्रियों की समिति ने की है।

(ख) चर्चा के समय श्री सुब्रहमण्यम ने कहा कि यद्यपि भारत के किसी भी नागरिक को, जिसके पास अपेक्षित अहर्ता हो, राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिये समान शर्त पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने का अधिकार है, तथापि मंत्रियों की समिति ने प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को कुछ छूट स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। इसके लिए किसी अभ्यर्थी को राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य तभी समझा जायेगा जब उसने आवश्यक अहर्ता परीक्षा उसी राज्य से पास की हो और उसकी मातृभाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषा से भिन्न कोई भाषा हों। लोक सेवा में भर्ती को अधिवास संबंधी प्रतिबंधों से समिति नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना सरकारी रोजगार (निवास संबंधी शर्त) अधिनियम, 1957 के विरुद्ध होगा, दक्षिण क्षेत्र के चारों में से किसी में भी इस प्रकार की पाबंदियां नहीं है। यह तय हुआ कि हिन्दी को भी उन भाषाओं की सूची में जोड़ दिया जाय जिनमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्य लोक सेवा में भर्ती की परीक्षाओं क उत्तर लिख सकते हैं।

(ग) कुछ विचार-विमर्श के बाद परिषद् ने रिपोर्ट का अनुमोदन किया और इस बात पर सहमति प्रकट की कि यदि समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित हो तो मामला स्थायी समिति के सामने रखा जाय। प्रस्तावित स्थायी समिति के गठन के संबंध में यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व एक-एक मंत्री करेगा और उस वर्ष के लिये परिषद का उपाध्यक्ष समिति का संयोजक होगा। उस वर्ष के लिये क्षेत्रीय परिषद का सचिव समिति का सचिव होगा। यह भी तय किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को भी समिति में ले लिया जाए।

अगस्त, 1961 में हुई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक द्वारा जारी किया गया वक्तव्य

राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक 10 अगस्त, 1961 को बुलाई गई। प्रधान मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की और मंत्रिमंडल के मंत्रियों तथा राज्यों और केन्द्रीय सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री डा. बी. सी. राय को छोड़कर अन्य मुख्य मंत्री बैठक में 10 अगस्त से लेकर आगे तक उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने विदेश से वापस आने पर 11 और 12 अगस्त को हुई बैठक में भाग लिया, राजस्थान के मुख्य मंत्री भी उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि जब वे 10 अगस्त की बैठक में भाग लेने के लिए जयपुर से दिल्ली कार द्वारा आ रहे थे, रास्ते में दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे।

10 अगस्त

(1) अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय एकता के सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषाई और शासन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का जिक्र किया। उन्होंने जातिवाद और भाषाई समस्याओं का हवाला दिया और इन प्रश्नों का अखिल भारतीय स्तर पर हल निकालने के लिए कहा।

(2) केन्द्रीय गृह मंत्री ने 31 मई और 1 जून, 1961 को हुए मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में हुई चर्चा और जातिवाद से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों का हवाला दिया। उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क में संशोधन के लिए दो विधेयक के बारे में विस्तार से बताया। यह विधेयक संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन के प्रस्ताव के बारे में भी बताया।

(3) बैठक इस बारे में सहमत थी कि यदि कोई व्यक्ति या ग्रुप देश के किसी हिस्से को भारत संघ से अलग करने की बात करता है, तो इसे दण्डनीय अपराध माना जाना चाहिए। इस मामले पर आगे विचार बाद में किया जाएगा।

(4) प्रधान मंत्री ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश का हवाला दिया कि अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाए। इंजीनियरी, चिकित्सा और वन विभागों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के सिद्धान्त को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया कि इस विषय पर तैयार किये जाने वाले प्रारूप को विचार के लिए राज्य सरकारों में परिचालित किया जाएगा।

(5) बैठक का मत था कि वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की केन्द्र और राज्यों के बीच अदला-बदली करने के नियम का और अधिक कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

(6) बैठक ने राज्य के बाहर से प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों को लेने की वांछनीयता को भी स्वीकार किया गया है।

11 और 12 अगस्त

1. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक की कार्यवाही 11 और 12 अगस्त को जारी रही। यह कार्यवाही 11 अगस्त को सुबह और दोपहर दोनों समय चलती रही, और 12 अगस्त को सुबह भी।

2. बातचीत का मुख्य विषय भाषा और उसके विभिन्न पहलुओं का सवाल था। प्रधान मंत्री ने इस विषय पर संविधान के उपबंधों की ओर ध्यान दिलाते हुए विचार विमर्श आरम्भ किया। उन्होंने विशेष रूप से अनुच्छेद 29, 30, 350(क) और 350(ख) की ओर ध्यान दिलाया। प्रधान मंत्री ने भारत सरकार के 4 सितम्बर, 1956 के ज्ञापन की चर्चा की, जो भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले सुरक्षाओं के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था। यह ज्ञापन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने के पश्चात् जारी किया गया था। एक प्रकार से यह ज्ञापन अखिल भारतीय संहिता (कोड) के रूप में था जिसमें सभी राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत न्यूनतम सुरक्षाओं का उल्लेख था।

3. यद्यपि ज्ञापन के सामान्य सिद्धान्तों को फिर से पुष्टि कर दी गई, तथापि उनमें कुछ संशोधन स्वीकार किए गए जो निम्नलिखित हैं :—

(क) **प्राथमिक शिक्षा:** भाषाई अल्पसंख्यकों की प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाई के अधिकार की बात पुनः स्वीकार की गई। इसे वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 350क से संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है और राष्ट्रपति को, जहां भी आवश्यक हो, निदेश देने का अधिकार प्राप्त है।

प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दक्षिणी क्षेत्रों के राज्यों के निर्णय सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिए गए। चूंकि ये निर्णय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर वहां की तत्कालीन विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए दिए गए थे, अतः वे अन्य राज्यों पर पूर्णतया लागू नहीं हो सके। परन्तु सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया और उसे यथोचित रूप देने का निश्चय किया गया। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें कम नहीं किया जाए और जहां सम्भव हो सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

(ख) **माध्यमिक शिक्षा:** इस संबंध में भी 1956 के ज्ञापन की सामान्य व्यवस्थाओं की पुनः पुष्टि की गई और इस बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के निर्णय सिद्धान्तरूप से स्वीकार कर लिए गए। इन सिद्धान्तों पर राज्यों के शिक्षा विभागों को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि वे अपने राज्यों में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे अपना सकें।

मातृभाषा फार्मूला माध्यमिक स्तर की शिक्षा के माध्यम के बारे में पूर्णतया लागू नहीं हो सकता। इस स्तर पर छात्रों को ऐसी उच्च शिक्षा दी जाती है जिसमें पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कोई व्यवसाय अपना सकें। यह शिक्षा छात्रों को विश्वविद्यालयों की उच्चतर शिक्षा के लिए भी तैयार करती है। इस में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषायें संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित आधुनिक भारतीय भाषायें तथा अंग्रेजी ही होना चाहिये।

4. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही प्रकार के स्कूलों के लिए उपर्युक्त पाठ्य-पुस्तकों की महत्ता पर भी जोर दिया गया। सामान्यतः ये पाठ्य-पुस्तकें राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जानी चाहिए और निजी प्रकाशनों के हाथ में नहीं छोड़नी चाहिए। पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की बननी चाहिए जिसमें छात्रों के दिमाग में समन्वित दृष्टिकोण और भारतीय एकता की भावना पैदा हो, तथा उससे उन्हें भारत की मूलभूत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी मिल सके। साथ ही उन्हें भारत व अन्य देशों की आधुनिक परिस्थितियों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने का काम अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक व माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए समर्थन पाठ्य-पुस्तकें तैयार करनी चाहिए।

5. भारत की प्रादेशिक भाषाओं के विकास और शिक्षा में धीरे-धीरे उनका प्रयोग बढ़ाने से अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए एक अखिल भारतीय भाषा का शीघ्र विकास आवश्यक हो जाता है। अब तक यह काम अंग्रेजी करती रही है। यद्यपि आने वाले कुछ समय तक के लिए अंग्रेजी माध्यम बनी रहेगी पर यह स्पष्ट है कि हिन्दी को माध्यम बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वह उद्देश्य यथासंभव जल्दी से जल्दी पूरा हो सके अन्यथा ऐसा खतरा है कि विभिन्न राज्यों के बीच भाषा संबंधी सम्पर्क का कोई साधन नहीं रहेगा।

6. अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क और आधुनिक विज्ञान खास तौर से विज्ञान, उद्योग और प्राद्यौगिकी के भारत में विकास के कारण यह महत्वपूर्ण है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की व्यापक रूप से जानकारी होनी चाहिए। यद्यपि यह कोई भी महत्वपूर्ण यूरोपीय भाषा हो सकती है परन्तु अंग्रेजी यह काम अधिक आसानी से पूरा कर सकेगी क्योंकि भारत में इसकी अच्छी जानकारी है। अतः अंग्रेजी इस लिये महत्वपूर्ण है।

7. यह अवश्य याद रखने की बात है कि यदि भाषाओं को अच्छी तरह पढ़ना है तो उन्हें पढ़ाई के आरम्भिक काल में शुरू कर देना चाहिए क्योंकि उस समय बच्चे के लिए सीखना आसान होता है। इसलिए आरम्भिक अवस्था से ही अंग्रेजी और हिन्दी दोनों पढ़ाई जानी चाहिए।

8. बैठक की यह राय थी कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि केवल वांछनीय ही नहीं है, बल्कि वह विभिन्न भारतीय भाषाओं में सम्पर्क की एक शक्तिशाली कड़ी भी सिद्ध होगी। इसलिए वह राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। भारत में ऐसी एक समान लिपि वर्तमान परिस्थितियों में देवनागरी ही हो सकती है। यद्यपि निकट भविष्य में एक समान लिपि को अपनाना कठिन हो सकता है पर यह उद्देश्य सामने रखकर उसके लिए काम करना चाहिए।

9. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषा विषय पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक त्रिभाषा फार्मूला तैयार किया था। इस विषय में सहमति रही कि इस फार्मूले को सरल बनाया जाए और अंग्रेजी का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है।

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषा विषयों की पढ़ाई निम्न प्रकार से होनी चाहिए:

- (क) क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा जबकि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो;
- (ख) हिन्दी या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अन्य भारतीय भाषा; और
- (ग) अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।

10. अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों और कालेजों को राज्य से बाहर के विश्वविद्यालयों या अन्य प्राधिकरणों से सम्बद्ध कराने के विषय पर विचार किया गया। यह स्वीकार किया गया कि अधिकांश मामलों में इस प्रकार की संस्थाओं को राज्य के अन्दर के विश्वविद्यालयों या मण्डलों से सम्बद्ध कराने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। परन्तु जहां राज्य के अन्दर के विश्वविद्यालयों अथवा मण्डलों से सम्बद्ध कराने में कोई अनिवारणीय कठिनाई हो तो ऐसी संस्थाएं राज्य से बाहर के विश्वविद्यालयों या मण्डलों से सम्बद्ध कराई जा सकती हैं।

11. यद्यपि प्रत्येक राज्य में सरकारी कार्य के लिए एक या अधिक भाषाएं हो सकती हैं पर यह माना जाना चाहिए कि कोई भी राज्य पूर्णतया एकलभाषी राज्य नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर शिक्षा आदि के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रबन्ध का सुझाव दिया गया है। सरकारी भाषा सामान्यतः सरकारी कार्य के लिए है। कोई बात जनता को बताते समय उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो बात बताई जाए उसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें। इसलिए जहां प्रचार की आवश्यकता हो वहां सरकारी भाषा के अलावा उस क्षेत्र में प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग होना चाहिए।

12. यदि किसी जिले की आबादी के कम से कम 60 प्रतिशत लोग राज्य की सरकारी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हों या उसका प्रयोग करते हों तो वह अल्पसंख्यक भाषा उस जिले में राज्य की सरकारी भाषा के अलावा सरकारी भाषा समझी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए साधारणतया केवल उन प्रमुख भाषाओं को मान्यता दी जा सकती है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई हैं। असम के पहाड़ी जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के संबंध में अपवाद हो सकता है, जहां आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के अलावा अन्य भाषाएं प्रचलित हैं।

13. जहां जिले या नगरपालिका या तहसील जैसे छोटे क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत हो, वहां यह वांछनीय होगा कि महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाएं और नियम आदि उस अन्य भाषा या भाषाओं के अलावा, जिनमें सामान्यतः ऐसे दस्तावेज प्रकाशित होते हैं, अल्पसंख्यक भाषा में भी प्रकाशित किए जाएं।

14. प्रशासन का आन्तरिक कार्य, जैसे फाइलों पर टिप्पणी लिखना, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के पत्र व्यवहार आदि सामान्यतः और सुविधाजनक रूप में उस राज्य की सरकारी भाषा या केन्द्र की सरकारी भाषा में होना चाहिए। लेकिन जहां प्रशासन का जनता के साथ सम्पर्क हो, वहां प्रार्थना पत्र, आवेदन आदि अन्य भाषाओं में भी स्वीकार किए जाने चाहिए और जहां भी सम्भव हो इस तरह का इंतजाम किया जाना चाहिए कि जिस भाषा में जनता से आवेदन प्राप्त हों, उसी भाषा में उनके उत्तर दे दिए जाएं। राज्यों या जिलों में जहां कहीं भी भाषाई अल्पसंख्यक 15 से 20 प्रतिशत हों, वहां महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के सारांश का अनुवाद अल्पसंख्यक भाषा में प्रकाशित करने का प्रबन्ध होना चाहिए। यह तथ्य भी स्वीकार किया गया कि इस काम के लिए राज्य के मुख्यालय में अनुवाद कार्यालय की स्थापना वांछनीय होगी। जहां राज्य सरकार का कोई परिपत्र या अन्य आदेश या विज्ञप्ति स्थानीय जनता के सूचनार्थ जारी होना हो वहां जिला अधिकारियों को अधिकृत किया जाए कि वे उनका उस जिले या नगरपालिका क्षेत्र (जैसे भी स्थिति हो) की स्थानीय भाषा में अनुवाद करा सकें।

15. राज्य के मुख्यालय और जिले के बीच पत्र-व्यवहार आन्तरिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आता है, अतः साधारणतया यही उपयुक्त होगा कि राज्य और जिला मुख्यालय के बीच पत्र-व्यवहार राज्य की सरकारी भाषा में हो। राज्य की सरकारी भाषा के स्थान पर इस कार्य के लिए केन्द्र की सरकारी भाषा के प्रयोग की भी राज्य राजभाषा के स्थान पर उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। इस तरह की यह केन्द्रीय सरकारी भाषा, हिन्दी या अंग्रेजी होगी।

16. राज्य सरकार के अधीन राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए भाषा बाधक नहीं होनी चाहिए। इसलिए राज्य की सरकारी भाषा के अलावा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग करने की छूट भी दी जानी चाहिए। राज्य की सरकारी भाषा में प्रवीणता की परीक्षा चयनोपरान्त परन्तु परीक्षा की समाप्ति के पहले होनी चाहिए।

17. राज्य में सेवकों की नियुक्ति के लिए जहां विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा होना अर्हता के अन्तर्गत अनिवार्य है, उस स्थिति में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य सभी विश्वविद्यालय या संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिग्रियाँ या डिप्लोमा मान्य होने चाहिए।

18. विश्वविद्यालयों में वैश्विक माध्यम के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की जो प्रवृत्ति है वह कई प्रकार से वांछनीय तो है पर जब तक कि एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में कोई कड़ी न हो इस प्रवृत्ति में इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का शेष भारत से अलगाव हो सकता है। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालयों को छात्र और अध्यापक आसानी से नहीं आ-जा सकेंगे और विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में परस्पर सामान्य सम्पर्क के अभाव में शिक्षा का अहित हो सकता है। विश्वविद्यालयों के बीच इस परस्पर समन्वय सम्पर्क के महत्व पर जोर दिया गया। ऐसी सम्पर्क भाषा अन्ततः अंग्रेजी या हिन्दी ही हो सकती है। आखिरकार इस भाषा को हिन्दी ही होना है। अतः यह

आवश्यक है कि इस काम के लिए हिन्दी को उपयुक्त बनाने की हर सम्भव कोशिश की जाए। हिन्दी या सामान्यतः अन्य क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना तभी प्रभावकारी हो सकता है जबकि इस प्रकार की भाषा आधुनिक शिक्षा के लिए और विशेषतः वैज्ञानिक और विषयों के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो जाए। इस कार्य के लिए हिन्दी और अन्य भाषाओं का विकास करने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा हो सके तब तक के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए और हिन्दी या प्रादेशिक भाषा शुरू करने का काम कई चरणों में या विषयों में विभाजित कर लिया जाए। इस प्रकार वैज्ञानिक और विषय तब तक अवश्य ही अंग्रेजी में पढ़ाए जा सकते हैं और अन्य विषय हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाए जा सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में स्कूलों व कालेजों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अध्यापन का स्तर उँचा उठाया जाना चाहिए और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च स्तर बनाए रखा जाना चाहिए।

19. जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्णय ले चुकी है, सभी और वैज्ञानिक शब्दावली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए और सभी भारतीय भाषाओं में एक समान होनी चाहिए।

20. बैठक में इस बारे में केन्द्रीय सरकार की ओर से की गई इस घोषणा का स्वागत किया गया कि हिन्दी के अखिल भारतीय सरकारी भाषा बन जाने पर भी अखिल भारतीय सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग शासकीय सह भाषा के रूप में चलता रहेगा। यह तथ्य संघ की राजभाषा के सम्बन्ध में जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश से पुनः पुष्ट हो जाता है।

21. यह स्वीकार किया गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित नीति पर अमल करने और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्य का ब्यौरा अनुच्छेद 350ख में दिए गए हैं। यद्यपि स्पष्टतः ही आयुक्त को सुरक्षकों के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यकारी अधिकार नहीं सौंपे जा सकते हैं, पर इस बात पर पुनः बल दिया गया कि सभी राज्यों को उन्हें पूरा सहयोग देना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को न केवल वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए बल्कि समय-समय पर अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी अधिक रिपोर्ट बनानी चाहिए जो सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों को भेजी जाए और गृह मंत्रालय को भी भेजी जाए जो इसे सभी मुख्य मंत्रियों में परिचालित करें।

22. क्षेत्रीय परिषदों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके कार्यक्षेत्र में इस नीति को पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया जाए। केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें क्षेत्रीय परिषदों के उप-प्रधान सम्मिलित हों। यदि आवश्यक समझा जाए तो केन्द्रीय गृह मंत्री अन्य मुख्य मंत्रियों को उस समिति की बैठक में भाग लेने लिए आमंत्रित कर लें। यह समिति भाषाई अल्पसंख्यकों को दिये गए सुरक्षकों के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अन्य कार्यों में निकट सम्पर्क बनाए रखेगी।

23. राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के विशेष महत्व को दृष्टि में रखते हुए मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठकें और कम समय के अन्तर में होनी चाहिए ताकि वे हो रही कार्यवाही पर नजर डाल सकें और जब भी आवश्यक हो आगे के कदम सुझा सकें। इस उद्देश्य की सफलता सभी राज्यों की सरकारों और केन्द्र सरकार की निरन्तर निगरानी और सहयोग पर निर्भर है।

24. बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर और अधिक व्यापक प्रचार वांछनीय है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस विषय पर एक लेख तैयार करेगा और उसे आगे की बैठक में विचारार्थ मुख्य मंत्रियों को भेजेगा।

25. राष्ट्रीय एकता के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया कि उसका कार्यान्वयन राष्ट्रव्यापी आधार पर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए बड़ा सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिसमें मुख्य मंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों के अलावा संसद की विभिन्न पार्टियों के प्रमुख सदस्य और शिक्षा शास्त्रियों, वैज्ञानिकों तथा विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।

क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की नवम्बर 1961 में हुई समिति की पहली बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित

- | | |
|--|----------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री लाल बहादुर शास्त्री,
गृह मंत्री 2. श्री प्रताप सिंह कैरो,
मुख्य मंत्री, पंजाब
(उपाध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद) 3. श्री वाई. बी. चव्हाण,
मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र
(उपाध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद) 4. श्री वी. पी. चलिहा,
मुख्य मंत्री, असम
(उपाध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद) 5. श्री सी.बी. गुप्त,
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
(केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद) 6. श्री सी. सुब्रह्मण्यम,
वित्त मंत्री, मद्रास
(दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि) | <p>अध्यक्ष</p> |
|--|----------------|

भारत सरकार के अधिकारी

1. श्री बी.एन. झा, सचिव, गृह मंत्रालय
 2. श्री विष्णुनाथन, विशेष सचिव, गृह मंत्रालय
 3. श्री पी.एन. कृपाल, सचिव, शिक्षा मंत्रालय
 4. श्री हरि शर्मा, अपर सचिव, गृह मंत्रालय
 5. श्री एल. पी. सिंह, अपर सचिव, गृह मंत्रालय
 6. श्री आर. प्रसाद, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय
 7. श्री आर.पी. नायक, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय
 8. श्री पी.एन. कौल, उप सचिव, गृह मंत्रालय
2. **कार्य सूची की मद संख्या 1:** नम जिससे समिति को संबोधित किया जाए।
- यह स्वीकार किया गया कि इस समिति को 'राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति' कहा जाए।
3. **कार्य सूची की मद संख्या 2:** (क) क्षेत्रीय स्तर और (ख) राज्य स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए संरक्षण को लागू करने वाली एजेंसी की संरचना।
- (क) **क्षेत्रीय स्तर:** यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक स्थायी समिति को

नियुक्त करें जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री हों और वह समिति राष्ट्रीय एकता और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए सुरक्षणों के संबंध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए नीति निर्णयों को लागू करने में हुई प्रगति का समय-समय पर परीक्षण करें।

(ख) (i) **राज्य स्तर:** समिति का विचार था कि राष्ट्रीय एकता (भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षणों सहित) से संबंधित कार्यों के समन्वय का उत्तरदायित्व मुख्य मंत्री का होना चाहिए और इस कार्य में उनकी मुख्य सचिव द्वारा सहायता की जानी चाहिए। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक अधिकारी होना चाहिए जो मुख्य सचिव के निदेशाधीन काम करे।

यह भी स्वीकार किया गया कि यह अधिकारी (i) भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए संरक्षण को लागू करने में हुई प्रगति, (ii) भारत सरकार के भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त और अन्य राज्य सरकारों के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में यदि कोई पत्र-व्यवहार हुआ हो और यह लम्बित पड़ा हो, (iii) भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने यदि कोई दौरा किया हो, और (iv) राष्ट्रीय एकता से संबंधित अन्य प्रकरण, इन सबका समय-समय पर पुनरीक्षण करते हुए टिप्पणी तैयार करे।

(ग) (ii) **जिला स्तर:** समिति ने स्वीकार किया कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए संरक्षणों और राष्ट्रीय एकता से संबंधित काम के समन्वय का दायित्व जिला अधिकारी का होना चाहिए। यह भी स्वीकार किया गया कि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों का संचालन करने वाले नियमों में यदि आवश्यक समझें तो कोई संशोधन कर सकती हैं ताकि इन निकायों द्वारा राष्ट्रीय एकता से संबंधित नीति निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

4. **कार्य सूची की मद संख्या 3:** 10 से 12 अगस्त, 1961 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णयों पर राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण।

यह पता चला कि अभी तक केवल सात राज्य सरकारों और चार संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए हैं और कुछ मामलों में दी गई सूचना अधूरी है। तत्काल उपलब्ध सूचना के आधार पर 10 से 12 अगस्त, 1961 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा जारी किए गए विवरण में निहित विभिन्न नीति निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में समिति ने पुनरीक्षण किया और निम्नलिखित निर्णय लिए:

- (i) **प्राइमरी और माध्यमिक स्तर की शिक्षा अपनी मातृभाषा में लेने का भाषाई अल्पसंख्यक का अधिकार (विवरण का पैरा 3)**

यह स्वीकार किया गया कि सभी राज्य सरकारों (दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर) का ध्यान दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों द्वारा लिए गए निर्णय की शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता की ओर दिलाया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया था।

समिति का यह भी विचार था कि प्रत्येक राज्य में पिछले 4-5 वर्षों के दौरान प्राइमरी और माध्यमिक स्तरों के अल्पसंख्यक भाषा समूहों के लिए स्कूल की संख्या, प्रत्येक ऐसे समूह में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक समूह के लिए उपलब्ध अध्यापकों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जाए ताकि समिति स्थिति का ठीक-ठीक मूल्यांकन कर सके।

- (ii) **समुचित पाठ्य-पुस्तकों का प्रबन्ध (विवरण का पैरा 4)**

यह बात ध्यान में लाई गई कि विभिन्न राज्यों में प्राइमरी और माध्यमिक स्तरों पर प्रयोग में लाई जा रही वर्तमान पाठ्य-पुस्तकों की जांच के बाद माडल पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने यह कार्यक्रम तैयार किया था और उन्होंने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार एक उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार समिति के गठन का भी प्रस्ताव दिया था। यह स्वीकार किया था कि पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय पर छोड़ दिया

जाए जो राज्य सरकारों के परामर्श से उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन किसी बाद की बैठक में समिति द्वारा सामान्य पुनरीक्षण के लिए विभिन्न राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाए।

(III) शुरु के स्तरों पर अंग्रेजी और हिंदी को पढ़ाना (विवरण का पैरा 7)

यह स्वीकार किया गया कि इस बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए।

(IV) त्रिभाषा-सूत्र (विवरण का पैरा 9)

समिति का विचार था कि राज्य सरकारों द्वारा की गई और की जाने वाली 22 कार्यवाही के बारे में सभी राज्यों से सूचना एकत्रित की जाए, ताकि बाद की बैठक में मामले पर पूरी तरह से विचार किया जा सके।

(V) बाहरी संस्थानों से स्कूलों और कालेजों को सम्बद्ध करना (विवरण का पैरा 10)

यह स्वीकार किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने वाले स्कूलों और कालेजों को विभिन्न राज्य के बोर्डों और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने के बारे में स्थिति की जांच राज्य प्राधिकारियों द्वारा यह बात ध्यान में रख कर की जाय कि सम्बद्ध करने के मामले में इन संस्थानों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा।

(VI) जनता के साथ पत्र-व्यवहार और प्रसार के उद्देश्यों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग (विवरण का पैरा 11 और 13)

यह स्वीकार किया गया है कि जिन राज्यों में जिलों या नगर पालिकाओं, तहसीलों जैसे छोटे क्षेत्रों की सूची तैयार नहीं है, जहां कि 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या भाषाई अल्पसंख्यकों की है जो उन्हें ये सूचियां तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

(VII) जिला स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देना (विवरण का पैरा 12)

यह ध्यान में लाया गया कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसरण में असम के कछार जिले में बंगला भाषा को और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नेपाली भाषा को सरकारी तौर पर मान्यता दी गई थी।

(VIII) प्रशासन द्वारा जनता के साथ पत्र-व्यवहार में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग (विवरण का पैरा 14)

यह ध्यान में लाया गया कि कुछ राज्यों के राज्य-मुख्यालयों में पहले से ही अनुवाद ब्यूरो काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता हो सकती है। यह विचार किया गया कि इस विषय पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णय की ओर सभी राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जाय और समिति की अगली बैठक में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(IX) राज्य मुख्यालयों और जिलों के बीच पत्र-व्यवहार (विवरण का पैरा 15)

यह ध्यान में लाया गया कि अभी तो सभी राज्यों में जिला मुख्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार में केवल संघ की सरकारी भाषा (हिन्दी या अंग्रेजी) का या फिर राज्य की सरकारी भाषा के साथ-साथ उसका उपयोग किया जाता है।

(X) **राज्य सेवाओं में भर्ती (विवरण का पैरा 16)**

यह ध्यान में लाया गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने इस विषय को कई राज्यों के साथ उठाया है जिनमें भर्ती के वास्ते अनिवार्य परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में ली गई थी। समिति ने निर्णय किया कि आयुक्त और केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सम्बद्ध राज्यों से अन्तिम उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद किसी बाद की बैठक में स्थिति का पुनरीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा।

(XI) **सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई डिग्रियों या डिप्लोमा को मान्यता देना (विवरण का पैरा 17)**

समिति का विचार था कि सम्बन्धित राज्य सरकारों से मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसरण में विद्यमान नियमों में संशोधन करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाए। यह स्वीकार किया गया कि राज्य सरकारों से प्राप्त आगे की सूचना को देखते हुए समिति की अगली बैठक द्वारा स्थिति का पुनरीक्षण किया जा सकता है।

(XII) **विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम (विवरण का पैरा 18)**

इस मद पर समिति की बाद की बैठक में विचार किया जाएगा।

(XIII) **अन्य राज्यों से एक तिहाई जजों की नियुक्ति**

अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि उन्होंने इस विषय पर सभी मुख्य मंत्रियों को 23 सितम्बर, 1961 को लिखा था लेकिन अन्तिम उत्तर केवल उड़ीसा से ही प्राप्त हुआ है। कुछ बहस के बाद यह स्वीकार किया गया कि मामले को शीघ्र निपटाने के लिए मुख्य मंत्री अपने मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं।

(XIV) **नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन**

अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि इंजीनियरी, वन और स्वास्थ्य की अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और इन्हें शीघ्र ही राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिये भेजा जाएगा। अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकारें इन योजनाओं पर शीघ्र विचार करेंगी ताकि अनुचित देरी किये बगैर संसद में एक विधेयक पेश करने की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

5. **कार्य—सूची की मद संख्या 4 : समिति के कार्य का विस्तार क्षेत्र**

यह तय हुआ कि समिति, भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए सुरक्षणों सहित, राष्ट्रीय एकता से संबंधित सभी मामलों को निपटायेगी।

भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त
COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES
 52वें प्रतिवेदन हेतु प्रश्नावली
Questionnaire for 52nd Report
 (जुलाई, 2014 से जून, 2015 की अवधि हेतु)
(For the Period from July, 2014 to June, 2015)

पूर्ण रूप से भरी हुई प्रश्नावली की प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि
 Date for receipt of Questionnaire, duly completed in all respects

31 अक्टूबर, 2015

31 October, 2015

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

Name of the State/UT

मुख्य सचिव का नाम

Name of the Chief Secretary

(दूरभाष) (Phone).....

(मोबाइल) (Mobile).....

(फैक्स) (Fax).....

ई मेल पता/e-mail address.....

सचिव, शिक्षा, (प्राथमिक एवं माध्यमिक)

का नाम

Name of the Secretary, Education (Primary & Secondary)

(दूरभाष) (Phone).....

(मोबाइल) (Mobile).....

(फैक्स) (Fax).....

ई मेल पता/E mail Address.....

सम्पर्क/समन्वय अधिकारी का नाम व विवरण

Name and Particulars of the Nodal Officer

पदनाम/Designation:

(दूरभाष) (Phone).....

(मोबाइल) (Mobile).....

(फैक्स) (Fax).....

ई मेल पता/e-mail address.....

नोट : मुख्य सचिव द्वारा आई०ए०एस० अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना अपेक्षित है क्योंकि इनका कार्य राज्य के विभिन्न विभागों से समन्वय तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षाओं की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रश्नावली का विस्तृत तथा समेकित उत्तर अपने हस्ताक्षर से समय पर अग्रसारित करना होता है।

NB : The nodal officer for Linguistic Minorities nominated by the Chief Secretary should preferably be an I.A.S. Officer as his duties involve coordination among various departments of the State and ensuring effective implementation of the Scheme of Safeguards for linguistic minorities and forwarding a comprehensive and consolidated response to the Questionnaire under his signature in time.

सांख्यिकी Statistics

A. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का संक्षिप्त भाषाई विवरण /Linguistic Profile of the State/UT

1. संक्षिप्त भाषाई विवरण (भाषा-भाषियों के अवरोही क्रम में)/Languages spoken (in descending order of number of speakers)

क्रम Sl. No.	भाषा Language	बोलने वालों की संख्या Number of Speakers	प्रतिशतता Percentage

2. उन जनपदों के नाम जहाँ उस क्षेत्र की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएँ बोली जाती हैं :

Name the district where minority languages are spoken by 60% or more of its population:

जिला District	भाषा Language	प्रतिशतता Percentage

3. उस क्षेत्र (जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका) का नाम जहाँ की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएँ बोली जाती हैं:

Name the areas (district/tehsil/taluka/municipality) where minority languages are spoken by 15% or more of the population:

जिला District	तहसील/तालुका/नगरपालिका Tehsil/Taluk/Municipality	भाषा Language	प्रतिशतता Percentage

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ लगाएँ)/ Attach a separate sheet, if required.

B. भाषाई अल्पसंख्यक/Linguistic Minorities

4. (a) 'भाषाई अल्पसंख्यक' से आपका क्या अभिप्राय है? 'भाषाई अल्पसंख्यक' को आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? कृपया अपने विचारों से अवगत कराएं।

What is your perception of the term 'Linguistic Minorities', please state as to how would you like to define the term 'linguistic minority'?

- (b) क्या अल्पसंख्यक भाषाओं के बोलने वालों की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा उनके भाषाई अधिकारों को संरक्षित करने हेतु, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विद्यमान सुरक्षाओं की योजना पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कृपया अपने सुझाव दें।

Is the exiting Scheme of Safeguards for linguistic minorities sufficient to protect the linguistic rights and linguistic aspirations of the speakers of minority languages. If 'No' please give your suggestions.

- (c) भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों की योजना के कार्यान्वयन में, यदि कोई कठिनाई/कमी हुई है, तो इसका उल्लेख करें। कृपया बताएं कि भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के कार्यान्वयन तंत्र को कैसे और बेहतर बनाया जाए।

Please state difficulties/short-falls, if any, in the implementation of the Scheme of safeguards for the linguistic minorities. Please state how best to improve upon the mechanism of implementation of Safeguards for the linguistic minorities.

C. प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग Use of Minority Languages in Administration

5. (a) क्या उन क्षेत्रों (जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका) में जहाँ पर अल्पसंख्यक भाषाओं के बोलने वालों की संख्या जनसंख्या की 15% या उससे अधिक है, महत्वपूर्ण सरकारी नियम, शासनादेश, अधिसूचनाएं, इत्यादि अल्पसंख्यक भाषाओं में अनूदित एवं प्रकाशित किए जाते हैं ?

Are there arrangements for translation and dissemination of important Government Rules, Orders and Notifications, etc. in minority languages where their speakers constitute 15% or more of the District/Tehsil/Taluka/Municipality population?

- (b) आलोच्य वर्ष में, ऐसे प्रकाशनों का भाषानुक्रम में विवरण विनिर्दिष्ट करें।
Please specify the language-wise details of translation/dissemination during the year.

6. (a) क्या अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों/शिकायतों को स्वीकार किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं? समीक्षाधीन अवधि में, प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों के आंकड़े दें।

Do orders exist for receipt of representations for redress of grievances in minority languages? Please furnish statistics on such representations received during the period.

- (b) शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों का किस सीमा तक उसी भाषा में उत्तर दिया जाता है?
To what extent, are representations for redress of grievances in minority languages, replied to in the same language?

D. राज्य सेवाओं में भर्ती / Recruitment to State Service

7. क्या राज्य की सेवाओं में भर्ती हेतु क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान होना पूर्वपेक्षित है? यदि 'नहीं' तो भर्ती के उपरान्त वहाँ की क्षेत्रीय/राजभाषा में दक्षता प्राप्त करने हेतु समय-सीमा क्या है?
Is knowledge of regional/official language a pre-requisite for recruitment to State Services? If 'No', what is the time period on recruitment for acquiring proficiency in the regional/official language of the State?
8. क्या राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति है?
Are minority languages permitted to be used in answering Question Papers for recruitment examinations to State Services?
9. क्या राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिए वहाँ का अधिवासी होने की बाध्यता है?
Are there any domiciliary restrictions imposed at the time of recruitment to the State Services?

E. राजभाषा(एँ) / Official Language (S)

10. (a) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा/Official Language of the State/UT:
- (b) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा अधिनियम की प्रति उपलब्ध कराएँ।
Please furnish copy of the Official Language Act of the State/UT.

11. उन भाषाओं का उल्लेख करें जिन्हें अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है। कृपया घोषित ऐसी अतिरिक्त राजभाषा का उल्लेख करते हुए उनके प्रयोजन एवं प्रयोग की सीमा निर्दिष्ट करें।
Name other language(s) declared as Additional Official Language(s). Please mention the extent and purposes for which the language(s) have been so declared.

F. भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता
Recognition of Linguistic Minority Institutions

12. भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने वाले पदनामित सक्षम प्राधिकारी तथा तत्संबंधी नियमों और विनियमों/दिशा निर्देशों का उल्लेख करें। (कृपया तत्संबंधी नियमों/विनियमों/दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएँ)

Mention the Rules & Regulations/Guidelines for recognition of linguistic minority educational institutions and the competent authority designated for the purpose.
(Please furnish a copy of the Relevant Rules/Regulation/Guidelines)

13. (a) कितने भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को 30 जून 2014 तक भाषाई अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है?
How many linguistic minority educational institutions have been recognized language-wise as on June 30, 2014?

- (b) भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने हेतु उनसे क्या कोई प्रत्यावेदन/शिकायत/याचिका राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? यदि 'हाँ' तो इस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दें।

Is the State Government/UT in receipt of any representations/complaints/ petitions from linguistic minorities about recognition of their minority educational institutions? If 'yes' please state the action taken in this regard.

14. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्ति हेतु 30 जून 2014 तक भाषावार कितने आवेदन लम्बित हैं?
How many applications, language-wise, are pending for recognition as linguistic minority educational institution, as on 30 June 2014?

**G. भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को अनुदान
Grants to Linguistic Minority Institutions**

15. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता-अनुदान स्वीकृत करने हेतु पदनामित प्राधिकारी और तत्संबंधी नियमों/विनियमों/ दिशा निर्देशों का उल्लेख करें। (कृपया तत्संबंधी धिनियमों/नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएँ)
Mention Rules/Regulations/Guidelines for sanction of grants-in-aid to primary and secondary linguistic minority educational institutions and the authority designated for the purpose. (Please furnish a copy of the relevant Acts/Rules/Regulations/Guidelines).
16. वर्ष 2013-14 के लिए, भाषावार, कितने भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है?
How many linguistic minority institutions, language wise, have been sanctioned grants- in-aid for the year 2013 – 14?

स्तर Level	अल्पसंख्यक भाषा Name of Minority Language	विद्यालयों की संख्या Number of Schools(s)
प्राथमिक /Primary		
उच्च प्राथमिक / मध्य Upper Primary/Middle		
माध्यमिक /Secondary		
उच्चतर माध्यमिक Higher Secondary		

**H. प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं (कक्षा I से V तक)
Educational Facilities in Primary Education [Class I to V]**

17. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम है, उनके विवरण दें :
Please give details, where minority language(s) are a medium of instruction:

भाषा Language	विद्यालय Schools	विद्यार्थी Students	अध्यापक Teachers	छात्र-शिक्षक अनुपात Student-Teacher Ratio

18. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम नहीं है किन्तु एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उनके विवरण दें :

Please give details where minority languages are taught as a subject and not as a medium of instruction:

भाषा Language	विद्यालय Schools	विद्यार्थी Students	अध्यापक Teachers	छात्र-शिक्षक अनुपात Student-Teacher Ratio

I. उच्च प्राथमिक (मध्य) स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं (कक्षा VI से VIII तक)
Educational Facilities in Upper Primary (Middle) Education [Class VI to VIII]

19. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम हैं, कृपया उनके विवरण दें :
 Please give details, where the minority languages are the medium of instruction.

भाषा Language	विद्यालय Schools	विद्यार्थी Students	अध्यापक Teachers	छात्र-शिक्षक अनुपात Student-Teacher Ratio

20. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम नहीं हैं किन्तु एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उनके निम्नानुसार विवरण दें :

Please detail below where the minority languages are taught as a subject only and not as the medium of instruction:

भाषा Language	विद्यालय Schools	विद्यार्थी Students	अध्यापक Teachers	छात्र-शिक्षक अनुपात Student-Teacher Ratio

J. माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं (कक्षा IX से X तक)
Educational Facilities in Secondary Education [Class IX to X]

21. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम हैं कृपया उनके निम्नानुसार विवरण दें :
 Please give details, where the minority languages are the medium of instructions as below:

भाषा Language	विद्यालय Schools	विद्यार्थी Students	अध्यापक Teachers	छात्र-शिक्षक अनुपात Student-Teacher Ratio

22. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है तथापि शिक्षण का माध्यम नहीं है:

Where the minority languages are taught as a subject though these are not the medium of instruction.

भाषा Language	विद्यालय Schools	विद्यार्थी Students	अध्यापक Teachers	छात्र-शिक्षक अनुपात Student-Teacher Ratio

K. उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा XI से XII तक) में शैक्षणिक सुविधाएँ :
Educational Facilities in Higher Secondary Education [Class XI to XII]

23. जहाँ अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम है, कृपया उनके निम्नवत् विवरण दें :
Please give details, where the minority language is the medium of instructions, as below:

भाषा Language	विद्यालय Schools	विद्यार्थी Students	अध्यापक Teachers	छात्र-शिक्षक अनुपात Student-Teacher Ratio

24. जहाँ अल्पसंख्यक भाषाएं एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है तथापि यह शिक्षण का माध्यम नहीं है:
Where the minority language is taught as a subject though it is not the medium of instruction:

भाषा Language	विद्यालय Schools	विद्यार्थी Students	अध्यापक Teachers	छात्र-शिक्षक अनुपात Student-Teacher Ratio

L. त्रिभाषा सूत्र / Three Language Formula

25. "त्रिभाषा सूत्र" के अन्तर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाओं का उल्लेख करें :
Please mention the languages taught under the "Three Language Formula":

1. प्रथम भाषा / First Language :
2. द्वितीय भाषा / Second Language :
3. तृतीय भाषा / Third language :

26. कक्षा VIII, कक्षा X तथा कक्षा XII में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत छात्रों की संख्या
The number of students covered under the Three Language Formula in Classes VIII, Class X and Class XII.

भाषा Language	कक्षा 8 Class VIII	कक्षा 10 Class X	कक्षा 12 Class XII

M. अल्पसंख्यक भाषा के अध्यापक / Minority Language Teachers

27. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय और शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के स्वीकृत / भरे हुए पदों, का कृपया उल्लेख करें :

Please mention the sanctioned/filled up posts of teachers to teach minority languages as a medium of instruction and as a subject:

भाषा Language	माध्यम Medium		विषय Subject	
	स्वीकृत पद Sanctioned Posts	भरे हुए पद Filled up Posts	स्वीकृत पद Sanctioned Posts	भरे हुए पद Filled up Posts

28. (a) क्या अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय अथवा माध्यम के रूप में अध्यापन हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है? यदि हां तो निम्नानुसार विवरण दें :

Are there any arrangements for training of teachers for teaching of minority languages as a medium and as a subject? If yes, please give details as below:

प्रशिक्षण संस्थान Training Institute	अल्पसंख्यक भाषा Minority Language	
	पढ़ाई का माध्यम As a medium	विषय के रूप में As a subject

- (b) अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के आदान-प्रदान / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान / केंद्र खोलने हेतु क्या पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग / व्यवस्था है? यदि 'हां' तो कृपया विवरण दें :

Please give details of collaboration/arrangement, if any, with neighbouring States for exchange of minority language teachers/opening of teachers' training institutes/centers:

N. अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य-पुस्तकें / Minority Language Text-Books

29. (a) क्या शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने पर अल्पसंख्यक भाषाओं की पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य-सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को मिल जाती है?

Are text-books in minority language and other teaching material available to linguistic minority students at the beginning of the Academic Session?

- (b) भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य-सामग्री प्राप्त करने हेतु एजेंसियों / अंतर्राज्यीय व्यवस्था, यदि कोई है, तो उसका विवरण दें।

Please give details of the agencies/inter-state arrangements, if any, for procuring minority language(s) text-books and other teaching materials for linguistic minorities students.

30. क्या अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी/कम दरों पर उपलब्ध कराई जाती है?
Are minority language(s) textbooks and other teaching materials available to the linguistic minority students at competitive/subsidized rates?

O. भाषाई वरीयता पंजियों का रख-रखाव
Maintenance of Language Preference Registers

31. भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषागत वरीयता पंजीकृत करने के लिए क्या 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख-रखाव प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (मिडिल)/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो रहा है ? भाषाई वरीयता पंजियों के रख-रखाव संबंधी आकड़े दें।
Please furnish statistics on maintenance of Language Preference Registers for registering language preference of linguistic minority pupils in the primary/upper primary (middle)/secondary/higher secondary schools? Please furnish statistics on maintenance of Language Preference Registers.

P. अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्द्धन तथा विकास
Promotion and Development of Minority Languages

32. (a) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा के संवर्द्धन हेतु कोई योजना है? कृपया विवरण दें।
Are there any Schemes to promote minority languages in the State/UT? Please furnish details.
- (b) कृपया अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्द्धन तथा विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों का विवरण दें।
Please give details about the Academies set up by the State Government for promotion and development of minority languages.

भाषा Language	अकादमी का नाम Name of the Academy	स्थापना की तारीख Date of Establishment	वर्ष 2014-15 के लिए बजट Budget for year 2013-14

Q. सुरक्षकों के कार्यान्वयन के लिए तन्त्र
Machinery for Implementation of Safeguards

33. (a) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षकों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा के लिए कोई व्यवस्था/समिति गठित है? यदि हाँ, तो समिति की संरचना क्या है? क्या वरीयता के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के किसी क्षेत्रीय सांसद को 'विशेष अतिथि' के रूप में इस समिति में सहयोजित किया गया है? इसकी अंतिम बैठक कब हुई?
- Is there a mechanism/Committee at the State/UT level to monitor and review the implementation of the Safeguards for linguistic minorities? If so, what is the composition of the Committee? Whether any local Member of Parliament, preferably belonging to linguistic minority, has been co-opted as a 'Special Invitee' to the Committee? When did the committee hold its last meeting?
- (b) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भाषाई अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय स्तर पर सहमतिजन्य एवं संवैधानिक सुरक्षकों के कार्यान्वयन हेतु बैठकों का विवरण दें?
- Please give details of the meetings held under the Chairmanship of Chief Secretary to implement Nationally agreed and Constitutional Safeguards for linguistic minorities?
- (c) यदि राज्य में अल्पसंख्यक आयोग है तो क्या यह आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले भी देखता है? यदि हाँ, तो कृपया विस्तृत जानकारी दें।
- In case there is a Minorities Commission in the State, does it handle the linguistic minorities' affairs? If yes, please furnish details.
34. (a) क्या भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षकों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर समिति गठित है? यदि ऐसा है तो क्या वरीयता के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के, क्षेत्रीय के विधायक को उस जिला स्तरीय समिति में सहयोजित किया गया है?
- Does a Committee exist to ensure implementation of the Safeguards for the linguistic minorities at the District level? If so, has a local MLA, preferably belonging to linguistic minority been co-opted in the District Level Committee?
- (b) जिला स्तर के अधिकारी जिन्हें भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके नाम, पदनाम, दूरभाष/मोबाइल/फैक्स संख्या, आदि दें (आवश्यकतानुसार अलग से सीट संलग्न करें)।
- Mention the Name, designation and phone/mobile/fax no. of the officers entrusted with linguistic minorities' affairs at the district level. (Attach a separate sheet, if required.)

R. सुरक्षकों के लिये प्रचार
Publicity of the Safeguards

35. (a) भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त सुरक्षकों एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उन्हें जानकारी देने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?
What is the mechanism for informing the linguistic minorities about the Safeguards and the facilities available to them?
- (b) राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुरक्षकों के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु कृत कार्रवाई की कृपया विस्तृत जानकारी दें।
Please elaborate the action taken to spread awareness about the Safeguards available to the linguistic minorities in the State.
- (c) भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षकों से संबंधित विवरणिका अंतिम बार कब प्रकाशित हुई? क्या ये अल्पसंख्यक भाषाओं में छपी थीं? यदि हां, तो कृपया विवरण दें।
When were the Pamphlets detailing Safeguards for the linguistic minorities last published? Were they published in minority languages? If so, please give details.
36. क्या जिला तथा तहसील कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षकों एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में, प्रदर्शन, बोर्ड तथा बैनर के माध्यम से सूचना दें?
Whether orders have been issued directing the district and tehsil offices to exhibit the Safeguards and concessions available to linguistic minorities through hoardings, banners, etc.?

S. भाषाई अल्पसंख्यकों से प्राप्त शिकायतें
Grievances/Complaints received from linguistic minorities

37. भाषाई अल्पसंख्यकों से समीक्षाधीन अवधि में प्राप्त शिकायतों और राज्य सरकार द्वारा कृत अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण दें।
Detail the complaints received from linguistic minorities during the period under report and the action taken thereon by the State Government.
38. (a) राज्य में कितनी निबंधित भाषाई अल्पसंख्यक एसोसिएशन/समिति कार्यशील हैं?
How many registered Linguistic Minorities Associations/Societies are functioning in your State? Please furnish details of such Associations.
- (b) इन एसोसिएशन/समितियों की सूची, उनके दूरभाष, पत्राचार का पता आदि दें।
Please, furnish a list, along with telephone numbers and postal addresses of such Associations/Societies.

Note:—

1. प्रश्नावली वेबसाइट :www.nclm.nic.in पर भी उपलब्ध है। कोई भी प्रश्न अनुत्तरित/खाली न छोड़ें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सारगर्भित व ब्यौरेवार देने पर उचित ध्यान दें।

The Questionnaire is also uploaded in the website :www.nclm.nic.in. No Question should be left unanswered/ blank. Due care be taken to furnish detailed and comprehensive reply to each Question.

2. किसी स्पष्टीकरण हेतु कृपया संपर्क करें / **For any clarification, please contact:**

आयुक्त / Commissioner

14 / 11 और 15 / 11, जाम नगर हाउस,
शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011
14/11 and 15/11 Jam Nagar House,
Sahajahan Road, New Delhi-110011.
011-23072651-52 (फोन/Phone)
hqofficeclm@gmail.com (ई मेल / E-mail)
<http://www.nclm.nic.in> (वेबसाइट / Web site)

3. सहायक आयुक्त,
Assistant Commissioner
(उत्तरी एवं मध्य अंचल)
(Northern & Central Zone)
40, अमरनाथ झा मार्ग, इलाहाबाद-211002 (उ०प्र०)
40, Amar Nath Jha Marg, Allahabad – 211002 (U.P.)
0532-2468565 (फोन/Phone)
0532-2468544 (फैक्स/Fax)
4. सहायक आयुक्त,
Assistant Commissioner
(पूर्वी अंचल)
(Eastern Zone)
67, बेन्टिंक स्ट्रीट, बेस्ट विंग,
67, Bentinck Street, West Wing,
चौथा तल, कोलकाता-700069, (पश्चिम बंगाल)
4th Floor, Kolkata – 700 069. (West Bengal)
033-22373572 (फोन / फैक्स/Phone/Fax)
5. सहायक आयुक्त,
Assistant Commissioner
(पश्चिमी अंचल)
(Western Zone)
बिल्डिंग नं० 23 (1) किला, बेलगाम-510016
Building No. 23(1), Fort, Belgaum –510016
(कर्नाटक)
(Karnataka)
0831-2422764 (फोन / फैक्स/Phone/Fax)
6. सहायक आयुक्त,
Assistant Commissioner
(दक्षिणी अंचल)
(Southern Zone)
राजाजी भवन, द्वितीय तल, ई-विंग,
बेसेन्ट नगर, चेन्नै-600090
(तमिलनाडु)
Rajaji Bhawan, "E" Wing, 2nd Floor,
Besant Nagar, Chennai-600090,
(Tamil Nadu)
044-24919348 (फोन / फैक्स/Phone/Fax)
